लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

अंक 12, शुक्रवार, 24 जून, 1977/3 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 12, Friday, June 24, 1977/Asadha 3, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 184 से 186, 188 और 190 से 192	Starred Questions Nos. 184 to 186, 188 and 190 to 192 . . .	1
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5	Short Notice Question No. 5 . .	15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 187, 189, 193 से 199 और 201 से 203	Starred Questions Nos. 187, 189, 193 to 199 and 201 to 203 . .	19
अतारांकित प्रश्न संख्या 1643 से 1682, 1684 से 1689, 1691 से 1723, 1725 से 1788 और 1790 से 1803	Unstarred Questions Nos. 1643 to 1682 1684 to 1689, 1691 to 1723, 1725 to 1788 and 1790 to 1803 .	25
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	101
सभा का कार्य	Business of the House .	103
समितियों के लिए निर्वाचन—	Elections to Committees—	
(एक) चाय बोर्ड	(i) Tea Board	103
(दो) काफी बोर्ड	(ii) Coffee Board	104
(तीन) इलायची बोर्ड	(iii) Cardamom Board . . .	104
(चार) रबड़ बोर्ड	(iv) Rubber Board . . .	104
योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Yoga Undertakings (Taking over of Management) Bill	105
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	105
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain . .	105
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	107
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	107
श्री सोगत राय	Shri Saugata Roy . .	108
डा० सुब्रहमण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy	109
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	109
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal .	110
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	110
श्री लखन लाल कपूर	Shri L. L. Kapoor . .	110
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi . . .	111

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान किए गए अत्याचारों की जांच के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया—	Resolution *re* Probe into Atrocities Committed during Internal Emergency Withdrawn—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	112
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav .	115
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	115
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri S. Kundu . . .	115
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar .	116
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	117
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin .	117
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur .	118
श्री सी० के चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	118
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . . .	119
भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों को समाप्त करने के बारे में संकल्प	Resolution *re* Subversion of Democratic Norms by the former Prime Minister . . .	121
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	121

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 24 जून, 1977/3 आषाढ़, 1899 (शक)
Friday, June 24, 1977/Asadha 3, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[*Mr. Speaker in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री गंगासिंह (मंडी)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों का त्यागपत्र

*184. **डा० बापू कालदत्ते** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्टेट बैंक आफ़ इंडिया मुख्यालय, बम्बई के बहुत से अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ अधिकारियों को अपनी कालावधि के पूरा होने से पूर्व ही सेवानिवृत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर इन त्यागपत्रों तथा सेवानिवृत्तियों के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि पिछले 12 महीनों में बम्बई स्थित बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के 9 अधिकारियों ने अन्यत्र नौकरी करने के लिए अथवा विदेश जाने के लिए इस्तीफा दिया है। आगे बैंक ने सूचित किया है कि पिछले 12 महीने के दौरान केन्द्रीय कार्यालय के किसी अधिकारी को नियमों के अंतर्गत निर्धारित सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया गया है।

Dr. Bapu Kaldatey : Is it true that office bearers of the Bank have complained about the destruction of complaints and documents against the former Chairman and also documents connected with dealings with other Banks. Is it also a fact that there was talk in the Bank about forcible resignation by office bearer who lodged this complaint.

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि कागजात नष्ट करने के बारे में कोई शिकायतें हैं और चेयरमैन ने लोगों को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया है।

Dr. Bapu Kaldatey : Have you received any representation from the Association ?

श्री एच० एम० पटेल : उस प्रकार का कोई निवेदन नहीं आया।

डा० बापू कालदते : क्या आप मालूम कर सकते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं अवश्य पता करुंगा ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : Has the Hon. Minister any information about the representation sent by the Bank officers Association some 15 days ago ?

श्री एच० एम० पटेल : यह सम्भव है कि इस प्रकार का आवेदन आया हो। लेकिन मैंने देखा नहीं। यदि आया हो, तो मैं इसे देखूंगा । जिन 12 अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया है, उन्होंने 1976-77 के दौरान त्यागपत्र दिये हैं और उन सब ने एक ही विशेष कारण से त्यागपत्र दिए हैं। उनमें से कई लोग प्राइवेट कारखानों में अच्छे वेतन पर नौकरी पर लग गये हैं। एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लग गया है, एक यूनिट ट्रस्ट में लग गया है और एक बाहर चला गया है। अतः जबरदस्ती इस्तीफे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Shrimati Mrinal Gore : May I know whether Government have received complaints about sanction of loans by the State Bank to the people who were not entitled for it ? Similarly, has not the Union complained about bungling in recruitment ? I know that State Bank acquired a big plot at Nariman point. The Union complained about it also. Will the Government take necessary action on these complaints ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि कोई शिकायतें आयें तो हम इन पर विचार करेंगे । माननीय सदस्य ने आपत्तकालीन स्थिति का जिक्र किया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति अभी हाल में ही हुई है और अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं । अतः हमें आपातकालीन स्थिति से पहले और बाद के समय के बीच अन्तर रखना पड़ेगा ।

श्री बयालार रवि : आपातकालीन स्थिति के दौरान स्टेट बैंक ऐसोसियेशन के अनेक कार्यकर्ताओं को अन्य स्थानों का स्थानान्तरित करके तथा अन्य प्रकार से तंग किया गया । क्या मंत्री महोदय इन आवेदनों विशेषकर, मद्रास खंड से आये आवेदनों की ओर ध्यान देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि आपात्तकालीन स्थिति में तंग किये जाने सम्बन्धी किसी भी शिकायत पर तुरन्त विचार किया जाता है । यदि मद्रास खंड के किसी अधिकारी से कोई शिकायत आई हो तो उन पर विचार कर लिया होगा और यदि नहीं किया होगा तो मैं उन पर सहर्ष विचार करुंगा ।

Shri Jagdish Prasad Mathur : Is the Government aware of the fact that the appointment of Chairman and Directors of State Bank were made with political considerations which has caused resentment among the employees. What steps are being taken to regularise such appointments and remove the resentment from among the employees.

श्री एच० एम० पटेल : अभी हाल में मैंने बम्बई में वक्तव्य दिया था कि बैंकिंग प्रणाली का राजनीतिकरण नहीं होगा और बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विनियमों के अन्तर्गत स्वतंत्र ढंग से काम करेंगे ।

श्री के० टी० कोखलराम : क्या मैं जान सकता हूं कि पहली सरकार के अधीन स्टेट बैंक के कितने अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए और इस सरकार के अधीन कितने अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे पास इस बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Manohar Lal : What steps are being taken to regularise the appointments made during emergency and remove the resentment among the employees ? A strike is going on in the Reserve Bank at Kanpur for the last one month as a result of which clearing worth crores of rupees remains suspended. What steps are being taken to remove the resentment from among the employees and resume the suspended business ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने रिजर्व बैंक के बारे में पूछा है जबकि सभा के सामने प्रश्न स्टेट बैंक के बारे में है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। उस समय के अंदर कोई और प्रश्न पूछा जा सकता था।

Shri Balbir Singh : The Hon. Minister has given a clear reply :

"क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडियां, बम्बई के अनेक अधिकारियों ने हाल में त्यागपत्र दिये हैं ?"

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ने भी यही पूछा है और मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Balbir Singh : He replied that he does not know about recent resignations. If that is so, will he instruct his Department to send complete position to the Minister. Why the cases of recent resignations were not brought to his notice and whether officers not giving complete position will be suspended ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। पिछले 12 महीनों के अन्दर किन्हीं कारणों से जिन अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए हैं, मैंने उनकी सूची दे दी है । कुल संख्या बहुत कम है। मैं यह कह चुका हूं कि लगभग उन सभी अधिकारियों ने गैर-सरकारी उद्योगों में अच्छे रोजगार प्राप्त करने के लिए त्यागपत्र दिए हैं। स्थिति यह है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इतना कहना ठीक है मेरे विचार में आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते।

Shri Mritunjay Prasad Verma : The Minister has pointed out that one of the officers who had resigned thereafter joined another nationalized bank. May I know whether this competition of taking good officers in nationalized Banks is going on. This competition can be successful only when more emoluments are given to them. Would you allow this competition to go on ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Shri Yagya Datt Sharma : Mr. Speaker the question of the Hon. member was correct. He asked whether such competition is going on in Nationalized Banks.

श्री एच० एम० पटेल : सभा के समक्ष जो प्रश्न है उसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अगला प्रश्न पूछने के लिए कह दिया है।

देश की मंडियों के लिये चाय का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया जाना

*185. **श्री दीनेश भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की मंडियों के लिए चाय का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या तरीके अपनाये हैं ; और

(ख) देश की मंडियों में चाय का मूल्य कम करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इस समय उत्पादकों को निम्नलिखित किसी भी पद्धति से अपनी चाय के निपटान की छूट है :

1. भारत में सार्वजनिक नीलामों में बिक्री।
2. लन्दन में नीलाम के लिए भेजना।
3. निजी बिक्री तथा अग्रिम संविदाओं के अन्तर्गत सीधे निर्यात।
4. घरेलू बाजार में बागान से ही बिक्री।

घरेलू खपत के लिए चाय के पर्याप्त भंडारों की प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चाय उत्पादकों से देश के नीलाम केन्द्रों में अपनी 80 प्रतिशत चाय भेजने के लिए कहा है। इससे आन्तरिक नीलामों में बड़ी मात्रा में चाय आने लगी है।

(ख) चाय की कीमतों में हुई वृद्धि का कम करने के लिए सरकार ने 5 रु० प्रति कि० ग्रा० का निर्यात शुल्क लगाकर और साथ ही भारी मात्रा में चाय के निर्यातों पर उपलब्ध सीमाशुल्क छूट और निर्यातों पर शुल्क वापसी समाप्त करके तुरन्त कार्यवाही की। जैसा कि पहले बताया गया है, सरकार ने उत्पादकों से कहा है कि वे 80 प्रतिशत उत्पादित चाय आन्तरिक नीलामों के लिए उपलब्ध कराएं। सरकार ऐसे प्रमुख चाय पैकरों से निरन्तर सम्पर्क भी रखे हुए है जिन्हें 17-4-77 से पैकटों वाली चाय लगभग 2 रु० प्रति किलो तक कम करने के लिए राजी कर लिया गया है।

चाय के निर्यातों तथा आन्तरिक कीमतों पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ताकि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चाय मिलना सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा किए गये उपायों के परिणाम निकलने शुरू हो गये हैं।

देश में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि घरेलू और विदेशों की मांग को पूरा किया जा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण से ज्ञात होता है कि लोगों की चाय की खपत के लिए देश की मंडियों में चाय का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने हेतु सरकार चाय उत्पादकों को कहा है कि वे अपने उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग देश के नीलामी केन्द्रों पर भेजें। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने देश में चाय के कुल उत्पादन का कोई अनुमान निकाला है और उत्पादकों को अपने उत्पादन का 80 प्रतिशत देशी मंडियों में उपलब्ध कराके आदेश का क्या प्रभाव पड़ा है।

श्री मोहन धारिया : इन अनुदेशों के फलस्वरूप हम अधिक भंडार तैयार कर सके हैं। इससे हमें कीमतें कम करने में सहायता मिली है।

जहां तक कुल उत्पादन का सम्बन्ध है, वर्ष 1976 में इसका उत्पादन 5110 लाख किलो ग्राम हुआ है और वर्ष 1977 में इसका उत्पादन लगभग 5320 लाख किलो ग्राम होने की आशा है।

देशी मंडियों में स्थानीय खपत के लिए अधिक चाय उपलब्ध करने हेतु 2400 लाख किलो ग्राम की बजाय 2250 लाख किलो ग्राम निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय इस आदेश को जारी करने के पश्चात 80 प्रतिशत उत्पादन देशी मंडियों में उपलब्ध कर सकते हैं ?

जहां तक चाय के फुटकर मूल्यों का सम्बन्ध है, वे बढ़ गए हैं मेरी जानकारी के अनुसार चाय के फुटकर मूल्य में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है।

श्री मोहन धारिया : मुझे पता नहीं कि यह जानकारी माननीय सदस्य को कहां से मिली है यह सही है कि इतनी वृद्धि अप्रैल के महीने में हुई थी। 4-4-1977 को मोटी पती की चाय का मूल्य कलकत्ता में 19.79 रुपये प्रति किलो थी 30-5-1977 को इससे मूल्य में गिरावट आई और यह 29 रुपये प्रति किलो ग्राम से घटकर 19 रुपये प्रति किलो ग्राम हो गया। बारीक चाय का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो ग्राम से घटकर 16.74 रुपये हो गया। ये नीलामी मूल्य हैं। मैं विभिन्न नीलामी केन्द्रों की बात कर रहा हूं। यह स्वाभाविक ही है कि जब मूल्य में गिरावट होगी तो इसका प्रभाव निम्नतम स्तर पर भी पड़ेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister gave the figures about the prices of tea which were prevailing in the month of April. I want to know whether the increase of 7 per cent in the price of tea in the month of March affected the retail prices ? Have the Government taken any step to reduce this difference. Does the Hon. Minister himself go to market to purchase tea ?

The condition of many tea plants is deteriorating day by day. The tea plants are not getting advice from Plant Research Institute and that is why the tea of good quality is not being produced. What steps are being taken in this regard ? What is the percentage of tea which is exported out of the total tea produced in the country.

Shri Mohan Dharia : Although I do not go to Market to purchase tea, but my wife goes to market and I get information in this regard from her. She also complained about increased price of tea but now the prices have come down. I have already stated about the total production of tea in the Country.

Shri Hukam Chand Kachwai : Tea plants are not getting any advice from the Plant Research Institute. What is being done in this regard. This question has not been replied to.

Shri Mohan Dharia : I have taken a number of measures to increase the production of tea in the country. In the year of 1976 the total production of tea was 517 million Kgs. and it is hoped that in the year 1978 the total production will be about 532 million Kgs.

Besides this we have imposed export duty on tea of Rs. 5/- per Kg. This will effect the prices in the country.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अपने विवरण में मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल्यों में गिरावट लाने के लिए उन्होंने तत्काल कार्यवाही की और निर्यात पर 5 रुपए प्रति किलो की दर से निर्यात शुल्क लगा दिया। क्या यह सही है कि आपके कार्यभार संभालने से पहले चाय पर कोई शुल्क नहीं था जिसके कारण गोयंका सहित बड़े बड़े व्यापार गृहों ने चाय का निर्यात करके भारी मुनाफा कमाया है।

अध्यक्ष महोदय : जब उन मांगों पर चर्चा होगी तब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं और गोयंका आदि के बारे में बोल सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस पर कोई शुल्क नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से सम्बन्धित बात कहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य में हो रही लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार निर्यात शुल्क बढ़ायेगी।

श्री मोहन धारिया : हमने पहले ही 5 रुपये प्रति किलो की दर से निर्यात शुल्क लगा लिया है। निस्संदेह जब देश की कमी की स्थिति पैदा होगी तो कुछ एकाधिकारी उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे ।

Shri Ugrasen : The Minister wants that tea should be available in the market. I think the only way to save these tea plants is that they should be nationalized.

श्री मोहन धारिया: सरकार के समक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बेदब्रत बरूआ: नीलामी के द्वारा चायपत्ती बिचौलियों के पास पहुंचती है। उपभोक्ताओं को अभी भी चाय पत्ती की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि मेरे राज्य में, जहां भारत की चाय के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है और जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ चाय में से होती है, वहां उस मूल्य पर नहीं मिलती जिस मूल्य पर दिल्ली में मिलती है। क्या मंत्री महोदय चाय की समुचित सप्लाई के लिए समुचित वितरण प्रणाली बनाने पर विचार करेंगे ।

श्री मोहन धारिया : इसके लिए कोई सरकारी वितरण प्रणाली तैयार करना बहुत कठिन है। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि बाजार में अधिकाधिक चाय की सप्लाई हो। सरकार का यही प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि आज हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस पर वाद-विवाद आज स्थगित कर दिया जाये, विपक्ष के नेता तथा सभा के नेता इस बात को मान गए हैं। अतः यह पहली मांग होगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम अगले प्रश्न पर विचार करें ताकि अन्य लोगों को भी कुछ समय मिल सके।

Shri Ugrasen : I rise on a point of order. Just now you have said that demands of the Ministry of External Affairs will not be discussed today. We are prepared to discuss those demands today. How can we discuss the demands of any other Ministry within short span of time.

Mr. Speaker : Whatever you said is right.

आपने वह भाषण तैयार कर लिया है। वह भाषण आप परसों दे सकते हैं। इस समय आप समय बरबाद न करें ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: चूंकि अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद करना स्थगित कर दिया है अतः कटौती प्रस्तावों की सूचना कल भी दी जा सकती है। कार्यसूची में हुए इस परिवर्तन के कारण हमें भी अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। क्योंकि जब वे व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उन्हें कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिए आपको अवसर देना चाहिए। मैं आपको समय दूंगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : नहीं, नहीं हमें अधिक समय चाहिए। हमें कम से कम कल सुबह तक समय दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो कल सुबह तक कटौती प्रस्ताव दे सकती हैं क्योंकि उन्हें छपवाना भी है और आप लोगों में परिचालित भी करना है।

अब हम अन्तिम अनुपूरक प्रश्न लेंगे।

Shri D. N. Tiwari : The question is not that how much tea you release in the market. The question is that how much tea should be in market so that its price does not rise. Have you evolved any such machinery which would remain constantly vigilant and see that the traders do not raise the prices in case of short supply. It takes time in releasing tea and fall and rise in prices in the market. You should make arrangements so that the prices do not go up. People have nothing to do with the quantity you release, whether it is 90% or 80%. They want that price should not go up.

Shri Mohan Dharia : This is a good suggestion and I may inform the Hon. Member that we have decided that in addition to that tea available in the market we should have 36 million Kgs. tea extra to meet the requirement.

श्री ए० सी० जार्ज : इससे पहले माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 1977 में उनके अनुसार 5320 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होगा और वह उत्पादकों से 80 प्रतिशत देशी मंडियों में सप्लाई करने का अनुरोध कर रहे हैं।.यदि हम इस आंकड़े को माने तो आंतरिक सप्लाई 4250 लाख किलोग्राम होगी और साथ ही वह यह भी कह रहे हैं कि 2250 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात होगा। यदि आप 5320 लाख किलोग्राम में से 4250 लाख किलो ग्राम मंडी में भेज देंगे तो फिर आपके पास केवल 1080 किलोग्राम चाय बचेगी। ऐसी स्थिति में आप 2250 किलोग्राम चाय का निर्यात कैसे कर सकेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कौन से आंकड़े सही हैं।

श्री मोहन धारिया : खेद की बात है कि माननीय सदस्य स्वयं इसी मंत्रालय में रहे हैं इसलिए उन्हें जानना चाहिए कि नीलामी के लिए जो भी चाय होती है वह आंतरिक खपत तथा निर्यात दोनों के लिए होती है।

Removal of Restrictions on the movement of Groundnut Oil

*186. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the decision taken by Government for removing the restrictions on the movement of groundnut oil from one State to another; and

(b) the action proposed to be taken by Government for removing the zonal system for groundnut oil throughout the country before the coming kharif season ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केन्द्रीय सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में मूंगफली के तेल को लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। राज्य सरकारों, विशेष रूप से मूंगफली उगाने वाले गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रमुख राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे राज्य से मूंगफली का तेल ले जाने पर कोई भी औपचारिक अथवा अनौपचारिक पाबंदी न लगायें।

(ख) मूंगफली के तेल के लिए कोई जोनल व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस प्रश्न सहित तीनों प्रश्न एक ही मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, इसलिए मेरा विचार है कि हम उन पर अनुपूरक प्रश्न न पूछें। इसका एक और कारण यह भी है कि शीघ्र ही इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होनी है।

Shri Dharamsinhbhai Patel : The Hon. Minister just now stated that there is no Zonal system or any restriction on the movement of groundnut oil in various states. But 70% of the total groundnut oil produced is kept in Gujarat and only 30% groundnut oil

is supplied to other states. The Government of Gujarat state has unofficially imposed restriction on the movement of groundnut oil. I want to know the steps taken by Government to remove those restrictions ?

Shri Mohan Dharia : In this regard I had a discussion with the Chief Minister of Gujarat. This scheme is in force for the last three years and at present it is improper for us to say to them to do away with this scheme totally. Therefore, I have requested the state Government to supply groundnut oil as much as possible. We have to look-after the entire nation. It will be premature for me to ask State Government to finish this scheme. But at the same time it will be my endevour to make anything produced in the country available to the whole nation equitably. This is our policy and I will have discussion with the Chief Minister of those states which have formally or informally imposed restriction on the movement of groundnut oil from one state to another state.

Shri Dharamsinhbhai Patel : The price of a tin containing 16 Kgs. groundnut oil is Rs. 130/- in Rajkot, Rs. 165/- in Delhi, Rs. 170/- in Bombay and Rs. 180/- in Calcutta. I would like to know the steps taken by the Central Government to remove this disparity in price in different parts of the country.

श्री मोहन धारिया : श्रीमान मुझे पता है कि देश में खाने के तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई है। और जैसा कि मैंने पहले ही इस सभा में कहा है कि खाने के तेल का उत्पादन काफी गिर गया है। हमें लगभग 35 लाख टन की जरूरत है जबकि हमारा उत्पादन 32 लाख टन है, जिसमें कि वनस्पति भी शामिल है।

दुर्भाग्य से 32 लाख टन की बजाय हमारा उत्पादन 25 या 26 लाख टन होगा। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव उपलब्धता तथा मूल्य पर पड़ेगा। इसलिए एक ओर हम यथासंभव अधिकाधिक खाने के तेल का आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर हम आने वाली खरीफ की फसल का लाभ उठायेंगे और तिलहनों का अधिक उत्पादन करेंगे। तिलहनों तथा तेलों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय हम तिलहनों तथा तेलों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनायेंगे।

श्री हीतेन्द्र देसाई : क्या गुजरात सरकार ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है।

श्री मोहन धारिया : गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य में अपनी कठिनाइयों के कारण हमें इस नीति को जारी रखने की अनुमति दी जाये क्योंकि फिलहाल हम इस नीति को रद्द नहीं कर सकते।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : जहां तक मूंगफली के तेल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का सम्बन्ध है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य के ऐसे कानून हैं या परिवहन सम्बन्धी प्रतिबंध हैं, जिनके कारण अप्रत्यक्ष रूप से मूंगफली के तेल को लाने ले जाने पर प्रतिबंध होता है।

श्री मोहन धारिया : कुछ ऐसे कानून हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार के लक्ष्यों पर बुरा असर पड़ सकता है। सभी राज्यों को एक होकर राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए।

आई० टी० डी० सी० आफिसर्स एसोसिएशन का अनुरोध

*188. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०टी०डी०सी० आफीसर्स एसोसिएशन ने आपात-स्थिति के दौरान निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की जांच करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir.

(b) The allegations made by the Association relate to excesses, corruption, wrong promotions, appointments and other grievances during the Emergency. These are being looked into, in some cases by CBI and in some departmentally by the Corporation.

श्री एस० जी० मुरुय्यन: क्या मंत्री महोदय प्रस्तावित जांच को शीघ्र करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

Shri Purushottam Kaushik : Mr. Speaker, Sir, as I said that enquiry is in progress, suitable action will be taken certainly on receipt of the enquiry report.

Shri Ramdhari Shastri : Will the Hon. Minister be pleased to state the names of the officers with their designations against whom enquiry is being held ?

Shri Purushottam Kaushik : They have not given the names, but whatever the complaints received are being investigated into.

मैसर्स पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ को जारी किये गये आयात लाइसेंस

*190. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मैसर्स पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ को आयात लाइसेंस रिलीज़ आर्डर जारी किये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के लाइसेंस दिए गए ;

(ग) क्या अनेक संसद सदस्यों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले थे कि एक भूतपूर्व मंत्री ने उपरोक्त कम्पनी को लाइसेंस दिलवाने के लिए अनुचित प्रभाव का उपयोग किया था; और

(घ) क्या उपरोक्त फर्म को लाइसेंस जारी करने के मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस फर्म को लाइसेंस देने के विरुद्ध पहले की अवधियों में आरोप लगाए गए थे।

(घ) इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आरोप क्या थे और वे किन के विरुद्ध लगाये गये थे ? दूसरे क्या निम्नलिखित आरोप भी लगाये गए थे।

1. कि भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री चन्द्रजीत यादव कम्पनी में अत्यधिक रुचि रखते थे और आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने सम्बन्धित मंत्री की सिफारिशों पर लाइसेंस दिये थे;
2. कि यद्यपि फाइलों पर नोटिंग विद्यमान है जिससे मंत्री के सिफारिशी पत्र का वहां होना सिद्ध होता है, फिर भी वह पत्र फाइल से निकाला गया है।

तीसरे, क्या इस कम्पनी ने बहुमूल्य आयातित माल को काले बाजार में बेचकर करोड़ों रुपये कमाये हैं और राज्य उद्योग विभाग और निर्यात तथा आयात के मुख्य नियंत्रक से मिलकर इस तर्क पर वास्तविक

जांच से बच निकली कि रिकार्ड 1972 में, जब यह मामला इस सदन तथा दूसरे सदन में उठाया गया था, आग में जल कर नष्ट हो गया था।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी और क्या कारखाना परिसरों का बीमा कराया गया था और क्या कम्पनी ने कोई दावा किया और 1969 से आगे लगभग 1 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस किस प्रकार दिये गये ? क्या वास्तविक उपयोग के बारे में कभी कोई जांच की गई ? क्या कोई आरोप लगाये गये या नहीं ?

श्री मोहन धारिया : यह वास्तव में एक विचित्र मामला है और इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। रिकार्ड से पता चलता है कि बिना साख के इस फर्म को एक समय 65 लाख रुपए के लाइसेंस दिये गये। यद्यपि फर्म ने बताया है कि 1972 में रिकार्ड नष्ट हो गया था, फिर भी 1973 में इस फर्म को कुछ रिलीज़ आर्डर जारी किए गए थे और मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसमें किन व्यक्तियों का हाथ है। (**व्यवधान**) मेरे विचार में मंत्री को इस प्रकार से मुक्त नहीं किया जा सकता। यह सब केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांज पर निर्भर करता है। हमें जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। 5 अप्रैल, 1977 को हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ कराई है। हम यह जांच करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव के विरुद्ध इस सभा के अनेक सदस्यों से आरोप प्राप्त हुए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में लिखा गया पत्र फाइल से गायब है ? क्या इस विषय तथा फाइल से सम्बन्धित कागजात रिकार्ड से जानबूझ कर हटाये गये हैं ?

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि श्री चन्द्रजीत यादव के विरुद्ध आरोप हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख न करें जो इस समय सदस्य नहीं हैं। कृपया यह भी ध्यान में रखें कि श्रीमती कृपलानी ने भी इस बारे में सिफारिश की थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव इस सभा के एक सदस्य थे। वह पिछली सरकार में मंत्री भी थे। आप आज इस बारे में नहीं पूछते तो कल पूछा जायेगा।

श्री के० लकप्पा : श्री यादव उस समय मंत्री थे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उस समय वह मंत्री नहीं थे। वह संसद सदस्य थे।

श्री मोहन धारिया : मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। परन्तु जब एक विशिष्ट प्रश्न मुझसे पूछा गया है तो मुझे रिकार्ड से देख कर यह कहना पड़ा कि "यह सच है कि श्री यादव के विरुद्ध आरोप हैं।" यदि मुझसे श्रीमती कृपलानी के बारे में प्रश्न पूछा जाता तो मैं उसका भी उत्तर देता। यह सारा मामला अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास है। उसे मामले की जांच करने देना चाहिये। जांच पूरी होने के बाद मैं सभा के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य रखूंगा। इससे पहले इस बारे में कहना मेरे लिये ठीक नहीं होगा।

विजय बैंक लिमिटेड का कार्यकरण

*191. **श्री बयालार रवि** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विजय बैंक लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में दिनांक 28 मई, 1977 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार से अवगत है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने लेख में लगाये गये आरोपों को नोट किया है।

श्री बयालार रवि : विजय बैंक लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया गया है। हमारे प्रशासन के दौरान स्वयं श्री मधु लिमये ने बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध इसी प्रकार का आरोप लगाया था । यह मामला बहुत गम्भीर है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। प्रश्न यह है कि भारी राशि के गोलमाल के बारे में विजया बैंक लिमिटेड के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप हैं। स्वयं बैंक का चेयरमैन कमीशन ले रहा है । उसके अपने संरक्षकों तथा सम्बन्धियों को भी कमीशन तथा अन्य लाभ दिये जा रहे हैं। बैंक के नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन के कई आरोप हैं। सम्बन्धित व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया गया है । मेरे पास सभी कागज़ात हैं और यदि आवश्यक हो तो मैं उन्हें सभा के समक्ष रख सकता हूं। रिपोर्ट इस प्रकार हैं :

> "चेयरमैन के विदेश में बैंक खातों के नम्बर हैं: फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक, न्यूयार्क खाता नं० 81390; स्विस क्रेडिट बैंक, लुगानों, खाता नं० 98710 उनके पुत्र अशोक कुमार शेट्टी का तूरिन में स्विस क्रेडिट बैंक खाता नं० 8069851 है।

क्या माननीय मंत्री कृपया हमें बतायेंगे कि इन विदेशी बैंक खातों में कितनी राशि जमा की गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इन मामलों की जांच करेंगे । पिछली सरकार में उच्च पदों पर आसीन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था। क्या आप भी उन्हें उसी प्रकार का संरक्षण देना चाहते हैं या उनके विरुद्ध कार्यवाई करेंगे ; वे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और बैंक के साथ धोखा कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार विजय बैंक लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में दिनांक 28 मई, 1977 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार से अवगत है। मैंने कहा : जी हां। विजय बैंक के चेयरमैन ने स्वयं "ब्लिट्ज" में प्रकाशित इस लेख का जवाब दिया है और अपना विचार व्यक्त किया है और कहा है कि आरोप सही नहीं हैं। सरकार द्वारा किसी को संरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ विशिष्ट आरोप हैं तो उनकी जांच की जायेगी।

श्री बयालार रवि : यदि आप अनुमति दें तो मैं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट से यह उद्धृत करता हूं : "चैयरमैन को इस पद को धारण करने के लिये उपयुक्त तथा योग्य नहीं समझा जा सकता।"

अध्यक्ष महोदय : क्या यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में है ?

श्री बयालार रवि : जी हां। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक ने विजय बैंक के कार्यकरण की कोई जांच की है और इस बारे में कोई रिपोर्ट दी है और यदि हां, तो क्या वह उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ? माननीय मंत्री ने कहा है कि चेयरमैन ने अपना उत्तर दिया है परन्तु यह 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित नहीं हुआ है । उन्हें यह कैसे प्राप्त हुआ ? उन पर इस प्रकार राजनीतिक दवाव डाला जा रहा है । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । भ्रष्ट चेयनमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यह बात रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में आई है। वह कर्मचारियों का शोषण कर रहा है और बैंक के साथ धोखा कर रहा है। क्या आप उन्हें रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिये कहेंगे ? . . .
(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में आपने यह पूछा है कि क्या रिजर्व बैंक ने इस मामले की जांच की है । रिजर्व बैंक ने इस बैंक का औपचारिक निरीक्षण किया था और एक रिपोर्ट तैयार की

थी। यह निरीक्षण रिपोर्ट कुछ मामलों में बैंक के हक में नहीं है। निश्चय ही कुछ मुद्दे चेयरमैन के हक में भी नहीं हैं। अतः यह मामला रिजर्व बैंक के विचारधीन है अब और मुद्दे उठाये गये हैं। रिजर्व बैंक इस प्रश्न पर फिर से जांच करेगा। मुझे यही कुछ कहना है।

श्री एस० ननजेश गोडा : मैं माननीय मंत्री से 'ब्लिट्ज' में छपी रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहता हूं। यदि इसमें झूठे आरोप या मानहानिपूर्ण आरोप लगाये गये हैं तो क्या वह सम्बन्धित पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे और क्या इसमें ब्लेक मेल करने का कोई प्रयास किया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह विजय बैंक के चेयरमैन का काम है। यदि वह समझते हैं कि ब्लिटज में छपी रिपोर्ट गलत या मानहानि पूर्ण है तो वह न्यायालय में उचित कार्यवाही के लिये जा सकते हैं।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : Is it a fact that Income-tax Commissioner has launched criminal proceedings against Chairman for serious violation of income-tax law and that Chairman is accused No. 2. Even then he was given one year's extension by the Central Government and the Reserve Bank. I want to know the time when this extension was given and also whether Hon. Minister is aware of the criminal proceedings against the Chairman ?

श्री एच० एम० पटेल : आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 तथा 278 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1971-72 तथा 1974-75 के ब्याज की अदायगियों को जानबूझ कर लोप करने के लिये विजया बैंक लिमिटेड, इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एकाउंटेंट तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग चलाये हैं। शिकायतें 9 फरवरी, 1977 को जुडिशियिल मजिस्ट्रेट, मंगलौर के न्यायालय में दायर की गईं। अभियोग इस प्रकार का है। बैंक को अपने ग्राहकों को 400 रुपये से अधिक ब्याज की राशि को रिपोर्ट देनी पड़ती है। बैंक कई मामलों में ऐसा करने में असफल रहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्याज की अदायगी ही न की हो। लेकिन इन नियम सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में असफल हुये। इसे एक तकनीकी अपराध कहा जा सकता है (**व्यवधान**) मैं आपको पूरी सूचना दे रहा हूं। मैं इस बात का स्पष्टीकरण इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको यह गलत धारणा न रहे कि यह एक गम्भीर प्रकार का अपराध है। यह बात ठीक है कि उसे एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : When was the extension given.

श्री एच० एम० पटेल : मुझे ठीक तिथि की जानकारी नहीं है। उसे एक साल की एक्सटेंशन हाल में ही दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे।

एक माननीय सदस्य : कब एक्सटेंशन दिया गया।

श्री एच० एम० पटेल : उसे यह एक्सटेंशन इसी सरकार के अन्तर्गत हाल में ही दिया गया था यह एक्सटेंशन रिजर्व बैंक ने दिया सरकार ने नहीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप तीनों साथ-साथ बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्री कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पायेंगे। अगला प्रश्न।

श्री कल्याण जैन : प्रश्न संख्या 192.

श्री बसंत साठे : आपने मुझे बुलाया था।

अध्यक्ष महोदय : एक साथ सब बोलने लग जाते है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैंने अगले प्रश्न को लेने के लिये कहा है ।

जानबूझ कर रुग्ण बनाई गई कपड़ा मिलें

*192. **श्री कल्याण जैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों को जानबूझ कर रुग्ण बनाया जा रहा है ; और

(ख) सरकार का इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिका पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Kalyan Jain: The Hon. Minister replied that there is no such thing. I mean to say that these cloth mills were earning crores of rupees three years ago and are now running into losses for the last two years as a result of which Cloth Mills are trying to divert their equipment and material to some other industries. I made a complaint about Indore. 20 to 30 mills are closed throughout the country. I want to know whether Government has evolved a policy for running the sick mills properly ?

श्री मोहन धारिया : प्रश्न यह था कि "क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों को जानबूझकर रुग्ण बनाया जा रहा है जिसके उत्तर में मैंने "नहीं" कहा । रुई के मूल्यों में वृद्धि तथा कुछ अन्य कठिनाईयां भी इसके मुख्य कारणों में से हैं । यह कहना कठिन है कि मालिकों की कोशिशों के कारण कितने कारखाने रुग्ण हैं। लेकिन यह सच है कि कुछ कारखानों ने नियमों के अनुसार काम नहीं किया । अधिक मुनाफा कमाने की आकांक्षा के कारण ही ये कारखाने रुग्ण हुये। जैसे कि मैं सभा में कह चुका हूं इन सैकड़ों कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है । यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन कारखानों को अपने हाथ में न भी ले सके तो भी हम राज्य सरकार को इन कारखानों को हाथ में लेने के लिये यथा सम्भव सहयोग देंगे।

Shri Kalyan Jain : Is there any proposal to set up a Parliamentary Committee to deal with the sick mills ?

Shri Mohan Dharia : There is no such proposal but we have set up a group on Cotton Textile and Jute in the Parliamentary Consultative Committee. I hope this group will study this problem and give its suggestions.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कपड़ा कारखानों के रुग्ण होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि ये कारखाने पुराने हैं और इनका उचित ढंग से आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है । इन कारखानो का आधुनिकीकरण करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि ये पुन: रुग्ण न हों ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है "सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं और इन कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये दीर्घकालीन आधार पर संस्थागत वित्त व्यवस्था की जाती है और कारखाने की आवश्यकता के 60 प्रतिशत ऋण पर उसका ब्याज भी $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत होता है । इसके अतिरिक्त आयात लाइसेंस तथा अन्य सुविधायें भी आवश्यकता पड़ने पर दी जाती हैं । मैं अपने माननीय मित्र के इस विचार से सहमत हूं कि ये कारखाने रुग्ण हो गये हैं और उनका आधुनिकीकरण करने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाये गये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : A number of cloth mills are sick throughout the country. I want to know whether the Government is proposing to takeover these mills.

A mill in my constituency at Indore is sick as a result of which thousands of workers have been rendered unemployed. Is the Government thinking of running this mill, if so, when ?

Shri Mohan Dharia : I will talk to the Chief Minister of Madhya Pradesh.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, no reply has come to my question.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं । मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked about so many closed mills in the country and Government's policy to run them.

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, reply to my question should come.

Mr. Speaker : You can take up this issue during the course of discussion on the demands of Commerce Ministry. You should now please sit down.

अब आपको बैठना पड़ेगा । मंत्री महोदय को बैठना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है । मैंने उन्हें बैठने के लिये कह दिया है । मैं मंत्री को उत्तर देने के लिये नहीं कह रहा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 12 बज गये हैं । प्रश्नकाल समाप्त हो गया है । अब हम अल्प सूचना प्रश्न को लेते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जा रही है । आप को आजादी दी गयी है । मैं नहीं सुन रहा । कोई भी प्रश्न नहीं होने चाहिये ।

प्रश्न काल समाप्त हो गया है । मैं अल्प सूचना प्रश्न को भी उस समय तक नहीं लूंगा जब तक शांति न हो ।

श्री वयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अन्तर्गत है । मैं अल्पसूचना प्रश्न सम्बन्धी नियम का उद्धरण दे रहा हूं । इसमें स्पष्ट लिखा है :—

"किसी लोक महत्व सम्बन्धी प्रश्न को दस दिन से कम नोटिस द्वारा पूछा जाना चाहिये और यदि अध्यक्ष महोदय के विचार में प्रश्न अविलम्बनीय किस्म का है.....यह मामला 2 अथवा 3 वर्ष पहले का है । अध्यक्ष महोदय ने अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार कर लिया है । मेरे व्यवस्था के प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या यह एक अविलम्बनीय प्रकार का प्रश्न है सभा के इस ओर के हम लोग सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं होता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछ रहे हैं । लेकिन एक ही व्यक्ति को बोलने की प्रथा रही है, आस पास के लोगों को चिल्लाने की नहीं । यदि उस आदत को छोड़ दिया जाये तो मेरे लिये बहुत आसानी होगी । मैं श्री रवि की बात सुन रहा हूं । श्री उन्नी कृष्णन्, श्री लकप्पा के चिल्लाने का क्या लाभ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मैं केवल श्री रवि की बात सूनना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । क्या आप मुझे सुनने नहीं देंगे ? इनका समय नष्ट होता है। आपका समय नष्ट होता है और सारी सभा का समय नष्ट होता है । यदि ऐसा ही होगा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा । मैंने इन्हें बोलने की अनुमति दी है । मैं जवाब दे सकता हूं । लेकिन सभा में कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री बयालार रवि : मैं आप पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं । यह लोक महत्व का विषय हो सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह अविलम्बनीय प्रकार का विषय है। हम इस ओर के सदस्य अनेक प्रश्न भेजते हैं लेकिन प्रश्नों को स्वीकार करना मंत्री पर निर्भर करता है । लेकिन दुर्भाग्यवश यह मामला सत्तारूढ़ दल तथा मंत्री के बीच का है । हमारी पूर्णतः उपेक्षा की गयी है । मंत्री पर सब का अधिकार होता है । वे दल के मंत्री नहीं होते। प्रश्न यह है कि मेरा प्रश्न प्रासंगिक है अथवा नहीं। आप इस ओर ध्यान दें और देखें कि इस प्रकार का प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार किया है । अध्यक्ष अल्पसूचना प्रश्न को मंत्री पर थोप नहीं सकता । यदि मंत्री स्वीकार करें तो मैं इसे शामिल कर सकता हूं। यदि मंत्री स्वीकार न करे तो वास्तव में मैं कुछ नहीं कर सकता । कुछ मामलों में यदि वे स्वीकार भी कर लें तो मुझे अस्वीकार करने तथा एजेन्डे में शामिल न करने का भी अधिकार है। यह अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार भी हो सकता है । मैं प्रश्न को अस्वीकार क्यों करूं । अतः अधिकांश प्रश्नों को मैं सम्बन्धित मंत्रालय को भेज देता हूं।उन्हें भी कहीं से कुछ उत्तर मिलना चाहिये । यदि सूचना सचिवालय में उपलब्ध न हो तो उन्हें राज्य सरकारों को लिखना पडेगा या कुछ करना पड़ेगा। मुझे उनकी समस्याओं की जानकारी नहीं है। उनकी अपनी कठिनाईयां हैं। अतः जब मंत्री ने इसे स्वीकार किया तो मैंने प्रश्न को शामिल करने के लिये कहा। अब स्वास्थ्य मंत्री को उत्तर देने दिया जाये।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

बंगला देश को रेड क्रास के माध्यम से सामान की सप्लाई

5. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश को भारतीय रेड क्रास द्वारा करोड़ों रुपयों का सामान सप्लाई किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सामान बाजार में पहुंच गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir.

(b) Allegations to this effect have been made.

(c) The matter is being looked into.

Smt. Mrinal Gore : I want to tell you the importance of this question. Indian Red Cross Society despatched material worth crores of rupees for distribution among Bangladesh refugees during 1971 Bangladesh war but the same reached the market. Besides rags, there were medicines, milk powder etc. etc. among the relief material. This scandle should have been got investigated by the then Govt. but it was not done. The Hon. Minister might be aware that the Chairman of Bangladesh Red Cross Society Sh. Kazi Gulam Mustaffa is undergoing 5 years' imprisonment. One of the Deputy Secretary,

Col. Bhatia demanded this enquiry. I want to know whether this is being got investigated through CBI ?

Shri Raj Narain : The question raised by the Hon. Member is correct. You may go through this pamphlet. I am reading it.....

An Hon. Member : This is in English. How will you read.

Shri Raj Narain : I have already stated that I speak Hindi because Hindi is my mother tongue and my parents did not know English. I will, however, read the English quotation.

"इंडियन रेड क्रास सोसाईटी को श्री रंगानाथन, श्री एस० एस० मिश्रा, श्री अजीत भौमिक, आर० के० गुप्ता की चौकड़ी से बचाईये। भ्रष्ट इंदिरा सरकार के जलाद जाने चाहिये। 1972 के बंगला देश शरणार्थी राहत सामग्री सम्बन्धी घोटाले वित्तीय कदाचार, प्रशासकीय अनियमितताओं तथा कर्मचारियों को तंग करने सम्बन्धी सी० बी० आई० द्वारा जांच की हम मांग करते हैं।"

"23 जून को प्रबन्धकों के विरुद्ध प्रदर्शन"

This is a lengthy pamphlet. I place it on the table of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे सभा पटल पर रखने की अनुमती नहीं दी। आप इसे अपने सचिवालय में रखें, सभा पटल पर नहीं। इस सभा को कुछ नियम का पालन करना है। अध्यक्ष यहां है। आप कोई भी चीज़ सभा पटल पर नहीं रख सकते। मैं इसकी अनुमती नहीं दूंगा।

Shri Raj Narain : I have agreed to your ruling.

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है आप अपना उत्तर देते जायें।

Shri Raj Narain : The charges levelled by the Hon. Member are not new. I would like to inform the House that a question was also asked on 16-11-72 about the charges against the Red Cross Society levelled during former Government. We have also asked for that reply and I want to read that also :

Question : What was the total amount of assistance received by the Indian Red Cross Society for providing relief to the refugees from Bangla Desh ?

Answer : As the Society has informed the total estimated value of the assistance received from abroad for former East Pakistan (now Bangla Desh) refugees amounts to about Rs. 25 crores.

The next question was :

Question (a) Whether attention of the Government has been drawn towards the news that relief goods are available in the open markets of many cities of India ?

(b) Whether any enquiry has been made into this matter ? If so, the results thereof ?

Answer : (a) and (b) Certain news items have appeared in newspapers in which it has been alleged that some of the goods received from the Indian Red Cross Society and OXFAM for providing relief to Bangla Desh refugees have reached the market. The Indian Red Cross Society has denied these reports. However the matter is being investigated.

This was the reply given by the former Government. We have to clear the debries of the past 30 years.

श्री ओ० वी० अलगेशन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न पूछते समय सदस्यों द्वारा लम्बे भाषण देने पर आप आपत्ति करते हैं। पर अब क्या आप मंत्री महोदय को उत्तर देते समय इसकी अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह तो विस्तृत उत्तर दे रहे हैं ताकि आपको और अनुपूरक प्रश्न न पूछने पड़े।

Shri Raj Narain: In this connection I have received two or three letters. One letter is from Sh. K. K. Das who had been Secretary in the Ministry of Health. Smt. George Fernandes had talked to me on the subject on 15th May and she wrote to me on the 16th May.

Shri Vasant Sathe: Sir, it appears that the Minister has prompted the member to ask this question. That is why he is giving details. It is contempt of the House.

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, on a point of order. Sh. Sathe is a Senior Member of the House and he has made this remark which is an insinuation against the Minister. The business of the House cannot go on smoothly if he doubts like this. I urge upon him not to level such allegations against any Member of the House. (Interruption.....).

Shrimati Mrinal Gore: Sir, the Hon'ble Sh. Sathe should withdraw his remarks. He has levelled this allegation against me. I am not habitual of such type of things. I am not going to be pressurised. I asked this question because there is a meeting of the General Body of the Indian Red Cross Society and everybody should know about the working of this Society.

I had given notice of a short notice question on the 11th but it did not reach the office. So I had given the notice again. I have been compelled to say all this. (Interruption.....).

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत अधिक संख्या में ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त होने पर मैं उन्हें [अल्पसूचना प्रश्न का रूप दे देता हूं। मुझे पता है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैंने उसे अल्पसूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार किया। कार्यालय यह कार्य करता है और फिर उन्हें मंत्री जी को भेज दिया जाता है। यदि मंत्री जी के पास जानकारी होती है तो वह स्वीकार कर लेते हैं अथवा कुछ समय मांग लिया जाता है।

Shri Raj Narain: Sir, you are quite familiar with the procedure of the House. Do you think that the allegation regarding my collusion with the Hon. Member is correct ?

अध्यक्ष महोदय: यह कहना गलत है कि मंत्री जी और माननीय सदस्य के बीच कोई साठ गांठ है। 10 दिन पूर्व माननीय सदस्य ने सूचना दी थी। आप आरोप की कोई चिंता न करें। प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Shri Raj Narain: You are correct. But I thought you would ask him to withdraw his remark in accordance with the Parliamentary norms.

अध्यक्ष महोदय: मैंने सत्य बात कही है।

Shri Raj Narain: I am replying to the question. I enquired into the matter when Smt. Laila Kabir asked me a similar question. Sh. K. K. Das is also fully familiar with the Indian Red Cross Society. He had also written a letter to me. He wrote a letter to the President of India also in which he had clearly asked for an enquiry into the whole affairs regarding the sale of goods in the market which were sent for Bangla Desh refugees. Smt. Laila Kabir had also made a similar demand.

अध्यक्ष महोदय: वह इस सभा की सदस्य नहीं हैं। उनके बारे में आप क्यों कह रहें हैं ? प्रश्न तो जांच के बारे में है।

Shri Raj Narain: Sir, I discussed this matter with the President because he is the Chairman. The President appoints the Committee as well as its Chairman. So I wrote to the President that the present procedure is faulty and at least our Ministry may be consulted before such appointments. The President himself suggested that the Health Minister should be the Chairman of this Society. I had in my mind the name of Dr. Sushila Nayar for this office.

I have some other information also. The new building of the Society has cost Rs. 55 lakhs to the Government Exchequer. There were huge quantity of liquor bottles in this building. When I wrote to the President in this regard. He wrote back. No doubt there were bottles but they have since been handed over to the Excise Department.

I went thorough probe in the matter not by C.B.I. but by an independent and impartial Parliamentary Committee. There is much bungling in this case. So I will request the Hon'ble Speaker to constitute a Parliamentary Committee.

(व्यवधान.....)

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या इसकी जांच कराई जायेगी। संसदीय समिति के बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

श्री बयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या नियम 370 के अन्तर्गत इन पत्रों को सभा पटल पर नहीं रखना चाहिये ?

(व्यवधान....)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का विशेषाधिकार समाप्त नहीं कर सकते । माननीय सदस्य मंत्री जी को उत्तर के लिए कह सकते हैं ।

Shrimati Mrinal Gore : The second part of my question has already been replied to by the Minister. Lot of expenditure was incurred on the Asian Regional Conference held in New Delhi from 9th to 16th March. Liquor was freely served which was donated to them by the Mohan Breweries and others and Rs. 28,000/- as excise duty were paid by the Red Cross Society. I want to know whether it is a fact that even now the Society has a huge quantity of bottles and many bottles have been sold after. I gave notice of this question. They are doing a number of misdeeds and the President is going to inaugurate the new building tomorrow. I will like the enquiry to be conducted by the C.BI. but the Minister has asked for a probe by the Parliamentary Committee but will that Committee enquire into all the allegations and whether it will be able to punish the guilty ?

Shri Raj Narain : I may tell the Hon'ble lady Member that just now I have received a letter from Sh. Manubhai K. Bhimani. He has also written to the Prime Minister as well as to Shri Patel. Sh. Patel has forwarded that letter to me and in his letter dated the 23rd he has written that "these complaints are against Sh. S. Ranganathan, Chairman, S. S. Maitra, Secretary General and Sh. Ajit Bhowmick, Joint Secretary of the Indian Red Cross Society, New Delhi." He has stated that a case has been filed against them in the Court and "If summons are issued against them before the magistrate before 11 A.M. and if I get that information, I will send somebody to you with that information." The Public of Delhi is fed up with all this bungling and will tolerate no more of this thing. They want that the Janta Party should pay attention to their demands. The whole affairs will be looked into either by a Parliamentary Committee or by the C.B.I. and if no such enquiry is made I will myself go and enquire into the matter. The Minister can go anywhere.

Shri Subramanyam Swami : Mr. Speaker, I want to ask my question in Hindi with the hope that the Hon. Minister will give a satisfactory reply to it. I want to know whether on the basis of the charges levelled by an eminent person like Shri K. K. Das, who has also been Secretary to the Ministry of Health, the Hon. Minister will urge upon the President that the tenure of the present Chairman of the Red Cross, who is a Congress supported Member of Parliament, should not be extended further ? The Hon. Minister has received many allegations against him and his tenure is now coming to an end.

Shri Raj Narain : The Hon. Member has asked a very legitimate question. I have already honoured his sentiments three days back. I wrote to the President three days back that it was said that a new Committee will be formed in the meeting of the 24th and that he would appoint a new Chairman. The President has expressed his inability. At first he said that he had appointed him Chairman for one year which will be completed in February. Since it was June now, he wished that I may not raise this question at this

stage. He said he had instructed Shri Ranganathan not to do anything which may be against the wishes of Raj Narain. I told the President that he was not at all prepared to accept his instructions; he knew my desire; there was no Government Officer who did not know my desire. There was Health Ministers Conference in Geneva from the 1st May to the 20th May. On the 5th May, a dinner was hosted from our side. I did not go there. I asked my Secretary that the dinner may be arranged since invitation cards had already been distributed, but liquor will not be served in our dinner. How could I tolerate that ? I have written this, but the President has expressed his inability. It is he who has to appoint the Chairman.

डा० सुशीला नायर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह उचित है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में सभा में चर्चा की जाये ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने ऐसी जानकारी दी है जिसे वह संगत मानते हैं। मैं तो चाहता हूं कि राष्ट्रपति की बात न होती। मैं सदस्य महोदय से सहमत हूं । अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

श्री समर गुह : एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने रेड क्रास सोसाइटी के सभापति की चर्चा की है, भारत के राष्ट्रपति की नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हम बात को बिगाडें नहीं। उन्होंने कुछ पत्र ही पढें हैं और कुछ जानकारी दी है। राष्ट्रपति के बारे में कोई चर्चा नहीं है । अब कोई और चर्चा न की जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संकटग्रस्त तथा बन्द पटसन मिलों की समस्याएं

*187. **श्री डी० बी० चन्द्रागौड़ा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संकटग्रस्त तथा बन्द पटसन मिलों की समस्याओं पर विचार करने के लिये आल इंडिया जूट टैक्सटाइल वर्कस फेडेरेशन की कोई बैठक बुलाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस समय राज्यवार कितनी पटसन मिलें संकटग्रस्त हैं तथा उन्हें कब तक सुचारू रूप से चलाये जाने की संम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) काम बन्द होने से पश्चिम बंगाल में 7 पटसन मिलों तथा बिहार में एक पटसन मिल पर असर पड़ा है। सभी जीवन-क्षम एककों को यथा सम्भव शीघ्र पुनः चालू करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार का इरादा जुलाई, 1977 के शुरू में पटसन उद्योग के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का है।

खादी तथा हथकरघा उत्पाद देश की मंडियों के लिये और कपड़ा मिलों के उत्पाद निर्यात के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव

*189. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हथकरघा और खादी के बने कपड़ों को केवल देश की मंडियों के लिये और वर्तमान कपड़ा मिलों के बने कपड़ों को केवल निर्यात के लिये आरक्षित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ; और

(ग) इस निर्णय से कपड़े के मूल्यों में कितनी कमी होगी जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के संयोजन के लिये एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है । इसमें सभी संगत पहलूओं पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें निर्यात, घरेलू बाजार के लिये पूर्तियां तथा कपड़े की कीमतें समीचीन स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता शामिल है ।

विदेशी मुद्रा की बिक्री में वृद्धि

*193. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में विदेशी मुद्रा की बिक्री में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद बाहर से आने वाली रकमों के आंकड़ों से है । यह ठीक है कि इन रकमों में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	(करोड़ रुपए)
1974	539.31
1975	1053.76
1976	1514.86

उक्त आंकड़े सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के हैं ; जिनमें सभी प्रकार की प्राप्तियां शामिल हैं जैसे हवाई कम्पनियों की प्राप्तियां, जहाज़ी प्राप्तियां, बीमा प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, पर्यटन प्राप्तियां आदि । ये प्राप्तियां निम्नलिखित चार प्राप्ति शीर्षों के अलावा हैं जो बाहर से आने वाली रकमों से संबद्ध हैं :—

(1) परिवार भरण-पोषण,

(2) अनिवासियों की बचतें,

(3) प्रवासी अन्तरण ; और

(4) मनिआर्डर प्राप्तियां ।

विदेशी मुद्रा भंडार

*194. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को भारत के पास विदेशी मुद्रा में कुल कितनी धनराशि थी ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अन्दर उसकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इन राशियों को किस प्रकार से उपयोग में लाने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 31 मार्च, 1977 को कुल 3243.7 करोड़ रुपए की धनराशि थी जिसमें 2863 करोड़ रुपए विदेशी मुद्री के रूप में, 187.8 करोड़ रुपए का सोना और 192.9 करोड़ रुपए के एस० डी० आर० शामिल हैं ।

(ख) यद्यपि पूरी सूचना के लिए भुगतान शेष के विस्तृत आंकड़ों का संकलन होने तक प्रतीक्षा करनी होगी लेकिन उपलब्ध संकेतों के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में बढ़ोतरी अनुकूल व्यापार शेष और देश में बाहर से आने वाली रकमों में काफी वृद्धि होने के कारण हुई है ।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का इस्तेमाल मूल्यों को स्थिर बनाए रखने में सहायता देने और अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए किया जाएगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

*195. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक बैंक में विलय करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बचत बैंक तथा अल्प अवधि के लिए जमा राशियों पर ब्याज की दरों में कटौती करना

*196. **श्री पी० त्यागराजन :**

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बचत बैंक तथा अल्प अवधि के लिए जमा राशियों पर ब्याज की दरें कम करने का औचित्य क्या है ;

(ख) लोगों, विशेषकर निर्धन वर्ग के लोगों की बचत करने की आदत पर इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार ने ज्वायंट स्टाक कम्पनियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों आदि के पास जमा राशियों के रूप में बचत की राशियां जमा कराये जाने के परिणामों तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त सब प्रकार के जोखिमों के बारे में विचार किया है ; और

(घ) जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा डाकघर बचत बैंकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली जमा राशियों पर क्या नियंत्रण रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जो परिवर्तन 91 दिन और इससे अधिक और पांच वर्ष तक की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की दरों में किये गये हैं, वे मुख्यतः अल्पकालिक मीयादी जमाराशियों और दीर्घकालिक मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की दरों के बीच के फैलाव को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किये गये हैं । चैक द्वारा परिचालित बचत बैंक खातों और अन्य बचत बैंक खातों के बीच किया गया अन्तर तथा चैक परिचालित बचत बैंक खातों पर 3 प्रतिशत की कम वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण, इन दो तरह के खातों की प्रकृति पर आधारित है । पहली तरह का खाता अपने में कारोबार, सापेक्ष होता है और दूसरा वास्तव में बचत को महत्व देता है । ऐसे जमाकर्ता जो विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं तथा समाज के कमजोर वर्गों से हैं, जिनके खाते प्रायः कारोबार सापेक्ष नहीं होते और जो चैक सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते, अपनी बचत जमाराशियों पर अब भी पुरानी दर पर ब्याज पाने के हकदार हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकों की जमाराशियों पर ब्याज की दर में किये गये परिवर्तनों का, विभिन्न बचत साधनों के माध्यम से जुटायी गयी कुल बचत पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) सरकार ने, आम जनता की बचतों के गैर-बैंकिंग कम्पनियों के पास जमाराशियों के रूप में चले जाने की सम्भावना पर विचार कर लिया है। यदि इस प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ भी तो वह बचत-जमा राशियों से (जो कि अधिकांशतः थोड़ी राशि की होती हैं) या 5 वर्ष से अधिक की ली गयी जमाराशियों से (जोकि अधिकांशतः थोड़ी राशि की होती है) या पांच वर्ष से अधिक की मीयादी जमा राशियों से (जिनके लिये 10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर कायम रखी गयी है) होने की संभावना नहीं है । साथ ही, गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा आम जनता की जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर का अधिक होना, अंशतः बैंकों की जमाओं की तुलना में इस प्रकार की जमाओं में निहित जोखिम-तत्व के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में होना है । यह एक ऐसा तत्व है जो जनता द्वारा बचत माध्यम के चयन को प्रभावित करता है ।

(घ) हालांकि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने उन विनियमों को बना दिया है, जो गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा स्वीकृत आम जनता की जमाराशियों की मात्रा और अवधि को नियंत्रित करते हैं और साथ ही यह विहित करते हैं कि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन विषयक कुछ न्यूनतम आंकड़े ऐसी कम्पनियों का आम जनता से जमाएं मांगने के विज्ञापनों और/अथवा जमाओं से संबंधित आवेदनपत्रों में प्रकाशित किये जायें, इस प्रकार की जमाएं/ऋण, जमाकर्ता और जमाएं स्वीकारने वाले प्रतिष्ठानों के बीच करारों के रूप में ही होते हैं, जिन्हें केवल न्यायालय द्वारा ही लागू कराया जा सकता है ।

Export of Shoes by S.T.C.

*197. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether State Trading Corporation has been exporting shoes to many countries for the last several years and the agencies from which goods are obtained to meet the export orders;

(b) whether the manufacturers are given less number of orders as compared to the export houses and whether S.T.C. itself makes supply in respect of some of the orders;

(c) whether intermediaries are benefited more than the manufacturers under this policy; and

(d) whether the policy is proposed to be pruned to ensure greater benefit to the actual manufacturer ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir. A list of agencies from which goods are obtained is as per Annexure 'A'.

(b) No, Sir. It is the manufacturers who obtain most of the orders and not the Export Houses. STC itself does not make any supply.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

STATEMENT

List of agencies from which goods are obtained by the STC for export purposes

ASSOCIATES

1. M/s. Liberty Footwear Co., Karnal.
2. M/s. Aero Traders (P) Ltd., New Delhi.
3. M/s. Ramnath Exports (P) Ltd., New Delhi.
4. M/s. Veekay Footwear & Leather Industries (P) Ltd., Agra.

5. M/s. Kay Exporters (P) Ltd., Agra.
6. M/s. Chinar Exports, New Delhi.
7. M/s. Leo Varma Exporters, Agra.
8. M/s. Shoespo, Agra.
9. M/s. Leatherfact Co., Agra.
10. M/s. Aeroshes, New Delhi.
11. M/s. Tannery & Footwear Corporation, Kanpur.

GROUPS

1. M/s. Oriental F/W Exporters, Agra.
2. M/s. Standard Footwear Exporters, Agra.
3. M/s. Handicrafts Exporters, Agra.
4. M/s. Agra Footwear (P) Ltd., Agra.
5. M/s. National Federation of Industrial Coop. Ltd., Agra.
6. M/s. Supreme Footwear Exporters, Agra.
7. M/s. Leather Industrial Association, Agra.
8. M/s. Bhartiya Charamudyog Sangh, Agra.
9. M/s. UP Export Corporation, Agra.
10. M/s. Taj Footwear Exporters, Agra.
11. M/s. Footwear Export Syndicate, Agra.
12. M/s. Flower Exporters, Agra.
13. M/s. Kwality Footwear Exporters, Agra.
14. M/s. Charam Paduka Nirmata Sangh, Agra.
15. M/s. Soni Enterprise, New Delhi.
16. M/s. Modern Footcrafts, New Delhi.
17. M/s. East West Trade Promoters, New Delhi.
18. M/s. Haryana State Small Industries Corporation, Chandigarh.
19. M/s. Delhi State Industrial Development Corporation, New Delhi.
20. M/s. Talapatra Enterprise, New Delhi.
21. M/s. Stepwel Industries, New Delhi.

करापवंचकों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार

*198. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की थी कि कर का अपवंचन करने वाले व्यक्तियों के नाम बताने वालों को पुरस्कार दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा कब की गई थी ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिये गये तथा उन्हें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) कर अपवंचन का पता लगाने अथवा करों की वसूली के सम्बन्ध में सूचना देने तथा सहायता प्रदान करने के मामले में आयकर विभाग द्वारा पुरस्कार दिये जाने की योजना 1950 से प्रवर्तमान है ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान सूचना देने वाले व्यक्तियों को 374 दावों के सम्बन्ध में पुरस्कार के रूप में 12.68 लाख रुपये से भी अधिक की रकम अदा की गई । वर्ष 1976-77 के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों आदि में कर्मचारियों की छंटनी किया जाना

*199. **श्री बसंत साठे :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को किफायत बरतने के रूप में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए आदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों में पदों तथा रिक्त पदों को भरने के कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे विद्यमान स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या को कम से कम 10% कम करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करें। देखिये वित्त सचिव का अर्द्ध-सरकारी पत्र दिनांक 13-5-1977। इस पत्र की प्रति दिनांक 17-6-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर में सभा-पटल पर रखी गयी थी । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकारों के संबंध में उन से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मचारियों संबंधी व्यय में किफायत संबंधी उपायों का अनुपालन करें जैसा कि वित्त मंत्रालय के 27-5-77 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, जिसकी प्रति अतारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गयी है ।

(ख) उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, यह पूर्वानुमान है कि कुछ पद फालतू हो जाएंगे और विद्यमान खाली पदों को भरा नहीं जाएगा ।

नार्थ ब्रुक जूट मिल्स, हुगली (पश्चिमी बंगाल)

*201. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नार्थ ब्रुक जूट मिल्स, चम्पडानी, हुगली (पश्चिम बंगाल) में श्रमिकों और कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी किये जाने की धमकी दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां छंटनी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

*202. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पटसन मिलों के आधुनिकीकरण की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उक्त मंजूरी देने से पहले इस मामले पर उद्योग में कार्मिक संघ से विचार विमर्श किया था ; और

(ग) आधुनिकीकरण का पटसन उद्योग में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) भारत सरकार के कहने पर भारतीय औद्योगिक विकास निगम ने आसान शर्तों पर 'ऋण योजना' तैयार की है ताकि कुछ चुने हुए उद्योगों के, जिनमें पटसन भी शामिल हैं, उत्पादन एककों को उनकी मशीनी तथा उपस्करों के आधुनिकीकरण, बदली और नवीकरण के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता दी जा सके और इन उद्योगों के एकक अपनी उत्पादकता और प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि कर सकें । ट्रेड यूनियन के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है । इस योजना में कोई छंटनी होने का सवाल नहीं है ।

केरल राज्य में रबड़ उत्पादकों की समस्याएं

*203. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री स्कारिया थामस :

*क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में रबड़ उत्पादकों को उनके रबड़ उत्पादों के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राज्य के रबड़ उत्पादकों की भलाई के लिए विदेशों में रबड़ की नई मंडियों की खोज करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) रबड़ की कीमत घटती बढ़ती रही है । अगस्त, 1974 में लाट रबड़ (ग्रेड 3, 4 तथा 5) की कीमत बढ़कर 1,012 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी जबकि सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेड 1 रबड़ (आर एम ए 1-एक्स) की न्यूनतम कीमत 520 रुपये प्रति क्विंटल थी । अगस्त, 1976 में लाट रबड़ की कीमत घटकर 520 रुपए प्रति क्विंटल हो गई । इस समय कीमत लगभग 620 रुपये प्रति क्विंटल है ।

(ख) जी हां । राज्य व्यापार निगम ने पहले ही लगभग 14,000 मे० टन रबड़ का निर्यात मुख्यतः जापान, सिंगापुर तथा पश्चिम जर्मनी को किया है । निगम ने यूगोस्लाविया तथा रूमानिया को भी, जो कि नये बाजार हैं, रबड़ का निर्यात किया है । निगम नये बाजारों की खोज भी कर रहा है ।

उपभोक्ता सहकारी समितियों में सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी योजना

1643. श्री के० सुर्यनारायण : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उपभोक्ता सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए पांचवीं योजना में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है ।

(ख) इस स्कीम की मुख्य बातें नीचे दी गई है :—

(1) इस स्कीम में स्वीकृत अखिल भारतीय कार्य योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी आंदोलन का विकास करने की परिकल्पना की गई है । इसके अंतर्गत ये कार्य किए जाने हैं :—

(कक) चुने क्षेत्रों में नए बहु-विभागी भंडार तथा खुदरा केन्द्र खोलना ;

(खख) विकास के लिए अच्छी संभावना रखने वाली वर्तमान संस्थाओं का ठोस आधार पर त्वरित विकास करना ; और

(गग) राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों के स्तर पर थोक क्षेत्र को मजबूत बनाना, ताकि नीचे के स्तरों की उपभोक्ता सहकारी समितियों को तकनीकी मार्ग-दर्शन और प्रबन्धकीय तथा व्यापार सम्बंधी सहायता दी जा सके ।

(2) इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राज्य योजना में निर्धारित अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी । इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आरंभ किए जाने से उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकाश के राज्य सरकारों के सामान्य कार्यक्रमों में किसी प्रकार की कमी अथवा कटौती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों की अनुपूर्ति के लिए केवल चयनात्मक आधार पर दी जानी है ।

(3) इस स्कीम के अंतर्गत गहन विकास के लिए ली जाने वाली संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा/या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के परामर्शदायी तथा प्रोत्साहन सैल या कोई भी अन्य विशेषज्ञ एजेन्सी, जिसकी सहायता इस बारे में ली जाए, द्वारा तैयार की जाने वाली प्रशासनिक, लेखा-पद्धति व कार्य संचालन प्रक्रिया तथा विकास योजनाकमों के अनुसार कार्य करना होगा ।

(4) इस स्कीम के अंतर्गत चुनी संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता राज्य सरकारों द्वारा विशेषज्ञों की सलाह से प्रत्येक संस्था के लिए तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्टों तथा विकास कार्यक्रमों पर आधारित होगी ।

(5) राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों को दी जानेवाली सहायता प्रत्येक संघ के कुल व्यापार तथा उसके विकास की संभाव्यता के अनुसार होगी । खरीद को पूल करने तथा समीकरण भण्डार बनाने के लिए वितरण केन्द्र/भांडागार स्थापित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक संघ को व्यापार के लिए स्थान तथा शाखा-एवं-गोदामों का निर्माण करने के लिए आवश्यकतानुसार सहायता दी जाएगी ।

(6) चुने संस्थानों के पास विकास की संभाव्यता होनी चाहिए और अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ठोस योजना होनी चाहिए, जोकि स्थानीय मांग और चल सकने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए नए फुटकर एकक खोलने तथा पहले से स्थापित एककों के व्यापार में विविधता लाने के रूप में हो सकती है ।

(7) इस स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियों को निम्नलिखित के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा ही है :—

(1) विश्वविद्यालयों तथा स्नातक कालिजों में छात्रों के लिए कामन किचन केन्द्र खोलना ;

(2) कृषि उपज के संसाधन और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उद्योग एककों की स्थापना ।

2. चालू वर्ष में समाज के कमजोर/सबसे कमजोर वर्गों के लाभ के लिए चुने इलाकों में बड़ी संख्या में छोटी शाखाएं (जनता दुकानें) खोलने के लिए प्राथमिकता दी गई है ।

आयकर अधिकारियों का पैनल

1644. **श्री नटवरलाल परमार** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ही अधिकारी के भ्रष्ट आचरणों की संभावनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र के लिए एक ही आयकर अधिकारी की बजाए आयकर- अधिकारियों के पैनल की पद्धति लागू करने पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एव० एम० पटेल) (क) : जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा स्थित जान्स टेक्सटाइल मिल्स को सरकारी नियंत्रण में लेना

1645. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जान्स टैक्सटाइल मिल्स के बन्द होने के परिणामस्वरूप बेकार हुए श्रमिकों को रोजगार देने के विचार से इस मिल को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या बिक्री कर, उत्पादन शुल्क और आयकर की बकाया राशियां अभिग्रहण के मूल्य की मूल्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त होंगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Maintenance of Airstrips in States

1646. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have jurisdiction to inspect airstrips constructed in the States for use in special circumstances and whether financial assistance is provided by the Central Government for the proper maintenance of these airstrips; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) Yes, Sir.

No financial assistance is provided in respect of aerodromes constructed by State Governments. However, technical advice/guidance in selection of sites, layout of facilities and specifications and other "technical know-how" is provided by the Civil Aviation Department as and when requested by the State Authorities.

Qualifications for Recruitment of persons on similar posts in Nationalised Banks

1647. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether different qualifications are prescribed for recruitment of persons on similar posts in the nationalised banks; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) For directly recruited officers in public sector banks, the minimum qualification is graduate with or without certain minimum percentage of marks/Chartered Accountant. For clerical posts, while the minimum qualification is generally a graduate with or without certain minimum percentage of marks, some banks also allow matriculates with a certain percentage of marks to compete. As regards subordinate staff, while the qualification prescribed by some banks is the ability to read and write, others prescribe that the candidate should have studied upto certain standard in the school. Some banks also require that the candidates applying for subordinate staff posts should not have studied beyond certain standard in the school. The qualifications for specialists are prescribed in each bank according to their requirements.

The variations in qualifications are largely a continuation of the past practices obtaining in individual banks.

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा

1648. **श्री कृष्ण हाल्दर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान इन्टरनैशनल एयरलाइंस के एक प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ जो वार्ता की, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) : जी हां।

(ख) मई, 1977 की बैठक में दोनों प्रतिनिधिमण्डलों के बीच निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ :—

(1) दोनों की विमान कम्पनियों के बीच हुए राजस्व पूल समझौते का पुनरीक्षण ;

(2) भारत पाकिस्तान सैक्टरों पर यातायात एवं भावी विमान सेवाओं में अभिवृद्धि के प्रयास :

(3) एक दूसरे के भू-भाग में उड़ानों की पारस्परिक आधार पर प्रबन्ध व्यवस्था :

(4) किराये (टैरिफ) ; तथा

(5) अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले।

प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम सांविधिक मूल्य

1649. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राकृतिक रबड़ का इस समय न्यूनतम सांविधिक मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक रबड़ के विभिन्न ग्रेडों की न्यूनतम कीमतें नीचे दी गई हैं :

रबड़ का ग्रेड तथा क्वालिटी	रु० प्रति क्विंटल
ग्रुप 1	
आर एम ए IX	520.00
आर एम ए I	520.00

ग्रुप 2	
आर एम ए 2.	516.70
आर एम ए 3.	513.40
कटिंग्स नं० 1	496.86
ग्रुप 3	
आर एम ए 4.	505.68
आर एम ए 5.	496.86
कटिंग्स नं० 2	483.64
ग्रुप 4	
प्रीकोआगुलेटिड क्रेप	532.14
पेल लेटेक्स क्रेप IX	527.72
पेल लेटेक्स क्रेप 1	523.32
पेल लेटेक्स क्रेप 2	521.12
पेल लेटेक्स क्रेप 3 एफ ए क्यू	518.92
ग्रुप 5	
एस्टेट ब्राउन क्रेप सुपर IX	510.08
एस्टेट ब्राउन क्रेप IX	501.26
एस्टेट ब्राउन क्रेप 2 X	494.66
स्मोक्ड ब्लैंकेट	501.26
रिमिल्ड क्रेप 2	484.74
ग्रुप 6	
एस्टेट ब्राउन क्रेप 3 X	477.02
रिमिल्ड क्रेप 3	472.62
रिमिल्ड क्रेप 4	460.48
ग्रुप 7	
फ्लैट बार्क	441.74
35 प्रतिशत तक सांद्रण वाले नार्मल लेटेक्स	520.00+ शुष्क रबड़ अंश के प्रति 100 किग्रा० पर 38.58 रु० की बढ़त
36 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (दोनों शामिल हैं) के लेटेक्स सांद्रण	520.00+ शुष्क रबड़ अंश के प्रति 100 कि० ग्रा० पर 72.76 रु० की बढ़त।
51 प्रतिशत से 60 प्रतिशत (दोनों शामिल हैं) के लेटेक्स सांद्रण	520.00+ शुष्क रबड़ अंश प्रति 100 किग्रा० पर 94.80 रु० की बढ़त।

डाक तथा तार विभाग के पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को उनकी देय राशियों का भुगतान

1650. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1976 में घोषणा की थी कि पेंशन पाने वालों को निर्वाहमूल्य में 200 अंकों के ऊपर प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि पर उनकी पेंशन राशि की 5 प्रतिशत महंगाई दी जायेगी ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कार्यवाही की है और डाक तथा तार विभाग के पेंशनभोगियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य पेंशनभोगियों को उनकी देय राशियों का भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भी कभी अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीने के औसत में 16 अंकों की बढ़ोतरी हो, तो सभी भावी पेंशन-भोगियों को उनकी पेंशन के 5% की दर पर राहत दी जानी चाहिए जो कि कम से कम 5 रु० प्रति-माह और अधिक से अधिक 25 रु० प्रतिमाह हो । इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को जिनमें 1-1-73 से पहले सेवा निवृत हुए पेंशनभोगी भी शामिल हैं क्रमशः 1-8-73, 1-1-74 और 1-4-74 से राहत की 3 किश्तें मंजूर की थी उसके पश्चात उपलब्ध साधन-स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए 1-10-75 से पेंशन के 10% तक की तदर्थ आधार पर और आगे राहत दी गई है, जो कम से कम 10 रु० प्रतिमाह और अधिक से अधिक 50 रु० प्रतिमाह है । यह राहत अप्रैल, 1976 में स्वीकृत की गयी थी । पेंशन में ये राहतें डाक तथा तार विभाग के पेंशनभोगियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को दी गयी है । केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को ग्रेड बद्ध दरों पर विशेष राहत देने की घोषणा पहले से ही बजट भाषण में कर दी गयी है । इस संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे ।

सामान्य भविष्य निधि अंदान की प्रतिशतता को बढ़ाना

1651. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्य भविष्य निधि अंशदान की प्रतिशतता को इस समय के 6/1/4 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य भविष्य निधि अंशदान की प्रतिशतता को बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) जी नहीं ।

(अंशदान की वर्तमान न्यूनतम दर 6 प्रतिशत है न कि $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है ।)

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल प्राप्त करने हेतु वनस्पति उद्योग को राज सहायता

1652. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग को राज्य व्यापार निगम से राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्य तेल प्राप्त हो रहा है ।

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था है कि राजसहायता का लाभ उपभोक्ताओं को मिले ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं; वनस्पति यूनिटों को आयातित खाद्य तेल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से हानि-लाभ रहित मूल्यों (एट ब्रैक इवन प्राइसिस) पर दिए जा रहे हैं ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

वनस्पति तेल की कुल मांग के बारे में सर्वेक्षण

1653. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :**
श्री के० मालना :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, राज्यवार, इस समय वनस्पति तेलों की कुल मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन के क्या लक्ष्य नियत किये हैं, और

(ग) देश में इस समय तिलहन साफ करने (प्रोसेसिंग) के कितने कारखाने हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) देश में राज्यवार वनस्पति तेलों की कुल मांग का निर्धारण करने के लिए कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार ने पांचवीं योजना के लिए पांच प्रमुख तिलहनों के बारे में 126 लाख मीटरी टन का लक्ष्य रखा है । इससे लगभग 235 लाख मीटरी टन तेल उपलब्ध होने की आशा है ।

(ग) तिलहन उद्योग के अधिकांशत: विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होने के कारण, तिलहन संसाधन एककों की संख्या तथा उनकी क्षमता, आदि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई एक केन्द्रीकृत अभिकरण नहीं है । तथापि, उपलब्ध जानकारी से देश में 14,110 तेल मिलें होने का पता चलता है । इसके अतिरिक्त नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार इस समय कुल 1,15,400 घानियां है ।

Reasonable Price of Cotton

1654. **Chaudhary Hari Ram Makkasar Godara :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are taking any steps to enable the cultivators to get reasonable price of cotton; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) To ensure remunerative price of cotton to the growers, minimum support prices of raw cotton are announced by Government. The Cotton Corporation of India is required to make support purchases, wherever necessary, when market prices fall below minimum support price level.

सार्वजनक वितरण प्रणाली

1655. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पिछली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुतः समाप्त कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा उसका और विस्तार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) व (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली यद्यपि कमजोर कर दी गई थी; तथापि, इसके अन्तर्गत अब भी गेहूं, चावल, चीनी और नियंत्रित कपड़े का वितरण किया जा रहा है। इसे और मजबूत बनाने तथा इसके अन्तर्गत और आवश्यक वस्तुएं तथा क्षेत्र लाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में चीनी के सहकारी कारखाने

1656. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में 12 नये चीनी के कारखाने लगाने हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन दिया है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने कितनी छूट अथवा वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में प्रस्तावित चीनी के कारखानों के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं, तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित एक आवेदन प्राप्त हुआ है, और यह कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) इस अवस्था में इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवेदन पत्र में प्रस्तावित सहकारी चीनी कारखाना लगाने का स्थान अहमदनगर तहसील बताया गया है।

Intention of Textile Mill Owners to bring down Production

1657. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether textile mill owners intend to bring down production; and

(b) if so, the steps being taken by Government to increase production ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Government is not aware of any such intention.

(b) Does not arise.

House Rent Allowance to Postal Employees stationed in Jorapokhar Town

1658. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Central Government employees of Central Fuel Research Institute located in Jorapokhar town get house rent allowance;

(b) whether postal employees working in this Jorapokhar town are not getting house rent allowance; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir. The Central Fuel Research Institute located in Jorapokhar is an autonomous body and its employees are getting house rent allowance from 23rd March, 1977.

(b) and (c) The postal employees working in Jorapokhar town are governed by Central Government rules, and are not at present getting house rent allowance. The question of giving them house rent allowance will be considered after obtaining necessary certificate from the District Magistrate, Dhanbad, as required under the rules.

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि

1659. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(ख) क्या भूतपूर्व सरकार ने राज्यों में उक्त धनराशि अथवा उसके किसी भाग का किसी प्रकार उपयोग किया है अथवा स्थानान्तरण किया है और यदि हां, तो किन उद्देश्यों हेतु ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अनिवार्य जमा करवाने वाले कर्मचारियों की स्पष्ट रूप से चार श्रेणियां हैं, अर्थात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के कर्मचारी, स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारी/केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अनिवार्य जमा की राशि का हिसाब-किताब मंत्रालय/विभाग के अनुसार रखा जाता है, राज्यवार नहीं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जो गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों के लिए नामजद प्राधिकारी होते हैं; अनिवार्य जमा के लेखाओं का हिसाब-किताब क्षेत्रों के अनुसार रखते हैं, राज्यों के अनुसार नहीं । इसलिए कर्मचारियों द्वारा जमा कराई गई रकमों के आंकड़े राज्य-वार उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी देश भर में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत 3 जून, 1977 तक जमा कराई गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	598.28
(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के कर्मचारी	293.31
(iii) स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी . .	127.58
(iv) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारी	745.51
जोड़	1764.68

(ख) वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य जमा की रोकी गई रकमों से भारतीय रिजर्व बैंक से 480 करोड़ रुपए उधार लिए थे । इससे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध साधनों में वृद्धि हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष केन्द्रीय सरकार राज्यों को दी जाने वाली आयोजना सहायता में बढ़ोतरी कर सकी ।

पैरिस में आयोजित सियाल व्यापार मेले में भाग लिया जाना

1660. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1976 में पेरिस में आयोजित किये गये "सियाल व्यापार मेले" में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भाग लिया था;

(ख) उक्त मेले में किसको उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था;

(ग) क्या उक्त प्रतिनिधि ने अपने स्टेण्ड में स्थित फोन से सरकारी कार्य से अमरीका और अन्य देशों को लम्बी दूरी के प्राइवेट काल बुक किये थे ; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सचिव श्री औपसेप डी० अतोकरन ने प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समुद्री खाद्य के 12 अन्य निर्यातकों को मेले में भाग लेने के लिये प्रायोजित किया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा धागे की कीमतों में वृद्धि

1661. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आपात स्थिति के दौरान हथकरघा धागे की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी ;

(ख) क्या इसकी वजह से अनेक हथकरघा एकक बन्द हो गये हैं और कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) हैंक यार्न की कीमतें, जो फरवरी/मार्च, 1976 तक गिरती रही थी धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुई । 1976 के अन्त से कीमतों में और भी काफी वृद्धि होती रही तथा यह रुख मार्च, 1977 तक जारी रहा ।

(ख) तथा (ग) : कीमत वृद्धि के फलस्वरूप हथकरघा एककों के बन्द होने के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी कीमत-वृद्धि से हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । सरकार ने स्थिति से निपटने के लिये कुछ उपाय किये हैं, जिनमें सूती एवं मानव-निर्मित रेशे के आपात तथा मिलों द्वारा उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध शामिल हैं ।

केरल में काजू उद्योग की समस्या

1662. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में काजू उद्योग की समस्या की ओर ध्यान दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) जी हां ।

(ख) प्रोसेसिंग के लिये कच्चे काजू की कमी के कारण केरल में तथा देश के अन्य राज्यों में काजू उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है । उद्योग की न्यूनतम आवश्यकता लगभग 3 लाख मे० टन है । स्वदेशी उत्पादन का 1.4–1.85 लाख मे० टन का अनुमान है । आवश्यकता तथा उपलब्धता के बीच के लगभग 1.5 लाख मे० टन के अन्तर को आयात से पूरा किया जाना है । पूर्व अफ्रीकी देशों में जो कि भारत के मुख्य संभरक हैं, कम फसल होने के कारण 1976-77 में कच्चे काजू नट का कुल आयात 71,833 मे० टन से अधिक नहीं हो सका । केरल में उत्पन्न कच्चे काजू नट की अधिप्राप्ति, वितरण तथा संचलन पर नियन्त्रण रखने के लिये केरल सरकार ने कुछ उपाय किये हैं ।

उद्योग जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सरकार को उनकी जानकारी है तथा इस वर्ष आयातों को और साथ ही स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

सरकारी व्यय में बचत

1663. **श्री के० मालन्ना :**

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री मीठा लाल पटेल :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सादगी बरतने और सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाने की नीति की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा राज्यों को यदि कोई निदेश दिये हैं तो वे क्या हैं ?

(वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मौजूदा कार्यों, प्रणालियों और कार्यविधियों की छानबीन करके और जो भी आयोग और समितियां स्थापित की गई हैं और जो भी विद्यमान हैं यह देखने के लिए कि उनसे कोई ऐसा महत्वपूर्ण उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है और जो उनका और आगे बना रहना न्यायोचित ठहराता है उनकी विस्तृत जांच करके विद्यमान कर्मचारी संख्या को कम करने की संभावना का पता लगाएं । विद्यमान कानूनों की भी इस दृष्टि से समीक्षा की जानी है कि क्या वे अनावश्यक हो गए हैं और उनके प्रशासन के लिए मूलतः भर्ती किए गए कर्मचारियों को वापस लिया जा सकता है । किफायत संबंधी अन्य उपायों में नए पदों के बनाए जाने पर और खाली पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध, कार्यालय खर्चे में कड़ी किफायत, यात्रा भत्ते और समयोपरि अदायगियों में कटौती, स्टाफकारों, टेलीफोनों से सम्बन्धित व्यय पर प्रतिबन्ध आते हैं ।

ये किफायत संबंधी उपाय सभी राज्य सरकारों के ध्यान में इस अनुरोध के साथ ला दिए गए हैं कि वे भी अपने प्रशासनिक खर्चे के संबंध में ऐसे ही उपायों को अपनाने के बारे में विचार करें ।

आर्थिक अपराधियों पर छापे मारे जाना

1664. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कथित आर्थिक अपराधों के लिए कितने छापे मारे गये ;

(ख) किन एजेंसियों ने ऐसे छापे मारे थे,

(ग) ऐसे छापों का क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या मारे गये छापों के बारे में किन्हीं मामलों का अध्ययन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने 5,912 मामलों में तलाशी और माल पकड़ने की कार्यवाही की जिसके कारण 35.10 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं । कई मामलों में लेखा-बही/दस्तावेज भी पकड़े गये ।

जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने, सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के सम्बन्ध में (लगभग) 66,000 तलाशियां ली/छापे मारे । इन तलाशियों/छापों की कार्यवाहियों के कारण दस्तावेजों के अतिरिक्त (लगभग) 7 करोड़ रुपये मूल्य का सामान पकड़ा गया ।

26 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा पूवर्त्तन निदेशालय द्वारा 3513 मामलों में तलाशियां ली गईं जिनके कारण 47.1 लाख रु० की भारतीय मुद्रा और (लगभग) 19.7 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई तथा ऐसे अन्य दस्तावेज पकड़े गये जिनसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन होने का पता चलता है ।

आन्तरिक आपात-स्थिति के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में 266 तलाशियां ली गई तथा 41 छापे मारे गये। अवरोधन की कार्यवाही की गई । इन कार्रवाई के कारण दोषारोपणीय दस्तावेज 6,324 रुपये मूल्य के जाली नोट, 10,000 रुपये मूल्य का सोना तथा 700 किलोग्राम नारकोटिक द्रव्य पकड़ा गया ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और उन्हें सदन-पटल पर रख दिया जायगा ।

(छ) और (ङ) : छापों के कुछ मामलों का अध्ययन किया गया था । उन से विद्यमान प्रवृत्ति का अनुमान लगाने, सुगमतापूर्वक पार कर सकने योग्य क्षेत्रों को पहचानने और संसाधनों का कारगर ढंग से उपयोग करने में सहायता मिली ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और उन्हें सदन-पटल पर रख दिया जायगा ।

आपात स्थिति के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्यकरण

1665. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आपात स्थिति के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्यकरण में गंभीर अनियमितताओं का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरुप अकबर होटल में अक्तूबर, 1974 से जून, 1976 तक की अवधि के लिए भंजडार सामग्री में 65,376.37 रुपए के मूल्य के सामान की कमी पाई गयी । इस मामले में होटल के संबंधित चार दोषी कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है तथा मामले को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है ।

सरकार को भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्यचालन के बारे में कुछ और शिकायतें भी मिली हैं, जिनमें कुछ और अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कार्यों के आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों की जांच की जा रही है, इनमें से कुछ को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और कुछ की विभागीय तौर पर निगम द्वारा ।

विस्कोज रेशे के उत्पादन में वृद्धि

1666. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विस्कोज रेशे का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कपास उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विस्कोज स्टेपल रेशे का, जो विस्कोज स्पन यार्न बनाने के लिये कच्चा माल है, उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ उपाय विचाराधीन हैं ।

(ख) तथा (ग) रुई की मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर काफी बड़ा है । चूंकि आगामी कुछ वर्षों में विस्कोज स्टेपल रेशे का सम्भावित अतिरिक्त उत्पादन इस अन्तर की अपेक्षा काफी कम होगी, इस लिये विस्कोज स्टेपल रेशे के उत्पादन में किसी वृद्धि से रुई उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसके अलावा वस्त्रों की समन्वित नीति पर, जिसमें रेशों से सम्बन्धित नीति भी होगी, विचार करते समय, इस पहलू को ध्यान में रखा जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास

1667. **श्री दुर्गा चंद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974, 1975 और 1976 में कितने विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू-मनाली, शिमला और अन्य पर्यटक केन्द्रों की यात्राएं कीं;

(ख) 1977 में इन स्थानों में कितने पर्यटकों के आने की संभावना है;

(ग) चालू सीजन में पर्यटकों को क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ विचार बिमर्श करके हिमाचल प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए योजना बना रही है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर तैयार किये जाते हैं न कि राज्यवार या स्थान-वार। तथापि 1972-73 में विदेशी पर्यटकों के बारे में किये गये सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश में शिमला के बारे में सूचना दी गयी है जिसके अनुसार इस अवधि के दौरान भारत आए पर्यटकों की कुल संख्या के 1.19 प्रतिशत ने शिमला की यात्रा की।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मनाली में एक क्लब हाउस का निर्माणकार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है । इसके लिए अनुमानित व्यय के ब्यौरे राज्य सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है । जैसे ही यू एन डी पी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत स्नान चिकित्सा-विज्ञान विशेषज्ञ

(balneological expert) की सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, 'वशिष्ठ' में गर्म पानी के चश्मों की सुविधाओं के विस्तार का भी प्रस्ताव है ।

(घ) हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के एक पर्यटन विषयक संभावनाओं संबंधी विस्तृत सर्वेक्षण के बारे में पर्यटन विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

1668. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नियमित अध्यक्ष ने फरवरी, 1977 में त्यागपत्र दे दिया था; और

(ख) क्या उनके त्यागपत्र दिये जाने के समय, जिस पर जांच-पड़ताल चल रही थी, उनके विरुद्ध कोई आरोप थे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) उनके विरुद्ध प्राप्त हुई कुछ शिकायतों पर विचार हो रहा था लेकिन उनके त्यागपत्र देने के बाद उन पर कार्यवाही नहीं की गई ।

पब्लिक टी वेयरहाउस, कलकत्ता के छंटनी किये गये कर्मचारियों से अभ्यावेदन

1669. **डा० सरदीश राय :**
श्री आर० पी० दास :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पब्लिक टी वेयरहाउस, कलकत्ता के छंटनी किये गये कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अनेक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों ने वहां छंटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल करने का आश्वासन दिया था परन्तु इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सरकार को सार्वजनिक चाय गोदामों के छंटनी किये गये कामगारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कामगारों को सूचित किया गया था कि उनकी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

(ग) भारतीय चाय व्यापार निगम ने, जो भारत सरकार का एक उद्यम है और कलकत्ता में दो सार्वजनिक चाय गोदामों का प्रबन्ध कर रहा है, अधिकतम कार्य की अवधियों में छंटनी किये गये कर्मचारियों को आकस्मिक रोजगार देने का भरसक प्रयत्न किया है । 1975-76 तथा 1976-77 में क्रमशः 97 व्यक्तियों तथा 45 व्यक्तियों को आकस्मिक आधार पर काम दिया गया था, जो कारोबार की मात्रा पर निर्भर था ।

Development of Bodh Gaya as a Tourist Centre

1670. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Central Government had formulated a scheme for the development of Bodh Gaya as a tourist centre;

(b) if so, the progress made in this regard;

(c) whether it had been decided to pay compensation to the people who were shifted from around that place (the Bodhi Vriksha) and an assurance was given that they would be resettled in nearby places; and

(d) if so, whether proper arrangements have been made for all those people ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir.

(b) For the development of facilities at Bodhgaya the State Governments had been requested in July, 1970 to acquire 21.56 acres of land around the Mahabodhi temple for which a sum of Rs. 19.54 lakhs has already been released. The acquisition and transfer of land by the State Government is still awaited. In the meantime the Department of Tourism has commissioned the Town and Country Planning Organisation of the Ministry of Works and Housing to prepare a master plan of Bodhgaya which would include land-use plan, location of facilities already identified and environmental planning. The preparation of the master plan will be taken up during 1977-78. Based on the master plan, the development of facilities will be taken up after the land has been transferred.

(c) and (d) The Department of Tourism has already released Rs. 19.54 lakhs to the State Government for acquiring land around the Mahabodhi temple. The resettlement of the people displaced and compensation to be paid to them is the responsibility of the State Government.

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

1671. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of textile mills in Madhya Pradesh which have been closed down partially or completely but which have been re-commissioned during the last three months;

(b) the reasons for their closure; and

(c) the policy of Government in regard to such mills ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) There was no textile mill in Madhya Pradesh which closed and reopened during the last three months.

(b) Does not arise.

(c) As clarified earlier, the National Textile Corporation has been overburdened with an onerous responsibility of managing 105 sick cotton textile mills at present and the Central Government does not favour take-over of more textile mills for management by the National Textile Corporation. However, if any concerned State Government is prepared to take over sick unit or closed mills, the Central Government would like to render all possible cooperation, whenever such proposals are found viable.

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गौहाटी में होटल का निर्माण

1672. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जाने वाले एक होटल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह शिलान्यास कब किया गया था; और

(ग) इस होटल के निर्माण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की गौहाटी में उस स्थान पर एक होटल का निर्माण करने की योजना है जहां पर्यटन विभाग ने एक पर्यटक बंगले का निर्माण आरंभ किया था। पर्यटक बंगले की प्रायोजना का, जिसे अब कारपोरेशन को हस्तांतरित किया जा रहा है, शिलान्यास अक्तूबर, 1971 में किया गया था। परंतु, प्रायोजना का निर्माण कार्य पहले ठेकेदार द्वारा कार्य रोक देने के कारण, और अब वित्तीय प्रतिबंधों के कारण, नींव स्तर से आगे नहीं बढ़ा है ।

बचत पर ब्याज की दर

1673. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को बचत पर ब्याज की दर कम करने को कहा गया है;

(ख) क्या अल्पकालीन सावधि जमा राशि पर ब्याज की दर काफी कम कर दी गई है; और

(ग) क्या इससे लोगों द्वारा बचत करने की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाओं पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज के ढांचे को और युक्तिसंगत बनाया है । 91 दिन और उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक की परिपक्वता वाली मीयादी जमाओं पर ब्याज की दर में परिवर्तन मुख्य रूप से अल्पावधिक मीयादी जमाओं और दीर्घावधिक मीयादी जमाओं पर ब्याज की दरों में फैलाव को सुचारू बनाने के लिए किया गया है । चैक द्वारा संचालित बचत बैंक खातों और अन्य बचत बैंक खातों के बीच अंतर और चैक-संचालित बचत बैंक खातों पर प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत ब्याज की दर का निर्धारण इन दोनों तरह के खातों के प्रकार पर आधारित है । चैक-संचालित बचत बैंक खाते लेन देन की दृष्टि से कारोबार-सापेक्ष होते हैं और अन्य बचत बैंक खाते वास्तव में बचत में भाग लेने जैसे हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकों की जमा-दरों के परिवर्तन का विभिन्न तरह की बचतों के माध्यम से जुटाई जाने वाली समग्र जमाओं पर कोई स्पष्ट प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है ।

Exports during 1976-77 and 1977-78

1674. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total value of the export made in 1976-77; and

(b) the value of the exports likely to be made in 1977-78 ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The total value of exports during 1976-77 was Rs. 4,980.60 crores.

(b) During 1977-78 attempts are being made to step up exports to a level of Rs. 5,750 crores and if circumstances are favourable, even up to Rs. 6,000 crores.

आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापे

1675. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आयकर विभाग ने किन कंपनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के स्थानों पर छापे मारे थे;

(ख) इस विभाग को प्रत्येक मामले में प्राप्त लेखाबाह्य धन तथा अन्य संपत्तियों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या कुछ बाहरी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों को रफा-दफा कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन मामलों को पुनः खोलने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क), (ख) और (ग) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में आयकर प्राधिकारियों ने 6206 मामलों में तलाशियों लीं और माल पकड़ने की कार्यवाहियां कीं, जिनमें 41.79 करोड़ रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

जिन मामलों में आवश्यक समझा गया, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अधीन आदेश, 90 दिन की निर्दिष्ट अवधि में, जारी कर दिये गये हैं कि पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों में से उतने अंश को विभाग के पास रोक लिया जाय, जो अप्रकट आय पर कर तथा (ब्याज और दंड) के दायित्व संक्षिप्त तरीके से अनुमान लगाकर उसकी अदायगी के लिए तथा विभिन्न प्रत्यक्ष-कर कानूनों के अधीन वर्तमान दायित्वों की अदायगी के लिए पर्याप्त हों।

जिन मामलों में आवश्यक समझा जा रहा है उनमें कर-निर्धारण और दाण्डिक कार्यवाही चालू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष मामले अथवा मामलों के बारे में सूचना चाहिए तो वह इकट्ठी करके दी जा सकती है।

(घ) ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Raid on Mantalai Ashram

1676 **Shri G. S. Tohra :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Customs officials recently raided the Mantalai Ashram of Shri Dhirendra Brahmachari and seized some imported articles from there;

(b) if so, the particulars of the imported goods seized; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) Mantalai Ashram of Shri Dhirendra Brahmachari was searched on 1-5-77 jointly by C.B.I., Local police and Customs. The Customs seized the following imported goods from the Ashram :—

(i) One single barrel gun, made in Japan, with one magazine and 3 components parts along with 18 cartridges;

(ii) One revolver Webly Scot, made in England, with 117 cartridges;

(iii) One .22 short-long or long rifle, made in U.S.A., fitted with telescope sight 4 × 20;

(iv) One fridge Phillips, made in Italy; and

(v) Nine inter-com telephones, National, made in Japan.

(c) Appropriate action under the provisions of the Customs Act has been initiated and the proceedings are in progress.

काजू परिष्करण उद्योग में संकट

1677. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा विदेशों में अपरिष्कृत काजू की उपलब्धता की कमी की वजह से भारत के काजू परिष्करण उद्योग के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) उद्योग को चलाते रहने के लिये कुल कितनी मात्रा में अपरिष्कृत काजू की आवश्यकता होती है और भारत में कितनी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय काजू निगम ने प्रति वर्ष अपरिष्कृत काजू का कितनी मात्रा में आयात किया;

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को काजू के निर्यात सम्बन्धी वचनों को पूरा करने में भारत द्वारा असफल रहने के बारे में अप्रैल, 1977 के अन्तिम सप्ताह के दौरान "न्यूयार्क टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह तथ्य है कि भारत में काजू प्रोसेसिंग उद्योग कच्चे काजू की कमी के कारण कठिनाई का सामना कर रहा है। यह स्थिति कच्चे काजू के आयात में गिरावट से उत्पन्न हुई जो कि 1975-76 में 1,35,718 मे० टन से घटकर 1976-77 के दौरान 71,833 मे० टन रह गया । आयातों में यह गिरावट पूर्व अफ्रीकी देशों अर्थात् तंजानिया, मोजम्बिक तथा कीनिया में कम फसल के कारण हुई, जो कि भारत के प्रमुख संभरक हैं, जिससे उनके निर्यात हेतु बेशी माल पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ख) विगत 15 वर्षों से कच्चे काजू के आयात प्रति वर्ष 1.5 लाख मे० टन तथा 2.00 लाख मे० टन के बीच होते रहे हैं। प्रति वर्ष लगभग 3 लाख मे० टन काजू संसाधित किये जाते हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय काजू निगम द्वारा कच्चे काजू के वार्षिक आयात इस प्रकार रहे :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)
1974-75	1,41,081
1975-76	1,35,718
1976-77	71,833

(घ) जी हां।

(ङ) भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों के बीच की गई संविदाएं विपक्षीय हैं और उन्हें इसी रूप में पूरा किया जाना है । तथापि सरकार चाहती है कि शीघ्र ही कोई समझौता हो जाना चाहिये तथा निर्यातकों को तदनुसार राय दी गई है ।

सरकारी विभागों में प्रस्तावित मितव्ययता के परिणामस्वरूप रोजगार की सम्भावनाओं पर प्रभाव

1678. **श्री निहार लास्कर :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

श्री ए० वाला पजनौर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में मितव्ययता बरतने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके आधार पर सरकार ने अधिक किफायतशारी करने पर जोर दिया है;

(ग) इससे कितनी मात्रा में बचत होगी; और

(घ) क्या इस मितव्ययता से देश में अधिक रोजगार की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देश में कार्यकुशलता में कमी होगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मौजूदा कार्यों, प्रणालियों और कार्य विधियों की छानबीन करके और जो भी आयोग और समितियां स्थापित की गई हैं और जो भी विद्यमान हैं यह देखने के लिए कि उनसे कोई ऐसा महत्वपूर्ण उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है जो उनका और आगे बना रहना न्यायोचित ठहराता है उनकी विस्तृत जांच करके विद्यमान कर्मचारी संख्या को कम करने की सम्भावना का पता लगाएं । विद्यमान कानूनों की भी इस दृष्टि से समीक्षा की जानी है कि क्या वे अनावश्यक हो गए हैं और उनके प्रशासन के लिए मूलतः भर्ती किए गए कर्मचारियों को वापस किया जा सकता है । किफायत संबंधी अन्य उपायों में नए पदों के बनाए जाने पर और खाली पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध कार्यालय खर्चे में कड़ी किफायत , यात्रा भत्ते और समयोपरि अदायगियों में घटौती, स्टाफ कारों, टेलीफोनों आदि से संबंधित व्यय पर प्रतिबन्ध, आते हैं ।

(ग) और (घ) इन किफायत संबंधी उपायों को अपनाने से प्रशासनिक व्यय में वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी । किन्तु प्राप्त की जाने वाली बचतों की मात्रा का पता लगाना संभव नहीं पाया गया है । ऐसा पूर्वानुमान है कि कुछ पद फालतू हो जाएंगे और विद्यमान खाली पदों को भरा नहीं जाएगा । लेकिन इससे कार्यकुशलता को नुकसान नहीं पहुंचेगा अथवा देश में नियोजन संबंधी सामान्य संभावनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सिविल हवाई अड्डा, अहमदाबाद में टर्मिनल/कॉम्पलैक्स

1679. **श्री ए० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल हवाई अड्डा, अहमदाबाद में एक बड़ा आधुनिक तथा सुसज्जित टर्मिनल कॉम्प्लैक्स का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संतोषजनक ढंग से तथा तेजी के साथ चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) निर्माण-कार्य कार्यक्रम के अनुसार संतोषजनक ढंग से चल रहा है । नये टर्मिनल भवन में एक आगमन कक्ष होगा जिसमें

150 यात्रियों व 75 मुलाकातियों (Visitors) के बैठने का स्थान होगा, एक प्रस्थान कक्ष (डिपार्चर कॉनकोर्स) होगा जिसमें 200 यात्रियों व 100 मुलाकातियों के बैठने का स्थान होगा और इनके साथ-साथ, सुरक्षा जांच से निपटे हुए यात्रियों के लिए एक पृथक प्रस्थान प्रतीक्षालय (डिपार्चर होल्डिंग एरिया) होगा जिसमें लगभग 200 यात्री बैठ सकेंगे। इनके अतिरिक्त यात्रियों तथा मुलाकातियों के लिये ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जैसे यात्रियों के लिये आवश्यक सामग्री वाले स्टॉल, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र, डाक तथा बीमा सुविधाएं, अमानती सामानकक्ष तथा सामान वितरण क्षेत्र 'मैज़नीन फ्लौर' पर एक रेस्टोरेंट भी होगा जिसमें 150 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। नये भवन में एक यात्री लौंज के साथ-साथ यात्रियों के लिये एक खुली सार्वजनिक गैलरी की भी व्यवस्था की जा रही है।

नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स की, जिसमें सम्बद्ध एप्रन तथा टैक्सी ट्रेक भी सम्मिलित हैं, अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपये होगी :

कच्चे काजू का आयात

1680. **श्री के० ए० रहीम :**

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **वाणिज्य तथा** नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अफ्रीकी देशों से और अधिक कच्चे काजू का आयात करने की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कच्चे काजू का आयात करने हेतु सरकार से उनको आयात लाइसेंस जारी करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, भारतीय काजू निगम लि०, जिस अभिकरण के माध्यम से कच्चे काजू नट का आयात मार्गीकृत है, अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू नट का अधिक मात्रा में आयात करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है ताकि काजू प्रोसेसिंग उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) तथा (घ) इस विषय पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन पर विचार किये जाने तक सरकार की वर्तमान नीति यह है कि कच्चे काजू का आयात भारतीय काजू निगम लि० के जरिए ही करना जारी रहे।

केरल से नारियल जटा और नारियल जटा से बने उत्पादों का निर्यात

1681. **श्री बी० एम० सुधीरन** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान केरल से कितनी मात्रा में नारियल जटा और नारियल जटा से बने उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 43910 मे० टन।

(ख) 22.57 करोड़ रु०।

हुबली में हवाई अड्डा

1682. **श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली हवाई अड्डे का निर्माण कार्य रोक दिया गया है और उस पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ;

(ख) क्या हुबली-धारवार नगर निगम ने यह क्षेत्र सरकार को निःशुल्क दिया है ;

(ग) क्या हुबली से सभी निर्माण सम्बन्धी उपकरणों तथा कर्मचारियों को हटा लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या हुबली-धारवार नगर निगम ने निर्माण-कार्य जारी रखने के लिए सरकार को 25 लाख रुपये का ऋण (ब्याज रहित) देने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो ऋण को स्वीकार करने और निर्माण कार्य जारी रखने में क्या कठिनाई है; और

(ङ) यह निर्माण-कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) हुबली विमान-क्षेत्र पर निर्माण-कार्य रोक दिया गया है । प्रयोजना पर पहले ही किये जा चुके व्यय की राशि तथा हुबली-धारवाड़ नगर निगम द्वारा नागर विमानन विभाग को सौंपी गयी भूमि के वास्तविक क्षेत्र संबंधी सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रयोजना स्थल से पहरा और निगरानी कर्मचारियों को छोड़कर अपने समस्त कर्मचारियों को हटा लिया है क्योंकि वहां निर्माण कार्य रोक दिया गया है । 6 इंच व्यास वाले कुछ आर० सी० सी० पाइप उक्त स्थल से डबोलिम (गोवा) ले जाये गये थे जहां कि उनकी तुरन्त आवश्यकता थी । जब कभी उनकी पुनः आवश्यकता होगी तो उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी । हुबली विमानक्षेत्र पर एकत्रित की गयी अन्य समस्त सामग्री को उक्त स्थल पर ही रखा जा रहा है ।

(घ) और (ङ) हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने हुबली में एक विमान क्षेत्र के निर्माण के लिए 15 लाख रुपये के ऋण की पेशकश की थी । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया कि यदि अपेक्षित हुआ तो हुबली-धारवाड़ नगर निगम से अथवा जनता से एकत्रित किये जाने वाले ऋण के रूप में 10 लाख रुपये की एक और राशि भी उपलब्ध कराई जा सकेगी । परन्तु, प्रायोजना को पूरा करने के लिये अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पड़ेगी और यदि ऋण स्वीकार कर लिया गया तो उसकी अदायगी के लिये भी निधियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी । साधनों की कमी के कारण नागर विमानन विभाग की विभिन्न योजनाओं का, प्राथमिकताओं और इंडिया एयरलाइंस की भावी योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए, पुनरीक्षण करना पड़ा । अतः, हुबली में विमानक्षेत्र के निर्माण-कार्य को आस्थगित करना पड़ा । इस समय यह कहना संभव नहीं होगा कि निर्माण-कार्य को पुनः कब आरम्भ किया जाएगा ।

आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव

1684. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी और उनके ऊंचे मूल्यों को देखते हुए उनके निर्यात पर रोक लगाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या देश में उनका वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सार्वजनिक खपत वाली आवश्यक वस्तुओं के विषय में निर्यात नीति निश्चित करते समय घरेलू बाजारों में इन वस्तुओं की मांग पर समुचित ध्यान दिया जाता है और घरेलू कीमतों तथा प्राप्यता पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम बनाने के लिये निर्यात की मात्राएं विनियमित की जाती हैं और कुछ मात्राओं में ऊपर रोक भी लगा दी जाती है । घरेलू कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये और माल की कमी पूरी करने के उद्देश्य से दालों, आलू तथा प्याज का निर्यात रोक दिया गया है । इसी प्रकार, खाद्य तेलों के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है ।

(ग) जहां भी संभव होगा सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करने का प्रयत्न करेगी ।

सिगरेटों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य

1685. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ब्रांडों की सिगरटें बाजार से गायब हो गई हैं या ऊंचे मूल्य पर बिक रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रवृति के अन्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं में फैलने से पूर्व ही स्थानीय प्राधिकारियों को इस बारे में कुछ करने के लिए हिदायतें देने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) राज्यों से मिली सूचना के अनुसार सिगरेटों की सप्लाई की स्थिति आमतौर पर संतोषजनक है । इसी तरह लिए जाने वाले इनके मूल्य आमतौर पर विनिर्माता कंपनियों के मूल्यों के अनुसार ही हैं । तथापि, कुछ स्थानों पर सिगरेटों के थोड़े से ब्रांडों के बारे में अस्थायी स्वरूप की स्थानिक कमियों की इक्की-दुक्की सूचनाएं मिली हैं । इसका एक कारण सिगरेट बनाने वाली कम्पनी के एक कारखाने में लम्बे समय तक चली हड़ताल है । हड़ताल समाप्त किए जाने की सूचना मिली है ।

(ख) स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसके बारे में ध्यान रखा जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं का सामान्य प्रवाह बना रहे और उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य न लिए जाएं ।

ग्रामीण बैंक

1686. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार, अब तक कुल कितने ग्रामीण बैंक हैं, प्रत्येक बैंक में कुल जमा राशि कितनी है तथा इन बैंकों में कितने जमाकर्ता हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : आज तक देश में 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं । उनका राज्यवार वितरण तथा 31 मार्च, 1977 तक स्थापित किये गये 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं विषयक ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 503/77]

Payment of Income-Tax by Maruti Limited

1687. **Shri Krishna Kumar Goyal** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the amount of income-tax outstanding against Maruti Limited, Gurgaon; and

(b) the action being taken to realise this amount?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel): (a) & (b) No amount of income-tax is outstanding against Maruti Limited, Gurgaon, in respect of its own assessments.

However, recovery proceedings have been taken against Maruiti Limited on account of its failure to comply with the garnishee notices issued to it under section 226(3) of the Income-tax Act, 1961 by the Income-tax Officer, 'A' Ward Bhatinda, in respect of deposits standing in its books in the name of another tax-payer from whom certain amounts were due by way of taxes, penalty and interest. The officer, Rohtak, passed an order attaching the land and factory building of Maruti Limited. On receipt of certain objections against the sale of the property, the proceedings have been adjourned to 14-7-1977.

Steps to Check Smuggling

1688. **Shri Ramjiwan Singh**: Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether there has been an increase in Smuggling activities during the past few weeks; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check it?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel): (a) No Sir, reports received do not indicate increase in Smuggling activities during the past few weeks.

(b) Although smuggling continues to be effectively contained, anti-smuggling measures have been reinforced and the field formations have been instructed to take stringent action against smugglers under the normal law. These measures include strengthening of investigation and intelligence set ups, rummaging of ships arriving from senstitive ports and patrolling of vulnerable areas on the sea cost and the main transport routes.

Incentives to Indians Living Abroad for Setting up Industries in India

1689. **Shri Yagya Datt Sharma**: Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration under which Indians living abroad are to be encouraged to set up industries in this country; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel):(a) and (b) While no specific proposal in this regard is under consideration now, there are already certain schemes in force providing concessional treatment to Indians living abroad to encourage them to set up industries in India. It is the policy of the Government to keep this matter under constant review.

भारत-विदेश वाणिज्य मंडल से प्राप्त हुए अभ्यावेदन

1691. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-विदेश वाणिज्य मंडल से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अफगानिस्तान के साथ सभी आयात एवं निर्यात व्यापार भू-मार्ग से करने के लिये अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

1692. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामलों में जांच शुरू की है;

(ख) ये मामले कब से विचाराधीन है; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि पिछले तीन कलेण्डर वर्षों अर्थात् 1974, 1975 और 1976 के दौरान उसने भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध 69 मामले जांच के लिये अपने हाथ में लिये हैं।

(ख) 1-6-1977 की स्थिति के अनुसार इन 69 मामलों में से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास केवल 7 मामले बकाया थे जिनमें जांच की जानी है। इन में से 3 मामले एक वर्ष से अधिक, 2 मामले छः महीने और एक वर्ष के बीच और दो मामले छः महीने से कम के हैं।

(ग) निपटाये गये 62 मामलों में से, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 16 मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये जा चुके हैं और अन्य तीन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यरो मुकदमा चलाने के लिये बैंक की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है। एक मामले में बैंक ने दोषी अपराधी को नौकरी से निकाल दिया और मामला समाप्त कर दिया गया। बाकी के 42 मामलों में से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बैंक को सिफारिश की गई है कि सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध 41 मामलों में विभागीय कार्रवाई और एक मामले में ऐसी कार्रवाई की जाये जो आवश्यक समझी जाये। इन 42 मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिश पर भारतीय स्टेट बक द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में यथा सभव सूचना इकट्ठी की जायेगी और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Foreign Exchange unearthed during searches conducted in palaces at Jaipur and Gwalior

1693. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange recovered during searches conducted in palaces at Jaipur and Gwalior during emergency; and

(b) the names of gazetted officers who had been posted at both these places?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) No search was conducted in palaces at Jaipur during the internal Emergency. No foreign exchange has been recovered during the searches conducted in palaces at Gwalior during the internal emergency.

(b) Does not arise in view of reply to (a) given above.

सोवियत रूस के साथ व्यापार समझौता

1694. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री 'ट्रिब्यून' दिनांक 14 अप्रैल, 1977 के पृष्ट 5 पर प्रकाशित समाचार के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के साथ व्यापार समझौते भारत के लिये लाभप्रद नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह सही नहीं है कि सोवियत संघ के साथ व्यापार करार भारत के लिये लाभकारी नहीं रहे हैं। यह करार दोनों देशों के आपसी लाभ के लिये हैं?

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में मूंगफली के तेल का उत्पादन

1695. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात देश के लिये अधिकांश मूंगफली के तेल का उत्पादन कर रहा है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में मूंगफली के तेल का कम उत्पादन होने का कारण, भारत में तेल की भारी कमी हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके उत्पादन में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गुजरात राज्य सामान्यतः देश में कुल मूंगफली के तेल के उत्पादन का लगभग 25% भाग तैयार करता है।

(ख) वर्ष 1974-75 में गुजरात में लगभग 16 लाख मीटरी टन की सामान्य उपज की तुलना में 4.65 लाख मीटरी टन मूंगफली का उत्पादन हुआ। तथापि, वर्ष 1975-76 में 20.35 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ। 1976-77 में लगभग 19 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है। मूंगफली उगाने वाले किसी भी प्रमुख राज्य में मूंगफली के उत्पादन में होने वाली किसी भी कमीवेशी का प्रभाव देश में मूंगफली के तेल की कुल उपलभ्यता पर पड़ता है।

(ग) देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के प्रयासों में मदद देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :--

(i) गहन तिलहन विकास कार्यक्रम--जिसमें विभिन्न राज्यों के चुने हुए जिलों में क्षेत्रीय आधार पर इकट्ठी पहुंच (पैकेज अप्रोच) अपनाने की परिकल्पना की गई है।

(ii) तिलहनों का सिंचित क्षेत्रों में विस्तार--जिसके अन्तर्गत अच्छी सम्भाव्यता रखने वाले बड़ी सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में तिलहनों की खेती को ध्यान में रखा जाता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिये उन्नत तकनीकों के जरिये खेती किये जाने की पद्धति का प्रचार करने की परिकल्पना भी की गई है।

विदेशों से सहायता

1696. **श्री एस० कुण्डु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1976-77 और 1977-78 में विभिन्न देशों से विदेशी ऋण और सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई अथवा प्राप्त होने की सभावना है और उनकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रकार प्राप्त हुई सहायता अथवा प्राप्त होने वाली सहायता हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगी; और

(ग) इस प्रकार प्राप्त हुए ऋणों और सहायता के लिये ऋण सेवा प्रभार के रूप में कितनी धनराशि अदा की जायेगी?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) वर्ष 1976-77 में भिन्न-भिन्न देशों/स्त्रोतों से मिलने वाले विदेशी ऋणों की सकल राशि का अनुमान 1639.36 करोड़ रुपये का है। वर्ष 1977-78 के लिये अनुमान 1665.32 करोड़ रुपये का है।

इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऋणों की वापसी प्रत्येक ऋण करार की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि में की जानी है। आम तौर पर इन ऋणों की वापसी की अवधि 5 से 40 वर्ष तक होती है

जिसमें शुरू में 1 से 10 वर्ष तक की रियायती अवधि होती है। प्रत्येक मामले में ब्याज की दर अलग-अलग होती है जो शून्य से लेकर 8.9 प्रतिशत वार्षिक तक होती है।

वर्ष 1976-77 में विदेशी ऋणों पर सरकार द्वारा ऋण सेवा प्रभार के रूप में 567.53 करोड़ रुपये की रकम अदा की गई जिसमें 369.05 करोड़ रुपये मूलधन की वापसी के और 198.48 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी के थे। वर्ष 1977-78 में ऋण सेवा प्रभार के रूप में सरकार को 612.90 करोड़ रुपये अदा करने हैं जिसमें 400.55 करोड़ रुपये मूलधन की वापसी के और 212.35 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी के हैं।

(ख) भुगतान शेष सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के अलावा विदेशी सहायता से आंतरिक बचतों में भी वृद्धि होती है। अतः इस समय हमें जितनी विदेशी सहायता मिलती है यदि भविष्य में उससे अधिक सहायता मिले तो अच्छा होगा क्योंकि इससे हमारा निवेश स्तर ऊंचा हो जायेगा।

Allotment of Government Vehicles to Officers

*1697. **Shri Kalyan Jain** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether there are detailed rules in regard to allotment of Government vehicles to the Officers;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether most of the Government vehicles are utilised for domestic and private work; and

(d) the steps proposed to be taken to check this trend?

Minister for Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) (a) and (b) The use of Ataff Cars in Government offices is regulated under the Staff Car Rules issued by by the Ministry of Finance. These Rules contain detailed instructions regarding control of staff cars, the responsibilities of the controlling officers, the kind of journeys for which the staff cars are intended to be used, the journeys for which the use of staff cars is totally prohibited, the kind of non-duty journeys for which the staff cars can be used on payment at prescribed rates, etc. The Rules stipulate that the use of staff cars is not permissible for journeys to places of entertainment, public amusement, parties, pleasure trips, etc. Journeys for purposes of shopping or for taking children to schools would also fall in the prohibited category. The use of a staff car for such journeys even on payment is prohibited. The Rules contemplate certain situations in which staff cars can be used on non-duty purposes but on payment, provided official requirements are not interfered with in any way. Ministries have the discretion to decide in cases of doubt whether a particular journey should be treated as private or official, but in exercise of this discretion, it is not open to the Ministries to allow the use of staff cars, even on payment for journeys falling within the prohibited category. It has also been provided in the Rules that it is the responsibility of the controlling officer to ensure effective supervision over the use of staff cars. For this purpose, he is required to see that the Log Book is maintained in the prescribed form in accordance with the instructions. The Rules also prescribe *inter-alia* that the officers using staff cars should themselves give in the Log Book sufficient particulars to indicate that the journeys performed were on official business. Where instances of improper use of staff cars come to notice, the controlling officers are required to take appropriate action and where necessary, bring them to the notice of the next higher authority. Rules also stipulate that a senior officer, preferably of the rank of Joint Secretary in each Ministry should scrutinise the log book once a month to ensure that there is no misuse and that all officers who use the staff car have made the necessary entries and a certificate to this effect has been recorded in the Log Book by the officer so authorised.

(c) and (d) Provided official requirements are not interfered with in any way and subject to recovery of prescribed charges, Staff Cars can be permitted to be used for private work by an officer normally not below the rank of Deputy Secretary. Some instances of

improper use of staff cars were brought to the notice of this Ministry in the years 1972 and 1974. The Ministries/Departments were accordingly instructed to ensure that the Staff Car Rules and other instructions on the subject are rigorously enforced. After issue of these instructions, improper use of staff cars has not come to notice.

Concessions to Handloom industry in Madhya Pradesh

1698. **Shri Kalyan Jain:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the state of Handloom Industry in Madhya Pradesh is unsatisfactory;

(b) whether Government propose to grant more concessions to them; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) As compared to the country, handloom industry in Madhya Pradesh cannot be regarded as unsatisfactory.

(b) & (c) Do not arise. However, a number of handloom development programmes are in operation in Madhya Pradesh as part of the overall plan of operations, as in other States.

Local Production centre in Madhya Pradesh for export of Tusser

1699. **Shri Kalyan Jain :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether any central financial assistance is being provided for setting up local production centre in Madhya Pradesh for the export of Tusser; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) & (b) Government of India has sanctioned in the year 1976-77 an export-oriented production project for Madhya Pradesh. The outlay on the project is about Rs. 40 lakhs and it is centrally financed. Out of 800 looms to be covered by the project, 200 looms are proposed to be exclusively used for manufacturer of tusser silk goods. The project provides for modernisation of handlooms, processing and design facilities, supply of raw materials and also exports of the finished products.

वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत निगमों का पुनर्गठन

1700. श्री **बसंत साठे** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत बहुत से निगमों का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विधाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसे निगमों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क तथा (ख) इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है: मोटी-मोटी बातें बताना तभी संभव हो सकेगा जब इस समय चल रहे अध्ययन पूरे हो जायेंगे।

भारत तथा अमेरिका के बीच एयर इण्डिया का यात्रा किराया

1701. श्री बसंत साठे क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने भारत तथा अमरीका के बीच का यात्रा किराया 758 डालर से बढ़ाकर 854 डालर करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और क्या किराया निर्धारित किया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) भारत सरकार के अनुमोदन से एयर इंडिया ने 1 मई, 1977 से यू० एस० ए०/भारत/यू० एस ए० भ्रमण किराया 758 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 854 अमरीकी डालर कर दिया:--

इस वृद्धि पर निम्न बातों को दृष्टि में रखते हुए सहमति हुई थी :--

(i) विमानन ईंधन की लागत में वृद्धि;

(ii) 'हैंडलिंग, प्रभारों में वृद्धि;

(iii) दिकचालन उपकरणों तथा विमान क्षेत्रों के उपयोग के लिये प्रभारों में वृद्धि; और

(iv) लागतों में सामान्यतया वृद्धि।

Steps to Develop Spots by Tourist Attraction to Jhalawar District (Rajasthan)

1702. **Shri Chatuurbhuj:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there are several spots of tourists' attraction like Sun Temple of Jhalrapatan, Shantinath Jain Temple, Dwarikadhish Temple, ruins of Chandravati, Archaeological museum, Rainbasera, Bhavani Parmanand Library, old fort of Gagron, Jain Temple situated at Chandkheri and famous caves of Kolvi in Jhalawar district in Rajasthan;

(b) if so, the steps taken to develop, repair and renovate these spots and the expenditure incurred thereon so far during the last three years; and

(c) the steps being taken by Government to develop this area with a view to make it a place of tourist importance?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) (b) and (c) Government is aware of the various monuments, temples, etc. in the Jhalawar district of Rajasthan. However, due to constraint on resources and other priorities no tourism scheme has been taken up in the Central Sector in this area.

Central Assistance for National Fairs Organised in Rajasthan

1703. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government provide central assistance for fairs organised in different parts of the country;

(b) the names of such national fairs organised in Rajasthan which receive the Central assistance; and

(c) whether Government propose to include Chandra Sagar and Gomati Sagar cattle fairs of Jhalawar district also in this list?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

सरकारी अधिकारियों को मील भत्ता

1704. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकारियों को स्कूटर/कार/टैक्सी आदि द्वारा मील भत्ते की दरें पैट्रोल के मूल्य बढ़ने से पहले निर्धारित हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो ईंधन की वर्तमान दरों के अनुसार मील भत्ते की दरें संशोधित न करने के क्या कारण हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उस तारीख तक पैट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि को भी ध्यान में रखने के पश्चात् 1-6-1974 से सरकारी कर्मचारियों के लिये स्कूटर, कार और टैक्सी द्वारा मील भत्ते में संशोधन कर दिया गया है।

(ख) 1-6-1974 के पश्चात् मील दूरी भत्ते की दरों में संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि उस तारीख के पश्चात् पैट्रोल की कीमतों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

ए० जी० सी० डब्ल्यू एम० और ए०जी०सी०आर० में मिसिंग क्रेडिटों को अंतिम रूप देना

1705. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के बावजूद कि लेखों के विभागीयकरण को काफी समय हो गया है ए० जी० सी० डब्ल्यू० एम० और ए० जी० सी० आर० आदि द्वारा संबंधित विभागों को सामन्य भविष्य निधि के लेखों को स्थानान्तरण करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में 'मिसिंग क्रेडिटों' को अन्तिम रूप नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य भविष्य निधि में 'मिसिंग क्रेडिटों' का मिलान करने के लिये तथा सभी लेखों को अद्यतन बनाने के लिये कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित न करने के क्या कारण हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) तथा (ख) नियंत्रक महा लेखा परीक्षक ने 1975-76 के वर्ष के सभी आहदाताओं के भविश्य निधि लेखाओं को पूरा करने तथा अधिक-से-अधिक 31-10-1976 तक वार्षिक लेखाओं के विवरण पत्र जारी करने के लिये सभी महालेखा-कारों को अनुदेश जारी किये थे और शेष रकमों को विभागीय वेतन तथा लेखा कार्यालयों को अन्तरित करने से पहले अधिकतम सम्भव मात्रा तक अन्तरों का पता लगाने तथा उन्हें निपटाने के लिये सभी भरसक प्रयत्न भी करने के लिये कहा था। परन्तु, मिसिंग क्रेडिटों की अधिक संख्या होने तथा मामलों में जटिलता होने के कारण लेखाओं को मिसिंग क्रेडिटों के साथ ही अन्तरित किया जा रहा है। संगणक पर आधारित लेखे जो महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा रखे जाते थे उन्हें "जैसा भी है जहां भी है" के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 1-10-1976 से अपने हाथ में ले लिया है और रकमों को लेखा पुस्तकों में चढ़ाने से संबंधित बकाया काम को निपटाने के लिये तथा मिसिंग क्रेडिटों का पता लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Import licences granted during 1976-77

1706. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of articles for whose import licences were granted during 1976-77 when they were available indigenously, the value of those licences and for whom those articles were imported;

(b) whether these articles were available at high cost or they were of inferior quality or they were not available in adequate quantity; and

(c) whether these articles are proposed to be imported again during 1977-78?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia

(a) : Such information is not separately available. Collection of this information would involve examination of hundreds of licences issued by the Headquarters Office of the Chief Controller of Imports & Exports as well as the various port offices. However, this information is published in weekly bulletins, copies of which are regularly supplied to Parliament library.

(b) : The sponsoring authorities recommend imports having due regard to quality, price, delivery schedules, etc. of indigeneous products and subject to the provisions in the import policy.

(c) : In the Import Policy for 1977-78, it has been ensured that the legitimate interests of the indigenous industry are adequately safeguarded.

Provision of Subsidy for Consumer Goods

1707. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government provide subsidy for many consumer goods and supply them to consumers ; and

(b) if so, the facts there of and the list of such goods; and

(c) Government's policy in regard to subsidising items like milk, medicines and reading materials?

Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia)

(a), (b) and (c) : The information is being collected and will be placed on the *Table* of the House.

रुपयों में व्यापार करार

1708. **श्री डी बी चन्द्रगौड़ा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत के साथ रुपयों में व्यापार करते थे;

(ख) क्या कुछ देशों ने इस प्रकार की व्यवस्था को जारी रखने की फिर मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और भारतीय रुपयों में विदेशों से चल रहे व्यापार की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जिन देशों के साथ भारत की रुपयों में व्यापार की व्यवस्था है वे ये हैं :

कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य, नेपाल, अफगानिस्तान, सोवियत संघ, रूमानिया, हंगरी, बल्गारिया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य तथा चेकोस्लोवाकिया इसके अलावा हमारी मित्र यूगोस्लाविया तथा बंगलादेश के साथ भी रुपया भुगतान व्यवस्था थी लेकिन वह समाप्त हो गई है।

(ख) जी हां।

(ग) सात यूरोपीय देशों अर्थात् सोवियत संघ, पोलैंड, बल्गारिया, रूमानिया, हंगरी, जर्मन लोकतन्त्री गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया तथा कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य के साथ भारतीय व्यापार, व्यापार तथा भुगतान करारों के ढांचे के भीतर किया जाता है।

सात पूर्व यूरोपीय देशों अर्थात् सोवियत संघ, पोलैंड, बल्गारिया, रूमानिया, हंगरी, जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य तथा चेकोस्लावाकिया के साथ भारत के व्यापार में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में समाशोधन लेखा प्रणाली के माध्यम से द्विपक्षीय सन्तुलित व्यापार की व्यवस्था है। भारत द्वारा आयात से इन देशों को रुपयों में धनराशियां प्राप्त होती हैं और भारत से खरीदारियों के माध्यम से इन धन राशियों का

समापन हो जाता है। भारत इन देशों से बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुयें तथा पूंजीगत उपस्कर आयात करता है तथा उन देशों को परम्परागत तथा अपरम्परागत दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करता है।

कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य के मामलों में व्यापार वार्षिक व्यापार योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। हमारे आयातों में ये वस्तुयें आती हैं: मेगनेशिया, क्लीकर, इलेक्ट्रोलाइटिक जिंक, अभ्रक, संश्लिष्ट रेशे, गंधक आदि। जबकि निर्यात इनसे संबंधित हैं: इस्पात की छड़ें, पटसन के बोरे, मैंगनीज अयस्क, फैरो मैंगनीज कोयला आदि।

नेपाल के साथ भारत का व्यापार भारत नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि 1971, के अनुसरण में किया जाता है। नेपाल से आयात की जाने वाली तथा नेपाल को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की, समय-समय पर किये गये अपवादों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, बिना किसी आयात और निर्यात नियंत्रण प्रतिबन्धों के अनुमति हैं बशर्ते कि ये वस्तुयें, उनके अपने-अपने देशों में या तो उत्पादित की गई हों अथवा विनिर्मित की गई हों।

अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार, सितम्बर, 1975 में हस्ताक्षरित भारत अफगान व्यापार करार के अनुसरण में किया जाता है, जो तीन वर्षों के लिये वैध है। अफागास्तिान के साथ व्यापार संशोधित वस्तु विनियम प्रणाली के आधार पर किया जाता है। जिसके अनुसार एक देश जो माल आयात करता है उसे बराबर के मल्य का माल दूसरे देश को भेजता है उक्त मालों की सूची करार के साथ संलग्न अनुसूची में दी हुई है इनके लेखे स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा भारतीय रुपये में रखे जाते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश को इन अनुसूचियों में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात / आयात का भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में होता है।

भारत तथा मिस्र और सूडान के बीच कई वर्षों से द्विपक्षीय व्यापार कार्यक्रम चलते रहे हैं। इनमें मिस्र के मामले में कुछ वस्तुओं के बारे रुपयों में तथा सूडान के मामले में पौंड स्टर्लिग में व्यापार की व्यवस्था है। 1-1-77 से सूडान के साथ व्यापार मुक्त विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया है। मिस्र के मामले में भी सिद्धान्तरूप से यह सहमति हो गई है कि 1-1-77 से यह व्यापार रुपये में परिवर्तित करके विदेशी मुद्रा में कर दिया जाये। हां, दोनों के बीच हाल ही में विचार विमर्श होना है। व्यापार योजनाओं के स्तरों से अधिक का व्यापार मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर किया जाता रहा है।

कोचीन में निर्यात परिष्करण जोन

1709. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में निर्यात परिष्करण जोन स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) तथा (ख) कोचीन में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्थापना अगस्त, 1975 में प्राप्त हुई थी। सरकार ने मई, 1976 में मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी सामान्य नीति पर विचार किया था तथा यह विनिश्चय किया गया था कि नये मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात प्रोसैसिंग क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन न दिया जाये। केरल की राज्य सरकार को दिसम्बर, 1976 में इस विनिश्चय से अवगत करा दिया गया था। इस सामान्य विनिश्चय में संशोधन करने की कोई प्रस्थापना इस समय विचाराधीन नहीं है।

पनमुडी (केरल) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

1710. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम में पनमुडी नामक स्थान से पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या ह; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले में अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) केरल के त्रिवेंद्रम जिले में पनमुड़ी का केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

धर्मार्थ न्यासों की प्रकाशन-गतिविधियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1711. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय (आई०टी० रिपोर्ट खण्ड संख्या 101 लोक शिक्षण ट्रस्ट का मामला) को देखते हुए धर्मार्थ न्यासों की सभी प्रकाशन-गतिविधियों को व्यवसायिक गतिविधियां *माना* गया है और आय-कर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत उपलब्ध को अब वापस ले लिया *जायेगा* जिसके परिणामस्वरूप इस ट्रस्ट को भारी कठिनाइयां हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में गत दो वर्षों की अवधि के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) उच्चतम न्यायालय ने एकमात्र ट्रस्टी लोक शिक्षणन ट्रस्ट बनाम आय-कर आयुक्त (101 आई०टी०आर० पृष्ठ 234) के मामले में निर्णय दिया है कि आय-कर से छूट प्राप्त करने के लिए सामान्य सार्वजनिक हित के उद्देश्य से गठित धार्मिक ट्रस्ट को चाहिये कि लाभ के लिए कार्यकलाप में प्रवृत्त नहीं हो। लाभ के लिए कार्य कलाप क्या है, यह प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में जांच करने का है। कोई ट्रस्ट लाभ कमाने की दृष्टि से प्रकाशन का काम करता है तो वह आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत छट पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसे मामलों में ट्रस्ट को दान देने वालों की धारा 80-जी के अन्तर्गत कटौती नहीं मिल सकेगी।

(ख) सरकार को इस बाबत दरख्वास्तें मिली हैं।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

अपरिष्कृत काजू का आयात

1712. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अपरिष्कृत उद्योग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अपरिष्कृत काजू का आयात अफ्रीकी देशों से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हम कौन-कौन से देशों से अपरिष्कृत काजू का आयात कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल के उन कारखानों में श्रमिकों की स्वीकृत संख्या 1,20,039 है जो भारतीय काजू निगम से आयातित कच्चे काजू का आबंटन प्राप्त करने के पात्र है। गैर-पात्र कारखानों के संबंध में श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु अनुमान है कि यह लगभग 22,392 होगी। अतः केरल राज्य में काजू प्रोसेसिंग उद्योग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,42 431 आंकी जाती है।

(ख) तथा (ग) भारतीय काजू निगम द्वारा मुख्यतः पूर्व अफ्रीकी देशों अर्थात् तंजानिया, मोजांबिक तथा कीनिया से कच्चे काजू का आयात किया जाता है और सेनेगल, दाहोमें, गिनी तथा मडगास्कर से भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में काजू का आयात किया जाता है।

केरल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

1713. **श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान केरल में कितनी कपड़ा मिलें बन्द हुई थीं;

(ख) कुल कितनी अनुमानित हानि हुई; और

(ग) इन मिलों को पुनः खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) केरल में 4 सूती वस्त्र मिलें हैं जो सन् 1975 और सन् 1976 में बंद हो गई थीं और अब तक बन्द पड़ी हैं। इससे 65008 तकुए और 100 करघे बेकार हो गये और उनसे जो उत्पादन होता उसके बराबर हानि हुई।

(ग) 4 बन्द मिलों में से एक मिल केरल सरकार के प्रबन्ध के अधीन है और वह सरकार इस मिल को पुनः चालू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है। क्योंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के ऊपर इस समय 105 रुग्ण सूती वस्त्र मिलों के प्रबन्ध का बहुत भारी उत्तरदायित्व पहले से ही है इसलिए निगम द्वारा और अधिक रुग्ण अथवा बन्द मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना उचित नहीं समझा जाता। परन्तु राज्य सरकार द्वारा रुग्ण एककों को अधिकार में लेने के किसी अर्थ-क्षम प्रस्ताव पर अनुकूल विचार किया जायेगा।

Production of Opium in Jhalawar District

1714. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the opium production in the Jhalawar district for the last three years, year-wise, and the measures being taken to increase its production by extending opium cultivation; and

(b) the incentives being provided to opium growers for this work?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) (a) : The quantity of opium produced in the Jhalawar district during the last three years, year-wise, was as under:—

Year	Quantity of opium produced at 70° C.
	(Tonnes)
1974-75 .	137
1975-76 .	142
1976-77	98 (Provl.)

Poppy cultivation has been extended to all the tehsils in Jhalawar district. The shortfall in production during 1976-77 has been due to adverse weather conditions. The question of increasing the area in the district for poppy cultivation during the crop year 1977-78 will be considered, as usual, at the time of issue of licences.

(b) : The Government has taken the followiug steps to increase the production of opium in the country and for giving incentive to the poppy growers:—

(i) The price of opium payable to a poppy cultivator is fixed on a sliding scale depending on the yield of opium tendered by him. A cultivator giving a higher yield of opium per hectare is paid at a higher rate.

(ii) Cash awards are given in each Opium Division to the poppy cultivator who tenders the highest yield of opium.

(iii) Demonstrations are arranged for educating the cultivators in the use of pesticides and fertilizers.

(iv) Experimental farms have been set up in some of the poppy growing areas for conducting experiments on poppy seeds, soil and fetilizers etc. with a view to improving the yield and quality of opium. Results obtained from these experiments will be used for imparting guidance to the poorpy cultivators for increasing their output of opium.

(v) The Government has also undertaken a number of long-term research schemes or various ospects of poppy cultivation and production of opium. Results when available, would help the poppy cultivators in improving the yield and morphine content of opium.

(vi) The cultivators are assisted in procurement of chemical fertilizers and pesticides for use in their poppy fields.

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को राहत

1715. **डा० बापू कालदत्ते : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता राहत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या निर्वाह लागत में वृद्धि होने की दशा में कोई किस्त देय हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) से (घ) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भी कभी अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960= 100) के 12 महीने के औसत में 16 अंकों की बढ़ोतरी हो, तो तभी भावी पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन के 5 प्रतिशत की दर पर राहत दी जानी चाहिए जो कि कम से कम 5 रु० प्रतिमाह और अधिक से अधिक 25 रु० प्रतिमाह हो। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को जिनमें 1-1-73 से पहले सेवा निवृत्त हुए पेंशनभोगी भी शामिल हैं क्रमशः 1-8-73, 1-1-74 और 1-4-74 से राहत की 3 किश्तें मंजूर की थीं। उसके पश्चात् उपलब्ध साधन-स्रोतों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियो को जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए 1-10-75 से पेंशन के 10 प्रतिशत तक की तदर्थ आधार पर और आगे राहत दी गई है जो कम से कम 10 रु० प्रतिमाह और अधिक से अधिक 50 रुपये प्रतिमाह है। केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को ग्रेडबद्ध दरों पर विशेष राहत की घोषणा पहले से ही बजट भाषण में कर दी गई है। इस संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

1716. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत कुछ प्रमुख नगरों को ही लाभ पहुंचता है; और

(ख) वर्तमान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के हिसाब से खाद्यान्नों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल शहरी केन्द्रों की जरूरतों को ही वरन् ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करती है। देश में कार्य कर रही लगभग 2.44 लाख उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों में से लगभग 1.87 लाख दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की मांग कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलभ्यता, उनका तुलनात्मक मूल्य स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, आदि। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्यान्नों की मांग का कोई निश्चित अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1975 में दिए गए 113 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के मुकाबले में वर्ष 1976 में लगभग 92 लाख मीटरी टन खाद्यान्न दिए गए।

कम्पनियों द्वारा जुटाई गयी पूंजी

1717. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग व्यापार तथा वाणिज्य और सार्वजनिक उपयोग के एककों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 1976-77 में पंजीकृत की गयी कम्पनियों ने कितनी पूंजी जुटाई है और गत दो वर्षों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत नयी कम्पनियों में किया गया पूंजी-निवेश (सामान्य शेयर पूंजी और दीर्घावधिक ऋण) इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	1974-75	1975-76	1976-77 संशोधित अनुमान
उद्योग	19.49	शून्य	39.22
वाणिज्य एवं व्यापार	0.51	शून्य	शून्य
बिजली	शून्य	शून्य	3.45

(नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन)

इन तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के समस्त उद्यमों में निम्नलिखित पूंजीनिवेश और किया गया :

(करोड़ रुपयों में)

	1974-75	1975-76	1976-77 (अनन्तिम)
उद्योग . .	704.29	1314.14	1680.72
व्यापार .	207.68	152.46	8.57
अन्य जिसमें परिवहन भी शामिल हैं	111.53	245.30	3.47
जोड़ :	1023.50	1711.90	1692.76

बसीन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण

1718. **डा० बापू कालदत्ते :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बसीन तट दूर पाइपलाइन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने परियोजना का क्रियान्विति तथा ऋण के उपयोग के लिए कोई शर्तें लगाई हैं; और

(ग) क्या वर्तमान ऋण की मंजूरी देने से पहले विश्व बैंक ने बरौनी पाइप लाइन घोटाले की रिपोर्ट मांगी थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। बम्बई हाई से बसीन क्षेत्र होते हुए बम्बई तक तेल और गैस पाइपलाइन के लिए एक ऋण के संबंध में बातचीत हुई है।

(ख) ऐसे बैंक ऋणों की जो सामान्य शर्तें होती हैं उन के अलावा कोई विशेष शर्त नहीं है।

(ग) जी नहीं।

उगान्डा से रेल माल डिब्बों के लिये क्रयादेश

1719. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगान्डा से 7.5 करोड़ रुपये की राशि के रेल माल डिब्बों के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या माल डिब्बों को उगान्डा भेजना आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बेंगनों के निर्यात की संविदा पर आस्थगित भुगतान की शर्तों के आधार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसका बैंक गारंटी द्वारा उचित रूप से समर्थन किया जाना था। सप्लाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि बैंक गारंटी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

तस्करों द्वारा काला धन तथा अन्य आस्तियों के समर्पण

1720. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े तस्करों को, जिन्होंने श्री जय काश नारायण के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, अपने समस्त काले धन तथा सभी प्रकार की अन्य सम्पत्ति का भी समर्पण कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रमुख तस्करों के मामले, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत आते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिसम्पत्तियों को समर्पित किया गया हो।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी त्यागने वाले तस्करों को विशेष छूट

1721. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन तस्करों ने अपने तस्कर कार्य त्याग दिये हैं क्या सरकार उनको छूट देने अथवा उनके साथ विशेष रियायत बरतने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं। अनुमानतः, प्रश्न का संबंध उस शपथ से है जो एक सौ से अधिक तस्करों ने 30 अप्रैल, 1977 को बम्बई में श्री जयप्रकाश नारायण के सामने ली थी और जिसमें उन्होंने यह कहा था कि वे तस्करी नहीं करेंगे, अन्य तस्करों को ऐसी गतिविधियां जारी रखने के लिए मना करेंगे तथा रोकेंगे और सरकार की सहायता करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि वे इस प्रकार का किसी कानूनी कार्यवाही के मामले में जो उनके विरुद्ध अनिर्णीत पड़ी हो अथवा उनके पिछले कार्य के लिये अथवा भविष्य में उनकी भूलों के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में आवश्यक समझी जाय, सरकार की ओर से किसी अनुग्रह की अभिलाषा नहीं करेंगे। एतदनुसार, तस्करों को कोई छूट देने अथवा उनके साथ किसी प्रकार की विशेष रियायत बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मूल्यों में वृद्धि

1722. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने पद का कार्यभार संभालने के पश्चात् से प्रधान मंत्री ने मूल्य वृद्धि के बारे में औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र को कितनी बार प्रबोधित किया है ;

(ख) सभी सम्बन्धी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या दूसरी ओर मूल्य बढ़े हैं और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 18 अप्रैल, 1977 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी समुदाय से इस बात का आग्रह किया कि वे वस्तुओं का उचित वितरण तथा बिक्री सुनिश्चित करें और मूल्यों को नियंत्रित रखें। उन्होंने 23 अप्रैल, 1977 को फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के स्वर्ण-जयंती अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान तथा अन्य स्थानों में अपने भाषणों में और साथ ही कुछ उद्योगपतियों को लिखे अपने पत्रों में उद्योगपतियों से इसी तरह की अपील की।

(ख) बम्बई और कलकत्ता में स्थित बहुत से उद्योगपतियों ने स्वेच्छा से यह निर्णय किया है कि वे हानि में चल रही यूनिटों को छोड़कर 31 दिसम्बर, 1977 तक उनके द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ायेंगे। वे इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे कि जहां तक संभव हो निवेशों की लागत में होने वाली वृद्धि को खपा लिया जाए, यदि लागत में यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। प्रमुख वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों ने अपनी सदस्य यूनिटों को इसी तरह की अपीलें जारी की हैं।

21 मई, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह और 11 जून, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह (सबसे बाद का सप्ताह जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के बीच समस्त-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मत वस्तुओं के प्रमुख समह का सूचकांक स्थिर रहा है।

(ग) अप्रैल, 1977 से थोक मूल्य सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से दालों, तिलहनों, खाने के तेलों और सब्जियों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण है। कुछ समय से खाने के तेलों के मूल्यों में नरमी का रुख आया है। 21 मई, 1977 और 11 जून, 1977 को समाप्त हुए सप्ताहों के दौरान समस्त-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक स्थिर रहा है; यह सूचकांक क्रमशः 187.3 तथा 187.4 पर था।

(घ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने तथा उनकी उपलभ्यता में सुधार करने के लिए उठाए गए जरूरी कदमों में ये शामिल हैं :--

(1) व्यय में कमी करने और सभी किस्म की शान शौकत को रोकने के बारे में सरकार का निर्णय;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय;

(3) कमी वाले राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए चावल का अधिक उदार आबंटन ;

(4) मई, जून और जुलाई, 1977 के महीनों के लिए अधिक मात्रा में लेवीमुक्त चीनी देना ;

(5) गेहूं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना ;

(6) 9 अप्रैल 1977 से चाय पर 5/- रु० प्रति किलोग्राम का निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में दी जाती वाली छूट को वापिस लेना ;

(7) आलू और प्याज का नियंत्रित निर्यात ;

(8) सीमेंट के निर्यात को, यथासंभव सीमा तक बिखेरना ;

(9) कपास का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना ;

(10) राज्य व्यापार निगम और निजी व्यापार के माध्यम से खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना ;

(11) शुरूआत के तौर पर अधिक खपत वाले कुछ केन्द्रों में राज्य नागरिक पूर्ति प्राधिकरणों के माध्यम से सीधी खपत के लिए परिष्कृत आयातित तेल की 8.50 रु० प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर बिक्री आरंभ हो चुकी है ;

मध्यावधि उपाय के रूप में, सरकार ने आगामी खरीफ मौसम में कपास, दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल, 1977 के मध्य में एक विशेष समिति का गठन किया । इसके लिए समिति ने एक क्रेश योजना को अंतिम रूप दिया है । इस योजना को आवश्यक वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में सरकार कई आवश्यक वस्तुओं के बारे में बड़े पैमाने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करने के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रही है । इसके लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाएगा ।

सरकारी उपक्रमों को लाभ

1723. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वित्तीय वर्षों में अधिकांश सरकारी उपक्रमों को लाभ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं जो हानि में चल रहे हैं और उन्हें कितनी हानि हुई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां, 1975-76 के दौरान 121 चालू प्रतिष्ठानों में से 87 प्रतिष्ठानों ने लाभ अर्जित किया था और 1976-77 में 124 चालू प्रतिष्ठानों में से 91 प्रतिष्ठानों ने लाभ अर्जित किया है ।

(ख) 1975-76 में सभी केन्द्रीय उद्यमों को 306 करोड़ रुपये का कुल निवल लाभ (कर व्यवस्था से पहले) हुआ । 1976-77 में कर व्यवस्था से पूर्व 345 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है ।

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 504/77]

भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्चा पटसन खरीदा जाना

1725. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की पटसन मिलों के लिए कच्ची पटसन की सभी खरीद भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कराने की कोई योजना है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने कच्चे पटसन के लाभप्रद मूल्यों के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) कच्ची पटसन की लाभप्रद कीमतों के बारे में कृषि मूल्य आयोग द्वारा विस्तार से अध्ययन किया जाता है जिसकी सिफारिश पर प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निम्नोक्त कार्यवाही की जाती है :--

(1) निर्धारित कानूनी न्यूनतम कीमत पर या उससे ऊपर कीमतों को बनाए रखने के लिए भारतीय पटसन निगम द्वारा कीमत समर्थन खरीदारियां की जाती हैं ।

(2) मिलों द्वारा कच्ची पटसन की खरीदारियां कानूनी आदेशों के माध्यम से विनियमित की जाती हैं ताकि कीमतों का उचित स्तर पर बने रखा सुनिश्चित रहे ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा धनराशि विदेश भेजा जाना

1726. **श्री धर्मसिंहभाई पटेल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोका कोला निर्यात निगम की 'सीमा आफिस' व्यय निर्यात सेवा शुल्क के रूप में धनराशि विदेश भेजने की किन शर्तों पर अनुमति दी गई थी तथा यह अनुमति कब दी गई थी ;

(ख) क्या एक जनवरी, 1967 से कोका कोला निर्यात निगम द्वारा सेवा शुल्क के रूप में विदेश भेजी जाने वाली राशि पर 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी फिर भी 1971 के लिए इस कम्पनी के लाभ और हानि विवरण में निर्यात सेवा शुल्क की प्रतिशतता 26.9 दिखाई गई है ; और

(ग) विदेश भेजी गई विदेशी मुद्रा तथा अपवंचित आय कर को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) देश से बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा की रकम को सीमित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह तय किया था कि कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा पहली जनवरी 1969 से 31 मार्च 1972 तक की अवधि में आयात, लाभ, मुख्य कार्यालय व्यय, क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, सेवा प्रभार आदि सभी मदों के अंतर्गत बाहर भेजी जाने वाली राशि इसी अवधि में कारपोरेशन की कुल निर्यात आय के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और पहली अप्रैल, 1972 से, बाहर भेजी जाने वाली रकमें कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आमदनी के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को यह बात मई 1973 में बता दी गई थी । इसके बाद नवम्बर 1974 में भेजे गए एक और पत्र में यह तय कर दिया गया था कि सेवा प्रभारों के अन्तर्गत भेजी जाने वाली रकम कारपोरेशन के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत को कुछ सीमा के अन्तर्गत तैयार किए गए सांद्रणों (कंसट्रेट) की निर्यात आय का 10 प्रतिशत होगी । क्षेत्रीय कार्यालय व्यय और सेवा प्रभारों के अन्तर्गत बाहर भेजी

जाने वाली रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति आयकर अधिकारियों द्वारा मान्य भारत की शाखा की आमदनी में से किए जाने वाले खर्चों के आधार पर दी जाएगी। वर्ष 1971 के अपने लेखे में, कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने सेवा प्रभारों के रूप में 41.98 लाख रुपए का दावा किया था जबकि उस वर्ष निर्यात से हुई आमदनी की 10 प्रतिशत रकम 10.25 लाख रुपए बैठती थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1971 के बाद के सेवा प्रभारों के अन्तर्गत कोई रकम बाहर भेजे जाने की अनुमति नहीं दी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज्यों में पर्यटन गृह

1727. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि राज्यों में पर्यटन गृहों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में सरकार द्वारा बनाए गए पर्यटन बंगलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) सरकार को पर्यटक बंगलों की आवश्यकता के बारे में जानकारी है तथा प्राथमिकताओं और साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान दार्जिलिंग, धर्मशाला, जैसलमेर, लुधियाना, पोरबंदर तथा रामेश्वरम्, में छः पर्यटन बंगले चालू किये जा चुके हैं। मंत्रालय तथा वारंगल में और दो बंगलों के शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है।

इनके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी पर्यटक रुचि के अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक पर्यटक बंगलों का निर्माण किया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दिया जाना

1728. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि उनका एक तिहाई ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाये; और

(ख) क्या बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में राष्ट्रीयकृत बैंक की कम से कम एक शाखा खोलने का सरकार का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, सड़क परिवहन संचालक, खुदरा व्यापार, छोटे कारोबार, व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्तियों और शिक्षा के उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देने में इस प्रकार वृद्धि करें कि इन ऋणों की राशि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, उनके समग्र ऋणों की एक तिहाई भाग हो जाए।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे शाखा विस्तार के अपने कार्यक्रम को फिर से इस प्रकार तैयार करें कि यह सुनिश्चित हो सके कि जून, 1978 तक सभी सामुदायिक विकास खण्डों में वाणिज्यक बैंक की कम से कम एक शाखा की व्यवस्था हो जाये।

आपात स्थिति के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण

1729. **श्री एस० जी० गुरुगटयन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण के विरुद्ध लगाए जा रहे आरोपों को सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन आरोपों के बारे में और इन आरोपों में अन्तर्गस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सम्भवतया माननीय सदस्य के ध्यान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यचालन के विरुद्ध लगाये गये वे कुछ आरोप हैं जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के "इकानौमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली" में "फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्टोरिंग आर्डर" शीर्षक सम्पादकीय टिप्पणी में प्रकाशित हुए हैं। इस सम्बन्ध में इस मामले के तथ्य अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 के मेरे उत्तर में बता दिये गये हैं, जो आज दिया जा रहा है ।

सरकार को, कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछ विशिष्ट ग्राहकों को स्वीकृत की गई कुछ सुविधाओं के बारे में कुछ शिकायतें तथा साथ ही साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्मिक नीति संबंधी शिकायतें भी मिली हैं। सामान्य प्रथा के अनुसार, ऐसी शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक को जांच के लिये अथवा सम्बन्धित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को समुचित कार्रवाई के लिये भेज दी गयी हैं ।

अप्रत्यक्ष कर जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

1730. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री के० ए० राजन :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कितनी रद्द की गई हैं; और

(ख) चालू बजट में उनमें से कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों में से 7 को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें चालू बचट में लागू भी कर दिया गया है । शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

वनस्पति का उत्पादन अधिकतम कराने के लिए 6 सूत्री योजना

1731. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वनस्पति का उत्पादन अत्यधिक करने तथा उसके मूल्य को नियंत्रण में रखने के लिए 6 सूत्री योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 6 सूत्री योजना का वनस्पति के मूल्य और सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ग) क्या 6 सूत्री योजना की घोषणा के बाद वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) जिन लोगों ने 6 सूत्री योजना का पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) व (ग) सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई । तथापि, भारतीय वनस्पति विनिर्माता

एसोसिएशन ने 6 मई, 1977 को एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उन छः उपायों का उल्लेख था जिन्हें इस उद्योग द्वारा वनस्पति घी का अधिकतम उत्पादन करने तथा उसके मूल्य को नियंत्रित करने के लिए उठाये जाने का प्रस्ताव था। इस प्रेस वक्तव्य में दिये गये उपाय ये हैं :—

(1) यह उद्योग वनस्पति घी का अधिकतम उत्पादन करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा, ताकि इस आवश्यक वस्तु की कमी न रहे।

(2) विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के बारे में शिकायतें मिलने पर वनस्पति विनिर्माता दोषी पार्टियों की डीलरशिप को समाप्त कर देंगें तथा उचित मूल्यों पर वनस्पति घी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नए विक्रेताओं की नियुक्ति करेंगे। विनिर्माता, प्राधिकारियों को उन पार्टियों के नामों की सूचना भी देंगे, जिनकी डीलरशिप समाप्त की जायेगी।

(3) यह उद्योग जितनी देर तक सम्भव हो सकेगा मूल्य स्थिरता बनाये रखने का प्रयास करेगा। हर सप्ताह मूल्यों की समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि हर सप्ताह मूल्यों में परिवर्तन ही किए जायें।

(4) हर स्तर पर मूल्य प्रदर्शित करने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे।

(5) विनिर्माता प्राधिकारियों को विक्रेताओं के नाम तथा उन्हें सप्लाई की गई घी की मात्रा भी सूचित करेंगे, ताकि प्राधिकारियों को वनस्पति घी की सप्लाई की वास्तविक स्थिति का पता रहे।

(6) यह निर्णय भी किया गया है कि यह उद्योग देश में तिलहनों के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा, ताकि भविष्य में देश लगातार आयात पर दिर्भर रहने के बजाय वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भर हो सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह उद्योग विनिर्माताओं से उपकर लेगा और तिलहनों के विकास के लिए एक निधि बनायेगा।

मई के मध्य में वनस्पति विनिर्माताओं ने वनस्पति घी का 16.5 किलोग्राम क. टीन (लगभग 168 रु० के मुकाबले में) 158 रु० की दर से बेचने की एक स्वैच्छिक मूल्य संयम योजना तय की। इस मूल्य में स्थानीय कर शामिल नहीं है किन्तु उत्पादन शुल्क शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाये तो मूल्य इस स्तर पर स्थिर रहे हैं।

(घ) वनस्पति पर मूल्य नियंत्रण नहीं है। उद्योग द्वारा घोषित मूल्य संयम स्वैच्छिक है और कुल मिलाकर इसका पालन हुआ है।

बैंकों में राजनीतिक दबाव

1732. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बैंकिंग व्यवस्था को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में बैंकिंग व्यवस्था पर राजनीतिक प्रभाव पड़ता रहा है;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि बैंकिंग व्यवस्था से राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाए और उस पर राजनीतिक अथवा अन्य दबाव न पड़ सके ;

(घ) क्या सरकार ने देश में बैंकों के कार्यकरण में आमूल परिवर्तन करने और शाखा कार्यालयों के अत्यधिक प्रसार की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति को और कौन से मामले सौंपे गऐ हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) बैंकिंग व्यवस्था पर राजनीतिक प्रभाव की भावना से सरकार अवगत है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले सांविधिक उपबंधों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक, सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल के अधीन कार्य करते हैं। जबकि सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली, सरकार और रिजर्व बैंक के प्रति उसी रूप में उत्तरदायी रहेगी जिस रूप में यह इसके लिये निर्धारित नीतियों को लागू करती है । अलग-अलग खातों के सम्बन्ध में इसकी निर्णय-पक्रिया अथवा इसके रोजमर्रा के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(घ) और (ङ) रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के काम के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और अपने सिष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें करने के लिये 8 जून, 1977 को श्री जेम्स एस० राज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । इस समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) 1969 से हुए शाखा-विस्तार-कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन और इस बात की जांच करना कि क्या इस प्रकार के विस्तार की गति और दिशा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है।

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार के वर्तमान स्वरूप की जांच और ग्रामीण विकास तथा क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की दृष्टि से भावी कार्यक्रम के विषय में सुझाव देना ।

(3) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों को उधार देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और इस प्रकार के अग्रिमों के सुव्यवस्थित और संतुलित विकास के उपाय सुझाना।

(4) जनता को बेहतर और शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंकों की कार्य कुशलता में सुधारों के विषय में परमर्श दना।

(5) बैंकों में सतर्कता कार्य के संचालन की जांच करना और सुधार लाने के विषय में सिफारिशे करना।

(6) जांच की विषय-वस्तु से सम्बद्ध कोई और सिफारिशें करना।

Corruption cases against the Chairman, Vijaya Bank

1733. Shri K. Lakkappa : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether there are several corruption cases against the Chairman of Vijaya Bank; and

(b) if so, the number of those cases and the reasons for not taking any action against him?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) The Income Tax Department have launched prosecution against the Chairman and some other officers of the Vijaya Bank under Sections 277 and 278 of the Income Tax Act, 1961 for omission of various interest payments in the returns made by the bank under section 285 of the Income Tax Act for the financial years 1971-72 to 1974-75. The case is reported to be pending before the Judicial Magistrate. Mangalore, Government are not aware of any other case filed against the Chairmman of the Vijaya Bank.

वाणिज्यिक तथा विकास बैंकों में कथित अनियमितताएं

1734. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की 'एक्नामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, के पृष्ठ 705 पर प्रकाशित एक सम्पादकीय टिप्पणी की ओर दिलाया गया है;

(ख) उसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या वाणिज्यिक तथा विकास बैंकों के कार्यकरण की जांच करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उचित तरीकों और प्राधिकार के माध्यम का निर्धारण किया जा सके?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1977 के इकनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली में 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स—रिस्टोरिंग आर्डर' शीर्षक के अधीन प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी की ओर दिलाया गया है।

2. अनुमान है कि माननीय सदस्य द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध सरकारी बैंकों और अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों एक राजनैतिक पार्टी और दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों की कुछ पार्टियों को ऋण तथा कुछ सुविधाएं प्रदान करने में हुई कुछ तथाकथित अनियमितताओं से हैं।

3. जिन पांच औद्योगिक प्रतिष्ठानों का ऊपर उल्लेख किया है । उनमें से मारुति ग्रुप के प्रतिष्ठानों और 'यू० पी० रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन' का उल्लेख ही स्पष्ट रूप से किया गया है, जबकि तीन अन्य औद्योगिक पार्टियों, एक राजनीतिक पार्टी, और दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों की पार्टियों का नामतः उल्लेख नहीं किया गया है । जिन तीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम नहीं बताये गये हैं निम्नलिखित प्रतीत होते हैं :—

(1) जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर

(2) कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०, बम्बई।

(3) विलियम जैम्स एण्ड क० (इंडिया) लि०, बम्बई।

4. उपर्युक्त में से प्रत्येक की स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) जयपुर उद्योग लि० और (2) कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०

इन दो कम्पनियों की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने एक (सहायता) संघ बनाया ताकि इनका पुनर्वास किया जा सके। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बनाये गये प्रोग्रामों के अनुसान कुछ सुविधाएं इन कम्पनियों को दी गयी।

(1) जयपुन उद्योग लि०

जयपुर उद्योग लि० उत्तर भारत में सीमेंट बनाने की एक प्रमुख कम्पनी है । कम्पनी के पुनर्वासन के लिये बनाये गये प्रोग्राम में संस्थाओं और बैंकों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कम्पनी को राहत देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें, एक वर्ष की अवधि के लिये उत्पादन शुल्क की वसूली को आस्थगित कर दिया गया परन्तु सरकार के पक्ष में परिसम्पत्तियों की पर्याप्त प्रतिभूति रखने के पश्चात् ही ऐसा किया गया । आस्थगित शुल्क को पांच समान वार्षिक

किस्तों में वसूल किया जाना था जिसमें पहली किस्त की अदायगी अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 24 महीने के समाप्त होने पर की जानी थी। कंपनी को आस्थगित उत्पादन शुल्क की राशि पर सरकार को 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा।

(2) कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०

प्राप्त सूचना के अनुसान कम्पनी की स्थिति संभल चुकी है। और उसने लाभ दिखाना शुरू कर दिया है। कमानी परिवार के सदस्यों की ओर से एक सुझाव आया था कि उनके शेयरों को बिरलाओं के औद्योगिक घनाने से संबंधित टैक्समैकों लि० को अन्तरित कर दिया जाय। मामला बम्बई उच्च न्यायालय में है और न्यायाधीन (सब-जूडिस) है।

5. जयपुर उद्योग लि० और कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि० के प्रबंधों का वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की प्रेरणा से पुनर्गठन किया गया ताकि कम्पनियों के कार्यकलापों पर उनके नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। एककों के लेखों की निरंतर निगरानी की आवश्यकता के प्रति बैंक और संस्थाएं बराबर सजग हैं और उनके द्वारा दी गई अग्रिम धनराशियों के उचित उपभोग और जिस प्रयोजन के लिये धनराशि ली गयी है उसी के लिये उसके उपभोग को सुनिश्चित करने के वास्ते वे समुचित कदम उठाते हैं।

6. (1) मारुति ग्रुप से संबंधित प्रतिष्ठान

(2) यू० पी० रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन

(3) विलियम जैम्स एण्ड कं० (इंडिया) लि०

(4) एक राजनीतिक पार्टी (सम्पादकीय टिप्पणी में जिसका नाम नहीं दिया गया है)

(5) दिल्ली की 23 पुनर्वास कालोनियों की कुछ पार्टियां जिनके नाम नहीं बताये गये।

किसी भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्था ने किसी तरह का ऋण या अग्रिम इन पार्टियों को नहीं दिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में, बैंकरों के बीच व्यवहार और प्रथा के अनुसार तथा बैंककारी कम्पनी (प्रतिष्ठानों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अनुसार अलग-अलग पार्टियों से संबंधित सूचना को प्रकट नहीं किया जाता है।

जहां तक मारुति ग्रुप के प्रतिष्ठानों का संबंध है, जांच आयोग अधिनियम 1952 के अधीन मारुति ग्रुप की कम्पनियों के कार्यकलापों की जांच के लिये एक जांच आयोग की स्थापना की जा चुकी है, जिसके विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ मारुति कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुविधा अथवा अन्न सहायता उपलब्ध कराने के सभी मामले, शामिल हैं जिनमें वित्तीय सहायता की मांग से संबंधित इन कम्पनियों की पात्रता आदि भी सम्मिलित है।

7. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मारुति ग्रुप की कम्पनियों के लिये पहले से ही चल रही जांच के अलावा वाणिज्यिक और विकास बैंकों के कार्य-कलापों की जांच कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

विजया बैंक लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्यवाही

1735. **श्री वयालार रवि : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय बैंक लिमिटेड के प्रबंधकों विशेषकर इसके चेयरमैन के विरुद्ध आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 1971-72 से 1974-75 तक के वित्तीय वर्षों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 के अधीन बैंक द्वारा बनाई गई विवरणियों में ब्याज संबंधी विभिन्न अदायगियों को जानबूझकर नहीं दिखाने पर, आयकर विभाग ने विजय बैंक लिमिटेड, उसके अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, मुख्य-लेखाकार और बैंक के कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 और 278 के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही शुरू की है ।

शिकायतें 9 फरवरी 1977 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, मंगलोर के सामने दायर की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विजय बैंक लि० के प्रबंध मण्डल के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का प्रतिवेदन

1736. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) बैंक ने चालू वर्ष के लिये कितनी विदेशी सहायता की सिफारिश की है; और

(ग) उस धनराशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) (ख) और (ग) जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है वह विश्व बैंक का आन्तरिक गोपनीय दस्तावेज है इसका वितरण सीमित होता है तथा जिन व्यक्तियों को यह रिपोर्ट भेजी जाती है उन्हें भी इसके विषय में कुछ बताने का अधिकार नहीं होता । इसलिए मैं इस रिपोर्ट से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

रुई की कमी

1737. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की मांग को पूरा करने के लिये रुई की कमी दूर करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) रुई की कमी का कपड़ा उद्योग पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या कोई अल्पावधि और दीर्घावधि नीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) वस्त्र उद्योग में रुई की खपत देश में रुई के उत्पादन के वर्तमान स्तरों की अपेक्षा अधिक है । इस कमी का सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अतः देश में रुई की कमी पर काबू पाने की दृष्टि से सरकार ने बहुत से अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं

1. विदेश से रुई का आयात ।

2. सूती वस्त्र मिलों को 31-10-1977 तक खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर मानव निर्मित रेशे आयात करने की अनुमति दी गई है;

3. सूती वस्त्र उद्योग के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह 1-1-1977 से अपनी कुल खपत का कम से कम 10 प्रतिशत गैर-सूती रेशा इस्तेमाल करें।

4. मिलों और व्यापारियों पर स्टाफ संबंधी प्रतिबंध लगा दिए गये हैं जिससे कि उपलब्ध रुई सभी मिलों को समान रूप से मिल सके।

5. दीर्घावधि उपाय के रूप में सरकार द्वारा देश के भीतर रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। गहन रुई जिला कार्यक्रम की एक व्यापक योजना कृषि विभाग द्वारा 9 प्रमुख रुई उपजकर्ता राज्यों के 15 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा काश्तकारों को ऋण

1738. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक काश्तकारों को ऋण दे रहे हैं;

(ख) क्या इन बैंकों द्वारा काश्तकारों को ऋण के पुनर्वितरण में कोई प्रतिशतता निर्धारित की जाती है; **और**

(ग) क्या इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य क्षेत्र के लिये क्षेत्र की कोई दूरी निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण के वितरण के बारे में कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि कृषि सहित अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण वितरण की मात्रा में वृद्धि करने के लिए उपाय करें ताकि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक उनके कुल अग्रिमों के 33⅓ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारोबार के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के अंतिम प्रयोग पर प्रभावकारी ढंग से नजर रखने के लिये बैंक की शाखाओं को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे अपने आस पास 16 किलोमीटर के घेरे में कारोबार करें। यह आदेश मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका पालन बहुत ज्यादा कड़ाई के साथ करना जरूरी नहीं है। इसलिए यदि आवेदकों का एक समूह हो तो सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने आस पास 16 किलोमीटर के घेरे के बाहर भी ऋण देने की सम्भावना पर विचार करते हैं।

नागार्जुनसागर परियोजना का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1739. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार किन्हीं पर्यटन केन्द्रों का विकास कर रही है;

(ख) क्या नागार्जुनसागर परियोजना को पर्यटन केन्द्र माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर अब तक कितना काम किया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा तीसरी और चौथी योजना की अवधियों में नागार्जुन सागर/नागार्जुन कोंडा में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गयी :—

(1) वर्तमान विजय बिहार सर्किट हाउस में 8 कमरों की वृद्धि:

(2) पर्यटकों की सुविधा के लिये मेनलैंड तथा झील के अंतर्गत द्वीप पर पुरातात्विक कांम्प्लेक्स के बीच "फैरी" के रूप में परिचालन के लिए एक मोटर लौंच ;

(3) नागार्जुन कोंडा में मध्य आय वर्गीय पर्यटकों के लिये एक पर्यटक बंगला ; और

(5) नागार्जुन कोंडा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उनके द्वारा विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की सैर करने हेतु परिवहन सुविधा के रूप में एक स्टेशन वैगन।

पांचवी योजनावधि में, नागार्जुन सागर झील की सैर करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 45-45 सीटों वाले दो मोटर लौंचों का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है । केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा दिये जाने वाले इन दो लौंचों की अनुमानित लागत 28 लाख रुपये है ।

तिरुपति-तिरुमला का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1740. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरुपति-तिरुमला का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वेल्लोर में हवाई अड्डा

1741. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेल्लोर में हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इस वर्ष इस कार्य के लिये कोई धनराशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं । वेलोर के एयरफील्ड का विकास करने की कोई योजनाएं नहीं हैं, क्योंकि न तो इंडियन एयरलाइंस और न किसी निजी परिचालक ने ही वेलोर के लिये विमान सेवाएं परिचालित करने में कोई रूचि दिखाई है।

Foreign Visits made by General Manager of ITDC

1742. **Shri Shiv Narain Sarsonia** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be Pleased to state:—

(a) the number of foreign visits so far made by the General Manager of India Tourism Development Corporation;

(b) the names of places visited by him free;

(c) the amount of allowances paid to him in foreign exchange by the Corporation in respect of these visits; and

(d) the amount of foreign exchange returned by him to the Corporation on account of free visits ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) The present General Manager (Hotels) ITDC since assumption of charge in November 1976 has made one foreign visit in January/February 77 to attend PATA Conference in Hong Kong and Macau. In his previous assignments, he went abroad 7 times on official business during the period from 1964—1976.

(b) Out of 8 visits, only in respect of one visit, the Government permitted him to avail of the offer of a free seat by PANAM in September 1974. He was allowed to undertake study-cum-promotional tour to take advantage of the free passage offered by PANAM.

During this visit, he visited Beirut, Frankfurt, Berlin, Hamburg Copenhagen, Prague, London, New York, Tokyo, Hong Kong and Bangkok.

(c) He has been paid daily allowance for 15 days and the foriegn exchange paid for the tour mentioned in (b) above is as under:—

(i) $ 236.00

(ii) $ 160.00

(d) Nil, as only free passage was sanctioned.

Private and Political Magazines Brought out by Officers of ITDC

1743. **Shri Shiv Narain Sarsonia** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviatio** be pleased to state:

(a) whether some officers of the India Tourism Development Corporation stationed at Delhi bring out private and political magazines;

(b) the natures of these magazines; and

(c) the rules and orders under which such magazines are published?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) It has not come to the notice of the Management of ITDC that any of its officers at Delhi is briniging out private and political magazines, nor has the Corporation permitted any of its officers to bring out such magazines.

(b) and (c) Do not arise.

Relationship of Organiser at Nehru Brigade and Nehru Hill with an Officer of ITDC

1744. **Shri Shiv Narain Sarsonia** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:—

(a) whether the Organiser of Nehru Brigade and Nehru Hill near Ranjit Hotel, Delhi is the brother of an officer of India Tourism Development Corporation;

(b) whether he lives with him in the Ranjit Hotel; and

(c) the steps taken against these irregularities?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a), (b) and (c) Late Shri Satish Dutta (expired on 10th June 1977) who was Manager (Sales and Public Relations) ITDC was living in one of the officers flats in Ranjit Hotel. His unmarried younger brother Shri Ramesh Dutta who is reported to be the organiser of Nehru Brigade and Nehru Hill near Ranjit Hotel has been sharing the said accommodation with his late elder brother. Such sharing of accommodation with the allottee by close relations is not irregular.

इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस का कर्मीदल

1745. **श्री सवंत साठे :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 1977 के "टाइम्स आफ इंडिया" में एयरबस क्रिमू फेस मैनी स्नेग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषतत्तम कौशिक) (क) जी, हां ।

(ख) विमान में बतायी गयी खराबियों की ओर तत्काल ध्यान दिया गया और उन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया । किसी भी अन्य विशालकाय विमान की भांति एयरबस में भी दोहरी (डुप्लीकेट) सिस्टम हैं और कुछ हालतों में तो तिहरे (ट्रिप्लिकेट) सिस्टम भी हैं । निर्माताओं तथा उड़न-योग्यता प्रमाणित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित न्यूनतम उपकरण सूची के अनुसार, यदि एक सिस्टम में कुछ खराबी भी हो जाये, तो भी विमान का, उसकी सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिचालन किया जा सकता है ?

Export of Tea

1746. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the quantity of tea exported during the last two years, year-wise and country-wise;

(b) the amount of foreign exchange earned by the country during this period; and

(c) whether any special efforts are being made to promote the export of tea?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) (a) : Tea exports to major countries during last two years are as under:

(quantity in ml. kgs.)

Country	1975	1976
U.K.	59.6	72.6
Netherlands	9.8	4.4
U.S.S.R.	56.5	51.4
Poland	12.1	7.0
U.S.A.	5.9	8.8
Iran	6.9	6.8
UAE	3.8	6.2
Iraq	6.7	7.1
A.R.E.	11.4	14.6
Sudan	5.9	7.0
Afghanistan	12.9	11.9
Others	26.6	35.8
	218.1	233.6

(b) The amount of foriegn exchange earned during 1975 and 1976 is Rs. 246.65 crores and Rs. 273.1 crores respectively.

(c) A detailed statement is attached herewith.

STATEMENT

(1) Tea Board has been undertaking vigorous promotion for Indian tea in different countries through its offices as also through the Indian missions abroad. This includes introduction of predominantly Indian packs in overseas trade fairs and exhibitions, visits of tea importers from foreign countries to India, and publicity through other media.

(2) The Board supports the efforts made by the Tea Councils set up abroad for the generic promotion of tea for increasing its total consumption as a beverage vis-a-vis other drinks in collaboration with other exporting countries.

(3) A public sector organisation viz. Tea Trading Corporation of India has also been set up for promoting export of Indian tea in various forms.

(4) Lending promotional support to Indian exporters for boosting direct export of packet teas/tea bags from India in selected markets aborad in cooperation with local blenders/packers, is yet another promotional measure undertaken by the Tea Board, under the aegis of the Government of India.

Export of Jute products

1747. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the quantity of jute products exported to each country during the last two years, year-wise;

(b) whether as a result of competition from some other countries, India is suffering loss to some extent in export thereof; and

(c) if so, the names of those countries and the remedial measures being taken in this regard?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) (a) to (c) : A statement is attached.

[Placed in library *See* No. L.T. 505/77]

Exports of Cashewnuts

1748. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the quantity of cashewnuts exported to foreign countries during the last two years, year-wise and country-wise and the amount of foreign exchange earned therefrom;

(b) whether the country is suffering loss due to competition from some other cashewnut producing countries; and

(c) whether any remedial measures are being taken in this regard?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) (a) The country-wise exports of cashewnuts (kernels) and the foriegn exchange earned therefrom, during the last two years were as follows: —

Qty. : Metric Tonnes
Value : Rs. in lakhs

Country	1975-76		1976-77*	
	Qty.	Val.	Qty.	Val.
U.S.A.	22192	3948	17506	3691
U.S.S.R.	14436	2508	15638	2933
Japan	3862	745	5252	1166
Canada	3528	630	3436	732
Australia	2206	414	2232	481
Netherlands	1491	273	1635	331
U.K.	899	160	887	190
G.D.R.	266	42	658	112
Others	4760	893	4241	945
Total	53640	8613	51435	10581

*Figures for the year 1976-77 are provisional.

(b) Some of the cashewnut producing countries have set up facilities to decorticate cashewnuts and to export cashew kernels. This has reduced the availability of raw cashewnuts which we can import. Our exports as such have been profitable in 1976-77 (unit value Rs. 1792 per ton). The exports of cashew producing countries do not present thereat to Indian export marketing of cashewnuts.

(c) We have intensified our efforts to import the largest possible quantities of cashewnuts and to increase production of cashewnuts in India.

Foreign Exchange Earings from Tourists

1749. **Shri K. Lakkappa** : Will the Minister **of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

The amount of foreign exchange likely to be earned by India during 1977-78 from foreign tourists?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) It is estimated that the foreign exchange likely to be earned by India during 1977-78 from foreign tourists may exceed Rs. 275 crores.

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1750. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री स्कारिया थामस :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न होने के कारण केरल के विदेश जाने वाले व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार केरल में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) केरल राज्य में कोई अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नहीं है। त्रिवेन्द्रम का हवाई अड्डा केरल सीमा-शुल्क विमान-क्षेत्र है जो पड़ोसी क्षेत्रों की सेवा करता है ।

केरल राज्य में दो अन्तर्देशीय विमानक्षेत्र अर्थात् त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन, यात्री जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । ये दोनों हवाई अड्डे बम्बई तथा मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र से, सुविधाजनक सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं जहां से कि भारत से बाहर जाने वाले विदेश यात्री आराम से विदेश यात्रा कर सकते हैं । केरल राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पर्यटन स्थलों का विकास

1751. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1977 में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये कोई उपबन्ध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल परिव्यय कितना होगा और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिये किन-किन स्थलों का विकास किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यटन विभाग के चालू वर्ष के बजट में विकास स्कीमों के लिए 168.50 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है । विकास की जाने वाली प्रस्तावित सुविधायें ये हैं :--पांडिचेरी तथा मैसूर में युवा होस्टलों और सेवाग्राम में यात्री निवास का निर्माण, अजमेर तथा जैसलमेर स्थित पर्यटक बंगलों का विस्तार सस्सनगिर तथा डांडेली स्थित फॉरेस्ट लॉजों को पूरा करना, तथा कान्हा और बांदीपुर/नगरहोले में फॉरेस्ट लॉजों का निर्माण, और गुलमर्ग, कोवालम समुद्रतटीय विहार स्थल एवं अजंता, एलिफेंटा और आगरा में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था इनके अतिरिक्त, कुशीनगर तथा श्रावस्ती के पुरातात्विक केन्द्रों पर सुविधाओं के विस्तृत आयोजना-कार्य को हाथ में लेने और काश्मीर में मार्तंड, पंडरेथन तथा अवंतीपुर के लिए, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र तथा फतेहपुर सीकरी के लिये मास्टर प्लान तैयार करने का भी प्रस्ताव है ।

Allocation of Funds to States

1752. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Finance & Revenue & Banking** be pleased to state:

(a) the principle so far followed in the allocation of finances and other revenue items between the Central Government and various State Governments;

(b) whether generally more developed States have been getting major portion of these allocations till now;

(c) if so, whether keeping in view the condition of the backward States, Government propose to allocate finances and revenue on new principles for their rapid development; and

(d) if so, principle proposed to be followed in this regard ?

The Minister of Finance & Revenue & Banking (Shri H. M. Patel) (a), (b), (c) & (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Allocation of Funds to States

Article 280 of the Constitution provides that the Finance Commission shall make recommendations regarding—

(i) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds; and

(ii) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India.

Thus, the transfer of resources from the Centre to the States on these accounts is made on the basis of the recommendations of the Finance Commission which, usually, are accepted by the Government. For the five years 1974-75 to 1978-79, these transfers are based on the recommendations of the Sixth Finance Commission whose Report, together with an explanatory memorandum as to the action tahen thereon by Government, was laid before Parliament in December, 1973. The Commission had distributed 90 per cent of the States' share of income-tax and 75 per cent of their share of Union Excise Duties on the basis of population, a factor which generally goes to the advantage of the backward state. Further, the Commission distributed 25 per cent of the States' share of Union Excise Duties on the basis of the 'distance' of a State's per capita income from that of the State with the highest per capita income, multiplied by the population of the State concerned. Also, as required under its terms of reference, the Commission in determining the grants-in-aid payable to the States, allowed additional amounts for raising the standards of administration in a State, in selected fields, to the level of all-India average in the course of the five years ending in 1978-79. These provisions also designed to assist the backward States.

In so far as the 5-year period commencing from Ist April, 1979 is concerned, the transfer of resources to the States on the above accounts will be decided in the light of the recommendations of the Seventh Finance Commission which is due to be constituted shortly.

2. Apart from the transfer of resources coming within the purview of the Finance Commission, the States are paid assistance, in the from of grant-in-aid and loans, towards implementation of their Plan schemes. For the Fifth Plan period as a whole, the total Central assistance for the States has been taken at Rs. 6000 crores. Out of this, Rs. 450 crores are allocated for Tribal Sub-Plan, Hill Areas Programmes and Schemes of the North-Eastern Council and Rs. 100 crores for extra Central assistance in respect of externally aided State Plan projects. The remaining amount of Rs. 5450 crores is allocated among the States on the basis of what has come to be known as Gadgil Formula. According to this formula, a lump sum allocation is made to meet the requirements of States of Assam Nagaland, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, other North-Eastern States and Sikkim for financing their approved Plan outlays. For the remaining fourteen States, Central assistance is allocated on the following basis:—

(i) Population.	60%	1971 Census figures.
(ii) Per capita State income . .	10%	Average per capita income at current prices for 1970-73 as furnished by the Central Statistical Organisation.
(iii) Tax effort . . .	10%	1973-74 State tax receipts and per capita income as under (ii) above.
(iv) Irrigation and Power Projects .	10%	Revised Fifth Plan outlays on continuing major irrigation and power schemes, with an estimated cost of Rs. 20 crores and above and expenditure of at least 10% by the end of 1973-74.
(v) Special problems . . .	10%	

It will be seen that the 'Gadgil formula' gives weightage to backwardness as adjudged in terms of per capita income.

On the basis of a recommendation of the Chief Ministers' Conference, it had been decided last year that 8 per cent of the Central assistance allocated according to the above criteria will be specifically earmarked against performance in family planning. This formula is operative from 1977-78 on the basis of performance relating to family planning during the preceding year.

The principles of distribution of Central assistance for the Plan as at present are intended to remain in operation for the current Plan period and, therefore, the question of adopting any new principles does not arise.

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की मांगें

1753. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन के द्वारा की गई मांगों का सार क्या है ; और

(ग) उन की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय सेंट्रल बैंक कर्मचारी महासंघ ने हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली, चण्डीगढ़ और पटना में बदली, पदोन्नति अतिरिक्त कर्मचारियों की भरती, ट्रेड यूनियन अधिकारों और आपातकाल के दौरान की गई तथाकथित ज्यादतियों जैसे स्थानीय प्रश्नों के बारे में आंदोलन किये हैं । हैदराबाद में, कर्मचारी सहकारी ऋण समिति को स्पष्ट ओवर ड्राफ्ट की सुविधा बहाल करने की मांग एक अतिरिक्त प्रश्न थी ।

(ग) प्रबन्धकों और यूनियन के बीच हुई संयुक्त चर्चा के आधार पर हैदराबाद, नागपुर चण्डीगढ़ और पटना के प्रश्न सौहार्द पूर्ण ढंग से निपटा लिए गये हैं । दिल्ली में बैंक के प्रबन्धकों ने कहा है कि आंदोलन के दौरान यूनियन द्वारा उत्तेजक और अपमान जनक भाषा के प्रयोग के लिये समचित खेद प्रकाशन के बाद ही प्रस्तुत प्रश्नों पर यूनियन से बातचीत को जा सकेगी ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली

1754. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क. इस बात की जांच करने के लिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है अथवा नहीं कोई अध्ययन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और युगोस्लाविया के बीच संयुक्त समिति की बैठक

1755. **श्री पी० के० कोडयन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को अग्रेतर बढ़ावा मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) भारत तथा युगोस्लाविया के बीच हाल में हुई संयुक्त समिति की बैठक के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) 18-22 मई, 1977 तक नई दिल्ली में हुए भारत यूगोस्लाव संयुक्त समिति के ग्यारहवें सत्र में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को सुधारने के मार्गोपायों पर विचार करते समय दोनों पक्षों ने—

(1) उन विशिष्ट उत्पादों का पता लगाया जिनका उनके अपने-अपने देश से निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं हैं—जैसे कि भारत से निर्यात के लिए विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी उत्पाद, इस्पात उत्पाद, रासायनिक उत्पाद आदि तथा यूगोस्लाविया से निर्यात के लिए अलौह धातुएं, उर्वरक, जलयान आदि ।

(2) भारत में भारत यूगोस्लाव सहयोग से लगाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के लिए सहमति प्रकट की ।

(3) यूगोस्लाविया की परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी हासिल करने की गति में तेजी लाने पर सहमति प्रकट की ।

(4) भारत, यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों में भारत-यूगोस्लाव औद्योगिक सहयोग के लिए नए तथा विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया ।

(5) बैंकिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच ठोस सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया ।

आशा है कि इनके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ावा मिलेगा ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा आयात कोटा निर्धारित करना

1756. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सहित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा आपात कोटा निर्धारित करने से भारतीय वस्त्र निर्यातकर्ताओं को हानि हुई है ;

(ख) क्या 30 करोड़ रुपयों से 35 करोड़ रुपयों के मूल्य का माल वस्त्र उद्योग के पास जमा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया : (क) तथा (ख) कमीजों तथा ब्लाउजों के भारत से निर्यात पर ब्रिटेन सहित यूरोपीय आर्थिक समुदायके देशों द्वारा एक पक्षीय कोटा लागू करने से देश के वस्त्र निर्यातकों पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है । जो माल रुक गया है उस का ठीक-ठीक मूल्य मालूम नहीं है ।

(ग) सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत की थी तथा द्विपक्षीय आधार पर मामले को तय करने के लिये वार्ताओं के कुछ दौर आयोजित किये गये थे । परन्तु इन वार्ताओं में आपसी रूप में स्वीकार्य कोई हल नहीं निकल सका और इसके परिणाम-स्वरूप सरकार ने गाट के वस्त्र संनिरीक्षण निकाय के पास तो ऐसे विवादों का निपटारा करने वाला अभिकरण है, शिकायत दायर कर दी है ।

सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

1757. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री के० ए० राजन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सूती कपड़ा मिलें स्वयं अर्जित धनराशि तथा बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्य अधिक लाभप्रद उद्योगों के आधुनिकीकरण पर खर्च कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम की क्रियान्विति से पूर्व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं पर गम्भीरता से विचार किया है । आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में तेज़ी लाने के लिये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग नियम के संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सूती वस्त्र उद्योग को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिये एक योजना अलग से बनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिये राष्ट्रीय व्यापार निगम के प्रबन्ध के अधीन मिलों को और भागीदारी या स्वत्वाधिकारी फर्मों को छोड़कर वे मिलें पात्र है जो पुरानी मशीनें होने के कारण कमज़ोर हैं और जीवन क्षम नहीं हैं और जिन्हें समुचित रूप से थोड़ी सी अवधि में जीवन-क्षम बनाया जा सकता है । आसान ऋणों पर 7½ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा और 15 वर्ष की अवधि में भुगतान करना होगा, जिसके अलावा तीन से पांच वर्ष तक ऋण-स्थगन भी किया जा सकता है, जो औद्योगिक एकक वित्तीय संस्थाओं को सामान्य ब्याज दरें नहीं दे सकते हैं, उन्हें पूरी आवश्यक सीमा तक रियायती सहायता दी जायगी, परन्तु अन्य मामलों में ऐसी सहायता अधिकतम 66 प्रतिशत तक दी जायेगी ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये हाल के एक अध्ययन से यह पता लगा है कि अनेक कम्पनियों ने अपना धन इस्पात, रासायनिक पदार्थ आदि के उत्पादन जैसे अन्य कामों में लगा दिया है । कुछ सूती वस्त्र कम्पनियों ने ऐसी कम्पनियों की स्थापना की है जो सूती वस्त्र से इतर अन्य माल तैयार करती है । भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

जूतों और चप्पलों का निर्यात

1758. **श्री के० मालप्पा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारत में बने जूते मशहूर हो रहे हैं तथा वहां से चालू वर्ष में उनके लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) जूते और चप्पलों आदि के निर्यात से गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा प० जर्मनी ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

	मूल्य करोड़ रु० में	
		(अप्रैल फरवरी)
	1975-76	1976-77
(1) सम्पूर्ण चमड़े/आंशिक चमड़े के जूते	19.18	23.74
(2) रबड़/कैनवस तथा अन्य प्रकार के जूते	2.66	3.06

पश्चिम बंगाल में जूट मिलों का पुनः खोलना

1759. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री पश्चिम बंगाल में जूट मिलों को पुनः खोलने के बारे में 1 अप्रैल, 1977 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1 और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : 30 दिसम्बर, 1976 तक 8 पटसन मिलें कार्य-बन्द होने से बंद पड़ी थीं । इनमें से 2 यूनिटों में उत्पादन शुरू हो चुका है । हाल में 2 अन्य यूनिटों का प्रबन्ध अधिकार में ले लिया गया है तथा उसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को सौंप दिया गया है । शेष 4 यूनिटों में से एक पटसन मिल को जीवन-क्षम यूनिट नहीं समझा जाता और अन्य 3 यूनिटों को पुनः खोलने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

पटसन उद्योग द्वारा मांगी गई सहायता

1760. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग ने अभी हाल में सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य साधनों से सहायता

1761. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में भारत को इण्टरनेशनल डेवेलपमेंट एसोसिएशन और संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अन्य साधन से कोई सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ स्रोतों से क्रमशः 552.38 करोड़ रुपए और 163.45 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होने का अनुमान है ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी

1762. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1976-77 के दौरान मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात का विनियमन संरक्षण की दृष्टि से किया जा रहा है । 1976-77 में निर्यात किए गए अयस्क का मूल्य पिछले वर्ष से अधिक था । मात्रा में मामूली गिरावट आई थी ।

विदेशों को चीनी की बिक्री

1763. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को चीनी की बिक्री के बारे में भ्रष्टाचारों का पता लगा है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन श्री पारेख सहित कुछ अधिकारियों का इस मामले में हाथ था ;

(ग) क्या भ्रष्टाचारों से अर्जित धनराशि का कुछ भाग श्रीमती इंदिरा गांधी को भी जाता था;

(घ) क्या इनमें से कोई अधिकारी विदेश चला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये चीनी के सौदों के बारे में निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इनकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(घ) शिकायतों में जिन अधिकारियों के नामों का उल्लेख है, उनमें से कुछ अधिकारी पहले ही से राज्य व्यापार निगम के विदेशी कार्यालयों में तथा अन्य देश में तैनात हैं ।

एस० बी० आई० के चैयरमैन का मालदा, पश्चिम बंगाल का दौरा

1764. **श्री ज्योतिर्मय बसुस** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० बी० आई० के चैयरमैन ने 24 फरवरी, 1977 को या उसके आसपास मालदा (पश्चिम बंगाल) का दौरा किया था जहां से भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी पिछली लोक सभा के लिये चुनाव लड़ रहे थे; और

(ख) क्या उक्त चेयरमैन उक्त मंत्री को मुख्यतः चुनाव खर्च के लिए भारी धनराशि देने वहां गया था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के उस समय के अध्यक्ष श्री टी० आर० वरदाचारी कार्यालय के काम से भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी से मिलने के लिए 24 फरवरी, 1977 को माल्दा (पश्चिम बंगाल) गये थे।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि चुनाव व्यय अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री को देने के वास्ते बैंक से कोई धन नहीं निकाला गया था ।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की गई खरीद

1765. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 25 जून, 1975 से 25 मार्च, 1977 तक की अवधि में उन कम्पनियों से, जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र/पुत्रों तथा परिवार के अन्य सदस्यों का कोई हित था, की गई खरीदों का मूल्य और ब्यौरा अथवा/और तय की गई खरीदों का मूल्य क्या है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी दी जायेगी ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री का विदेशी बैंक में खाता

1766. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों के विदेशी बैंकों में खाते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने छुपी हुई आय की स्वेच्छा से घोषणा की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक को 1961 में सूचित किया था कि उनका लंदन में मार्टिन बैंक लिमिटेड में खाता है जो शुरु में 1000 पौण्ड की रकम जमा करा कर 18 दिसम्बर, 1947 को खोला गया था । यह रकम उनके स्वर्गीय पिता द्वारा यूनाइटेड किंगडम में अपनी रायल्टी की आय में से दी गई थी । यह खाता भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति से मार्च, 1970 तक चलता रहा। इसे मार्च 1970 में बन्द कर दिया गया और 1126-3-5 पौण्ड की शेष राशि भारत में मंगा ली गई।

भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड में ऐसी कोई घोषणा नहीं है, जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा विदेशों में खाता रखे जाने का पता चलता हो ।

(ग) जी, नहीं।

धन कर के निर्धारण हेतु सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

1767. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह प्रस्ताव रखा है कि धनकर का निर्धारण शहरी भूमि के बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि किन्हीं अन्य बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ;

(ग) क्या बोर्ड के किसी सदस्य के पास प्रत्यक्ष कर योग्य उस समय कोई शहरी भूमि थी जब कि यह निर्णय लिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन धनकर किसी परिसम्पत्ति के उस बाजार मूल्य पर देना होता है जो उस परिसम्पत्ति को खुले आम बेचने से प्राप्त होने की संभावना हो। जुलाई, 1976 में में एक विभागीय समिति यह जांच करने के लिए गठित की गई थी कि अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण करने के लिए ऐसे सम्यक् मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित किये जा सकते हैं जिनके बारे में अधिक उपयुक्त यह हो कि उन्हें नियमों का रूप दे दिया जाय, जिससे ऐसे मूल्यांकनों में अनिश्चय की स्थिति को समाप्त अथवा कम किया जा सके, तथा धन-कर के प्रशासन में एकरूपता लाई जा सके एवं मुकदमें बाजी को कम किया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट 19 फरवरी, 1977 को पेश की है, और ऐसे नियम के बारे में कुछ सुझाव दिये है जो कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में कानूनी छानबीन के उपरान्त आवासीय अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए बनाये जा सकें। इस की जांच की जा रही है और सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ख), (ग) और (घ) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण नीति

1768. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मई के अन्त में नई ऋण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह नीति महंगाई मुद्रा नीति से दूर जाने की द्योतक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मई, 1977 को वर्ष 1977-78 के लिए ऋण नीति की घोषणा की थी।

(ख), (ग) और (घ) : मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने के स्फीतिकारी प्रभाव को रोकने की बात को ध्यान में रखते हुए ऋण नियंत्रण के उपायों को और कड़ा बना दिया गया है। बैंकों की अतिरिक्त जमा रकमों के एक भाग को रोक रखने की योजना की अवधि और बढ़ा दी गई है तथा रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के पुनर्वित्त पोषण पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं जिसमें अनाज की सरकारी खरीद के लिए दिए जाने वाले ऋण भी शामिल हैं। दीर्घावधिक निवेशों को

प्रोत्साहन देने के विचार से सावधिक ऋणों के ब्याज की दर कम कर दी गई है । बैंकों के लागत ढांचे को युक्ति संगत बनाने के लिए अल्पावधिक जमा रकमों के ब्याज की दरें भी कम कर दी गई हैं । पांच वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि के लिए जमा रकमों पर ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इस नीति का उद्देश्य तेलों और तेलहनों पर बैंक ऋण के संबंध में मार्जिन में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करना है ताकि कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को रोका जा सके । इसी बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे माल के आयात के द्वारा इनकी पूर्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है । नई ऋण नीति का उद्देश्य मंहगी मुद्रा नीति से दूर जाना नहीं है । लेकिन इसका लक्ष्य उत्पादन लागत में कमी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर ढांचे को युक्ति संगत बनाना है। बैंक दर जो ब्याज दर-ढांचे का केन्द्र बिन्दु होती है उसमें कोई परिवर्तन न करके उसे 9 प्रतिशत ही रखा गया है ।

आयातकों द्वारा वस्तुओं का आयात करने के लिए पक्के आश्वासन देना

1769. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि उदारता से लाइसेंन्स देने की नीति के अन्तर्गत आयाकर्ताओं को वस्तुओं का आयात करने का लाइसेन्स देने से पूर्व उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि वे उन वस्तुओं का आयात अवश्य करेंगे ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां (1) शुद्ध तेलों (2) मेवों (3) खजूरों (4) लौंग (5) जायफल और (6) दालचीनी के आयात के लिए लाइसेंन्स आवेदकों द्वारा की गई पक्की आयात बचनबद्धताओं के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ख) यह क्रिया विधि यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है कि जो लाइसेंस दिए जायें वे किए जाने वाले वास्तविक आयातों के समरूप होने चाहिएं तथा वे इन मदों के आयात को भी सम्यक रूप में मोनिटर करें।

भारतीय जूट निगम द्वारा प्राप्त किये गये निर्यात आर्डर

1770. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जूट निगम ने चालू वर्ष के लिए अमरीका ब्रिटेन रूस तथा मिश्र से 4.5 करोड़ रुपये के निर्यात आर्डर प्राप्त कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्चे जूट की वसूली के लिए अपने क्रय केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या बड़े बड़े जूट व्यापारियों ने राजकोष को कई करोड़ रुपये का घाटा पहुंचाया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय पटसन निगम ने संयुक्त राज्य अमरीका-ब्रिटेन सोवियत संघ, मिश्र, कनाडा आदि से लगभग 10.47 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात क्रयादेश प्राप्त किए हैं ।

(ख) भारतीय पटसन निगम की चालू वर्ष में विभागीय खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 100 तक करने की योजना है जबकि पिछले वर्ष इन की संख्या 87 थी।

(ग) तथा (घ) सरकार को निर्यात सौदों में इस प्रकार के घाटों या बिक्री केन्द्रों की स्थापना की अभी तक कोई जानकारी नहीं है ?

ग्रामीण बैंकों की स्थापना

1771. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस वर्ष में ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने और/अथवा उनका विस्तार करने का निर्णय लिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने निर्णय किया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मूल रूप से निर्धारित 50 की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया जाय।

कलकत्ता, त्रिपुरा तथा दक्षिण भारत में हौजरी एकक

1772. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता त्रिपुरा तथा दक्षिण भारत में स्थित हौजरी एककों को निर्यात सम्वर्धन के लिए सहायता की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) इन क्षेत्रों के हौजरी उद्योग को कुछ सहायता की जरूरत है जिससे निर्यातों के विस्तार के लिए इसके उत्पादों की क्वालिटी सुधारी जा सके। वस्त्र आयुक्त तथा लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा गठित हौजरी पैनल द्वारा इन पहलुओं का अध्यन किया जा रहा है।

समुन्द्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों के लिये सामान्य भविष्य निधि

1773. **श्री आर० के० अमोन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1972 में स्थापित किये गये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में किस तिथि को सामान्य भविष्य निधि की व्यवस्था आरम्भ की :

(ख) कर्मचारियों के लिये यह निधि आरम्भ करने में असाधरण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) प्राधिकरण कितने समय से लेखा अधिकारी के बिना काम चला रहा है ; और

(घ) क्या प्राधिकरण ने कर्मचारियों के लिये इस बीच पेंशन निधि बनायी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सामान्य भविष्य निधि मई 1976 से शुरू की गई थी। फिर भी भूतपूर्व समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के अमले के लिए जो अंशदायी सामान्य निधि योजना के अन्तर्गत था वह अगस्त 1972 में प्राधिकरण के अमले के रूप में उनके विलय हो जाने के बाद भी उन पर लागू रही।

सामान्य भविष्य निधि की व्यवस्था समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार की जानी थी जिसका अंतिम ड़प से अनुमोदन अभी किया जाना बाकी है। इसका निर्णय होने तक के लिये एक सामान्य भविष्य निधि योजना कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है।

(ग) प्राधिकरण में अक्टूबर 1974 से कोई लेखा अधिकारी नहीं है प्राधिकरण का सचिव लेखा अधिकारी के काम को भी सम्हाल रहा है ।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित विनियमों के अन्तर्गत पेंशन लाभ केन्द्रीय सरकार के नियम तथा विनियमों के अनुसार होंगे जब तक कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपबन्ध न बना दिये जाएं ।

उत्पादकों के अपरिष्कृत पटसन की खरीद

1774. **डा० सरदीश राय :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीब पटसन उत्पादकों से उचित मूल्य पर सीधे अपरिष्कृत पटसन न खरीदे जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : भारतीय पटसन निगम, जिसे पटसन उपजकर्ताओं को उचित कीमतें दिलावने के लिये स्थापित किया गया है, अपने विभागीय क्रय केन्द्रों की मार्फत सीधे उपजकर्ताओं से माल की खरीद करने का प्रयत्न कर रहा है। इस क्षेत्र में जो कठिनाइयां अनुभव की जा रही है, वे हैं : गोदामों की कमी, गांठें बांधने की सुविधाओं की कमी, बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता, संचार की कठिनाइयां, और अन्दरुनी क्षेत्रों में फैली हुई विस्तृत ग्रामीण कर्जदारी। इन कठिनाइयों के बावजूद छोटे पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से क्रय केन्द्रों का बढ़ाने का निश्चय किया गया है ।

Complaints received against the Chairman, Vijaya Bank

1775. **Shri K. Lakkappa :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether Government have received many complaints of victimization of employees against the Chairman of Vijaya Bank; and

(b) if so, the steps taken by Government to watch and safeguard the interests of the employees?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) (a) & (b) : Presumably, the Hon'ble Member is referring to representations of, and on behalf of, 16 employees whose services have been terminated by the Vijaya Bank Ltd., Reserve Bank of India have reported that they have asked the bank to refer their cases to an independent outsider, acceptable to the Reserve Bank, with a view to looking into the justification or otherwise of the action taken by the bank against them. The appointment of such independent outsider is expected to be announced shortly.

Import and Export of Goods.

1776. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the provisions of import policy announced for the yer 1976-77 were followed scrupulously by the industrialists; and

(b) if so, the value of goods imported from foreign countries and the value of goods exported or utilised in the country as a result thereof ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia):

(a) By and large, the conditions of import licences were observed by the licences. However, in cases of suspected violation of conditions of import licences, action under Import Trade Control regulations is initiated.

(b) The total value of imports of all goods during the year 1976-77 was of the order of Rs. 4908 crores, and the total value of exports during the year was Rs. 4980 crores.

Utilization of Goods Imported from Foreign Countries

1777. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether goods imported last year were utilised for the purpose for which they were imported; and

(b) the industrialists found guilty of misusing them and the action taken against them?

The Minister of Commerce & Civil Supplies and Cooperation (Lhri Mohan Dharia): (a) & (b) Information about cases of misutilisation of imported goods which were reported during the year 1976-77 and action taken in those cases, is being collected from various licensing offices in the country, and will be laid on the Table of the House.

Export of Groundnut

1778. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether huge quantity of groundnut has been exported as per an agreement reached by Government and this has created shortage of groundnut oil in the country and the prices of this oil have registered considerable increase; and

(b) if so, the quantity of groundnut exported under the agreement and the country-wise quantity of groundnut in respect of which the agreements were concluded and the dates on which these agreements were conducted?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) & (b) There was no specific agreement for export of groundnuts. However, a quota of 50,000 tonnes of groundnuts was released for export in November, 1976. The total exports during April-December, 1976 had been 86191 tonnes valued at Rs. 35.45 crores. Such exports have adversely affected the prices of edible oils in the country. The names of the countries and the quantities of exports are in the statement annexed.

[Placed in Library See No. L.T. 506/77]

संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध

1779. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) रुग्ण चाय बागानों का प्रबंध अपने अधिकार में लेने का विनिश्चय प्रत्येक मामले में गुणावगुण पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी बचतों तथा पूंजी निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिये कर में छूट

1780. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चैम्बर आफ कामर्स ने बजट से पूर्व कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिभूतियों तथा लाभांशों से ब्याज पर कर में छूट सम्बन्धी सीमा में वृद्धि करके निजी बचतों तथा पूंजी निवेशों को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस ज्ञापन की जांच की है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) बजट से पहले विभिन्न वाणिज्य मण्डलों, व्यापार तथा व्यवसायिक संगठनों, एकाकी करदाताओं आदि से जो ज्ञापन और सुझाव प्राप्त होते हैं, उन पर सरकार विचार करती है। उन ज्ञापनों में दिये गये सुझावों पर सरकार का दृष्टिकोण वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 में निहित प्रस्तावों में प्रतिलक्षित होता है।

सार्वजनिक अपक्रमों के कर्मचारियों के लिये बीमा योजना

1781. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिये प्रस्तावित बीमा योजना को सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर भी लागू किया जायेगा।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गयी बीमा योजना को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों पर भी लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, अधिकांश सरकारी उद्यमों के कर्मचारी निम्नलिखित में से किसी एक या उससे अधिक बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं :-

(i) जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना।

(ii) जमा से सम्बद्ध बीमा योजना।

(iii) कर्मचारी हित निधि योजना।

मंत्रालय का परिमार्जन

1782. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मंत्रालय से उन अधिकारियों को निकाल कर, जो धनराशि एकत्र करने का माध्यम बताए जाते हैं; मंत्रालय का परिमार्जन करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1 जून, 1977 को भ्रष्ट अधिकारियों के कितने मामले पता चले; और

(ग) इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) मंत्रालय तथा निगमों के कितपय वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के संदेह तथा कदाचार की कुछ शिकायतें थी। इनमें से कुछ मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी किये गये हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न जांच पूरी हो जाने के बाद ही उठेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार वार्ता

1783. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार वार्ता बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच पहले किये गये व्यापार समझौते को जारी रखा जा रहा है;

(ग) क्या पाकिस्तान के साथ कोई और व्यापार समझौते होने की सम्भावना है; और

(घ) देनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) भारत-पाकिस्तान व्यापार समीक्षा वार्ताएं 11 से 14 अप्रैल तक नई दिल्ली में चलीं। उनमें इस बात पर सहमति हुई कि आगे से दोनों देशों के बीच व्यापार मुक्त विदेशी मुद्रा में होगा जैसा कि 23-1-75 को हस्ताक्षरित व्यापार करार के अनुच्छेद 7 में व्यवस्था है। 23-1-75 को इस बात पर भी सहमति हो गई थी कि दोनों देशों के बीच व्यापार करार की अवधि 22-1-78 तक बढ़ा दी जाए।

(घ) हाल ही के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार का परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :--

(लाख रु० में)

	निर्यात	आयात
1975-76	78.1	2212
'अप्रैल 76--फरवरी 77'	789	1

निर्यात के लिए प्रोत्साहन

1784. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रति तीन माह में नकद सहायता के रूप में निर्यात के लिए प्रोत्साहन देती है; और

(ख) क्या गत 18 महीनों में निर्यातकर्ताओं को नकद सहायता देने में असाधारण देरी की गई है

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्यातकों के विभिन्न वर्गों को नकद सहायता मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक तथा वार्षिक आधार पर देय है ।

(ख) जी हां। कुछ मामलो में नकद सहायता के भुगतान में हुआ विलम्ब सरकार के ध्यान में आया है । इन विलम्बों के मुख्य कारण थे—निर्यातकों से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में त्रुटियां तथा कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयां।

Development of Tourist Spots

1785. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have collected information regarding development of some new tourist spots in the States as centres of attraction for foreign tourists;

(b) if so, whether Rajasthan Government has also evinced some interest in this; and

(c) if so, the facts thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a), (b) and (c) At the request of the Government of Rajasthan, a Survey Team comprising the representatives of the Central and State Departments of Tourism, Air India, Indian Airlines, India Tourism Development Corporation and the Travel Agents Association of India visited Rajasthan during July-August 1976 with a view to assessing the tourism potential of new centres and for suggesting the improvement and augmentation of facilities at existing tourist centres. The Report of the Survey Team has been presented to the Government of Rajasthan. It has initiated action on some of the schemes.

Import of Machinery

1786. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of export oriented units which were granted licences during 1976-77 for import of machinery indicating the value thereof and the names of countries from which they were to be imported and the terms therefor; and

(b) whether these units had complied with all the requisite terms before making imports?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

युवा कांग्रेस द्वारा एकत्र की गई धनराशि पर कर

1787. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि युवा कांग्रेस ने आपात स्थिति के दौरान दिल्ली और दिल्ली से बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा स्मारिका आदि प्रकाशित करके बहुत बड़ी धनराशि एकत्र की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या युवा कांग्रेस ने अब तक आय कर विवरणियां प्रस्तुत की हैं; और यदि हां, तो चन्दों का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो युवा कांग्रेस के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचार देखे हैं जिनसे पता चलता है कि आपातकालीन स्थिति में युवा कांग्रेस ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा स्मारिकाएं प्रकाशित करके बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया है ।

(ख) और (ग) इन समाचारों में कोई ब्यौरे नहीं हैं। कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान ब्यौरे प्राप्त किये जायेंगे। युवा कांग्रेस ने अब तक आय-विवरणी दाखिल नहीं की है । कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 139(2) के अधीन नोटिस जरूर जारी किया जा रहा है । कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान युवा कांग्रेस द्वारा एकत्रित किये गए धन के ब्यौरे प्राप्त किये जायेंगे और कर-निर्धारण करते समय इन रकमों को हिसाब में लिया जायगा । कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान यदि यह पता चलता है कि युवा कांग्रेस को इससे पहले भी कर लगने योग्य आय प्राप्त हुई है, तो उस आय का कर-निर्धारण करने की कार्यवाही भी की जायगी।

अर्ध तैयार चमड़े का निर्यात

1788. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों को ऐसे अर्ध तैयार चमड़े के निर्यात के बारे में कोई शिकायत मिली है जिसे तैयार चमड़े के रूप में निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे निर्यात से सरकार को कितनी हानि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस प्रकार की एक आम शिकायत प्राप्त हुई थी । सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुसार गलत श्रेणी के अंतर्गत अर्ध तैयार चमड़े का ऐसा कोई निर्यात नहीं हुआ है । तैयार चमड़े के परेषणों की गहन जांच की जाती है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल सरकार और रबड़ उत्पादकों द्वारा अभ्यावेदन

1790. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार और केरल के रबड़ उत्पादकों ने रबड़ उत्पादकों की समस्याओं और रबड़ की बिक्री और उसके मूल्य के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार/भारतीय लघु रबड़ उपजकर्ता एसोसिएशन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त अनुरोध किए हैं :—

1. रबड़ की कानूनी न्यूनतम कीमत में संशोधन करना ।
2. रबड़ निर्यात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम के कार्यकलापों में तेजी लाना, रबड़ समस्या का दीर्घावधि जायजा लेना और रबड़ को निर्यात की परम्परागत मदों में शामिल करना ।
3. रबड़ निर्माता उद्योग के लिए ढाई मास की जरूरत के बराबर प्राकृतिक रबड़ रखना अनिवार्य बनाना ।
4. रबड़ बोर्ड द्वारा तैयार की गई समीकरण भंडार योजना के लिए शीघ्र अनुमोदन देना।

5. यह सुनिश्चित करना कि रबड़ की उत्पादों की कीमतों और प्राकृतिक रबड़ की कीमतों का उचित रूप में परस्पर संबंध हो।

6. छिड़काव (स्प्रेइंग) उपदान जारी रखा जाए।

(ग) रबड़ की संशोधित न्यूनतम कीमत के निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है।

उपजकर्ताओं को उनके रबड़ के स्टाक से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 1976 में 21,000 मे० टन के निर्यात की अनुमति दी थी जिसमें से 17,000 मे० टन के लिए राज्य व्यापार निगम को और 4,000 मे० टन के लिए उपजकर्ताओं या उपजकर्ता सार्थ संघ को राज्य व्यापार निगम के संरक्षण में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। राज्य व्यापार निगम लगभग 13,000 मे० टन का निर्यात कर चुका है। मांग और पूर्ति स्थिति तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए देशी रबड़ के निर्यात की अनुमति देने के प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

लघु रबड़ उपजकर्ताओं को छिड़काव (स्प्रेइंग) उपदान देने की योजना को 30-6-1977 तक जारी रखा गया है।

विदेशीमुद्रा की जालसाजी

1791. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले गिरोह फिर सक्रिय हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस बारे में सतर्कता बरती जा रही है कि विदेशी मुद्रा जालसाज अपनी गतिविधियां पुनः आरम्भ न कर सकें।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार समझौता

1792. **श्री निहार लास्कर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच व्यापार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच राजनैतिक मतभेदों के कारण कोई नया व्यापार समझौता नहीं किया जा सका ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दोनों देशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान किया गया है और एक नई संधि करने के लिए यथासमय बातचीत पुनः शुरू होने की संभावना है।

कपड़े के मूल्य में वृद्धि

1793. **श्री निहार लास्कर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में कपड़े के बढ़ते हुए मूल्य रोकने में समर्थ नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) लोगों के लिए सस्ते कपड़े की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूती कपड़े की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है जो रूई की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि होने के कारण हुई, जिसमें कपड़े की कीमत में वृद्धि अपरिहार्य हो गई ।

(ग) कंट्रोल के कपड़े के, जो नियंत्रित कीमतों पर जनता के कमजोर वर्ग के लिए होता है, उत्पादन की सतत योजना है ।

विदेशी सहायता

1794. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक या एक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ने, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी तथा पश्चिमी विकसित राष्ट्रों का एक ग्रुप भी सम्मिलित है वर्ष 1976 और 1977 में भारत की खास परियोजनाओं के लिए नए तथा अतिरिक्त ऋण देने का वायदा किया और ऋण दिये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० 507/77]

कांडला निर्बाध-व्यापार क्षेत्र

1795. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में अब तक कितने और किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए और जो वहां कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वे पूरे जोर-शोर से कार्य कर रहे हैं और क्या वे देश के राजकोष के लिए भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थापित उद्योग जो कार्य कर रहे हैं।

क्रमांक	उद्योग	कार्य कर रहे एककों की सं०	1976-77 के दौरान निर्यात	टिप्पणी
1.	इंजीनियरी	8	1.28 करोड़ रु०	6 एकक इस समय निर्यात कर रहे हैं । आशा है कि अन्य दो एकक शीघ्र ही निर्यात शुरू कर देंगे ।
2.	वस्त्र	12	0.37 करोड़ रु०	9 एकक इस समय निर्यात कर रहे हैं और आशा है कि बाकी तीन भी शीघ्र निर्यात शुरू कर देंगे ।
3.	रसायनिक पदार्थ तथा संबद्ध उत्पाद	3	0.14 करोड़ रु०	—
4.	प्लास्टिक	5	0.21 करोड़ रु०	—
5.	साधित खाद्य पदार्थ	1	1.39 करोड़ रु०	—
6.	हस्तशिल्प	2	0.13 करोड़ रु०	—
7.	विविध	3	0.005 करोड़ रु०	टाइप सेट फिल्मों का 1 एकक, सख्त पी वी सी पाइपों का एक एकक, स्टेंप्स की प्रोसेसिंग का 1 एकक।
		34	3.525 करोड़ रु०	

राजस्व आसूचना विभाग का पुनर्गठन

1796. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री सचिवालय से राजस्व और आसूचना विभाग वित्त मंत्रालय को लौटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की नई राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में तथा सरकार के वित्तीय कार्यों की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इस विभाग का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) तथा (ख) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय को वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग में 3 अगस्त, 1970 को मिलाया गया था। इसे 7 अप्रैल, 1977 से पुनः राजस्व और बैंकिंग विभाग में मिला दिया गया है।

(ग) तथा (घ) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय की पुनः संरचना अथवा उसके पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है, ताकि उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, विभिन्न एककों के प्रयत्नों की अतिव्याप्ति तथा द्विरावृत्ति से बचा जा सके और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा सके।

कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर और मद्रास-पोर्ट ब्लेयर के बीच बोइंग विमान सेवा

1797. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और मुख्य भूमि अर्थात् भारत के बीच संचार सम्पर्क को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर तथा मद्रास और पोर्ट ब्लेयर के बीच शीघ्र ही कोई बोइंग विमान सेवा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे और इस पर कुल कितना खर्च आयेगा तथा क्या ऐसा विमान सम्पर्क एक सप्ताह में दो बार अथवा इससे अधिक का होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच इस समय वाइकाउंट विमानों द्वारा की जा रही अपनी सप्ताह में दो बार की वर्तमान सेवा के स्थान पर सप्ताह में दो बार की बोइंग 737 सेवा चालू करने की योजना बना रही है। परन्तु इस विषय में कोई भी निर्णय विभिन्न परिचालानात्मक अपेक्षाओं की जांच कर लेने के बाद ही लिया जायेगा।

इंडियन एयरलाइन्स की मद्रास और पोर्ट ब्लेयर को विमान सेवा से जोड़ने की कोई तत्काल योजना नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स ने अनुमान लगाया है कि बोइंग-737 विमान द्वारा सप्ताह में दो बार की सीधी सेवा परिचालित करने में कुल लागत 41.74 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी।

वस्त्र निर्यात संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

1798. **श्री के० ए० राजन**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री श्री मोहन धारिया: (क) ऐसा कोई कार्यकारी दल नियुक्त नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Scheme to provide loans through Banks to persons engaged in cottage industries

1799. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a scheme for providing assistance through the Banks to persons engaged in Cottage industries keeping in view Government's policy of encouraging cottage industries; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) Most of the public sector banks have formulated special schemes for providing financial assistance to rural artisans and persons engaged in cottage industries. While sanctioning loans, special considerations are shown to such borrowers in the matter of interest, margin, security and repayment schedule, etc.

Whenever such persons are eligible for loans under Differential Rate of Interest Scheme, loans are provided to them at 4% rate of interest.

Development of Mathura-Vrindavan as a Central Tourist Centre

1800. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether Government have under consideration any scheme to develop Mathura-Vrindavan situated between Delhi and Agra as a Central Tourist Centre?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : The Department of Tourism, U.P. had prepared a plan for an integrated development of Sri Krishna Complex at Mathura at an estimated cost of Rs. 6.97 crores as per details given in the attached statement. The State Government had been requested to furnish details about the schemes relating to the setting up of an Institute of Brij Culture with auditorium, open air-theatre and landscaping. The information is still awaited.

STATEMENT

Abstract statement of the estimated cost of integrated Development of Sri Krishna Complex (Mathura) prepared by the U.P. Government

	(Rs. in lakhs)
1. Improvement of two under bridges	50.00
2. Construction of road bridge at Yamuna	50.00
3. Construction of Bus Port	50.00
4. Accommodation	222.50
5. Institute of Brij culture with Auditorium	100.00
6. Open air theatre	10.00
7. Son-et-Lumiere	30.00
8. Flood-lighting	2.50
9. Construction of cafeterias	17.50
10. Construction of Shopping Arcade	50.00
11. Landscaping	10.00
12. Improvement of Parikrama Route.	23.00
13. Improvement of Ghats	15.00
14. Memorial of Poet Surdas with a Research Centre	15.00
15. Development of Potrakund	1.50
16. Barricading the Refinery Project with thick plantations	2.00
17. Road side plantations with ornamental trees	1.00
18. Afforestation of Brij-desh	15.00
19. Work Home for Beggars	20.00
20. Preparation of Films	6.00
21. Printing of Folders	5.00
22. Press Advertisements.	1.00
Total	697.00

Export facilities for the goods manufactured by cottage industry

1801. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a scheme to provide special export facilities for the goods manufactured by cottage industry; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) & (b) Products of cottage industries enjoy the normal export facilities. Besides, special encouragement is provided for the export of the products of cottage industries under the import policy for registered exporters and also through various development schemes for the cottage industries.

Funds made available by nationalised banks for agricultural works in Rajasthan

1802. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state the district-wise break-up of funds made available by nationalised banks for agricultural development works in Rajasthan?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel): Particulars of credit extended by the public sector banks, District-wise, to agriculture (both direct and indirect finance) in Rajasthan as on the last Friday of December, 1975 (latest available) are as under:

(Amount in lakhs of Rupees)

District	SBI Group		Nationalised Banks		Total	
	No. of A/cs.	Amount	No. of A/cs.	Amount	No. of A/cs.	Amount
Jaipur	3,110	167.54	3,656	181.27	6,766	348.81
Alwar	1,245	75.12	880	64.54	2,125	139.66
Bharatpur	1,084	57.34	2,009	163.25	3,093	220.59
Sawai-Madhopur	816	31.88	580	28.51	1,396	60.39
Tonk	185	10.80	80	8.85	265	19.65
Bhilwara	227	23.72	3,791	97.31	4,018	121.03
Ajmer	294	12.94	1,692	51.15	1,986	64.09
Nagaur	751	27.55	1,670	50.97	2,421	78.52
Sikar	463	25.50	2,916	77.00	3,379	102.50
Jhunjhunu	1,426	94.40	2,071	48.98	3,497	143.38
Churu	26	4.59	278	6.61	304	11.20
Ganganagar	3,464	202.73	603	139.64	4,067	342.37
Bikaner	986	13.94	9	0.57	995	14.51
Jaisalmer	32	0.63	..	..	32	0.63
Barmer	634	31.93	2	0.32	636	32.25
Jalore	1,598	63.19	4	1.11	1,602	64.30
Sirohi	740	34.65	211	6.97	951	41.62
Pali	631	77.99	64	8.10	695	86.89
Jodhpur	106	7.70	935	83.12	1,041	90.82
Udaipur	3,242	65.97	1,710	41.92	4,952	107.89
Dungarpur	3	0.38	479	9.97	482	10.35
Banswara	205	5.48	837	28.02	1,042	33.50
Chittorgarh	531	32.70	2,244	61.42	2,775	94.12
Bundi	199	34.77	768	73.63	967	108.40
Kotah	983	49.29	663	69.83	1,646	119.12
Jhalawar	472	17.04	651	20.17	1,123	37.21
Total	23,453	1,169.77	28,803	1,323.23	52,256	2,493.00

विद्युतचालित करघों पर रंग-बिरंगी साड़ियों के उत्पादन पर रोक

1803. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 31 मार्च, 1982 तक विद्युतचालित करघों पर रंग-बिरंगी साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगाई है ;

(ख) यह रोक लगाए जाने के परिणामस्वरूप कितने विद्युतचालित करघों को घाटा होगा अथवा उन्हें बंद करना पड़ेगा और इससे कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) ऐसे विद्युतचालित करघों के लिए, जो केवल रंग-बिरंगी वस्त्र सामग्री का ही उत्पादन कर सकते हैं, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) संभवत : माननीय सदस्य का अभिप्राय 15 अप्रैल, 1977 को जारी की गई अधिसूचना से है जो 31 मार्च, 1982 तक विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक के बारे में है । नवम्बर, 1966 से ही विद्युतचालित करघों पर रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगी हुई है और इस अधिसूचना में पहले वाले उपबंधों को ही दोहराया गया है और हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में अब 31 मार्च, 1982 तक की सीमा रख दी गई है।

(ख) तथा (ग) बड़े पैमाने पर करघों के बंद होने या श्रमिकों के विस्थापन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सभी करघे कई किस्मों की अनारक्षित मदों का उत्पादन कर सकते हैं । फिर भी वस्त्र संबंध समन्वित राष्ट्रीय नीति पर विचार करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखापरीक्षित लेखे

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 152 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समितियां नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 494/77]

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1975-76 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 495/77]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा डाक और तार विनियोग लेखे

(वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (ड्राफ्ट, चैक अथवा अन्य लिखत का भुनाना) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 533 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 496/77]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 275 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 मई, 1977 की अधिसूचना संख्या 86/77 सी० ई० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा। गया। **देखिये** सं० एल० टी० 497/77]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 498/77]

(4) वर्ष 1975-76 के लिए विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 499/77]

वर्ष 1977-78 के लिये इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं वर्ष 1977-78 के लिए इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 500/77]

वर्ष 1977-78 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1977-78 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति।

(2) वर्ष 1977-78 के लिए नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 500/77]

सातवें वित्त आयोग के बारे में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करतें हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 23 जून, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा सातवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा। गया **देखिये** सं० एल० टी० 500/77]

बिहार राज्य के सम्बन्ध में की गयी उद्घोषणा का निरसन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं श्री चरण सिंह की ओर से संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड 2 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 24 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन, बिहार राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गयी उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 24 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 406 (ङ) में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा। गया **देखिये** सं० एल० टी० 500/77]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री **रविन्द्र वर्मा**) : मैं घोषणा करता हूं कि शनिवार, 25 जून, 1977 तथा सोमवार, 27 जून, 1977 की कार्य सूची में शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान का क्रम इस प्रकार होगा :—

(1) वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय
(2) इस्पात और खान मंत्रालय
(3) विदेश मंत्रालय

समितियों में निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEES

(श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हू ।

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सस्दय निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चाए बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री मोहन धारिया : : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोहन धारिया: मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोहन धारिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम एजेण्डे के अगले मद पर विचार करेंगे।

श्री वसंत साठे : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री राजनारायण एक तरह से राष्ट्रपति की नकल कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री वसंत साठे : राष्ट्रपति से हुई बात की चर्चा करते हुए श्री राज नारायण ने उनकी नकल की है और उनका अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर आगे चर्चा नहीं होनी चाहिये। यह उचित नहीं है। आप इसे मुझ पर छोड़ें। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

अब श्री राजनारायण अपना विधेयक पेश करें (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपने कल इंडियन एक्सप्रेस के बंद होने के बारे में कहा था। उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : इसे सोमवार को लिया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत इंडियन एक्सप्रेस सम्बन्धी प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में सरकार कल या सोमवार को उत्तर देगी। मेरे विचार में मंत्री कुछ कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इन्हें वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसे सोमवार को लिया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : कल क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं निर्णय ले चुका हूं।

श्री सी०के चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : यदि मंत्री जी चाहें तो कल भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री ऐसा कर भी लें तो आपकी उनके साथ टक्कर होगी और हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the taking over of the management of the undertakings of the two Yoga Societies for a limited period in the public interest and in order to secure the proper management thereof and for matters connected therein or incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, today again I will request this House to give a serious consideration to this Bill related with institutions of Yoga Science. It was in 1958 that a registered institution known as Vishwayatan Yogashram was set up in Delhi. The objects of this society inter alia included encouragement of the study and teachings of various aspects of Yoga Science This institution is being managed by a Board of Trustees.

The Ministry of Education and Social Welfare had been giving grants for the recurring and non-recurring expenditure of the two Centres of Yogashram situated in Delhi and Katra Vaishno Devi. In 1963 when the then Minister of Education received complaints of misappropriation and misuse of public money against the Yogashram, it was decided not to give any grants in future and the C.B.I. and the Auditor General were asked to inquire into the complaints. As a result of the inquiry no grants were given to the Yogashram in 1963-64 and 1964-65. But subsequently in 1966 on the recommendation of a special committee appointed to evaluate the programmes of the Yogashram the grant was restored.

The central council of Indian Medical and Homoeopathic Research which was an autonomous body under the Ministry of Education and Social Welfare, agreed to open a clinical research unit in the Vishwayatan Yogashram under Shri Dhirendra Brahmachari. From 1969-70 to 1975-76 the Council gave Rs. 19,41,372 to this research unit. In 1973 it was decided that this unit be converted into a Central Yoga Research Institute and it actually came into being in January, 1976.

Now a part from the amount of Rs. 19,41,372 given to the clinical research unit upto 1975-76 the Ministry of Health also gave a grant of Rs. 8,08 lakh to the Central Yoga Research Institute in 1976-77. But all this money was not properly used and many complaints were received in this regard. A senior officer of the Ministry was deputed to inquire into those complaints and after a thorough inquiry lasting about 1-1/2 months it was revealed that Shri Dhirendra Brahmachari had been spending the money irregularly and that no proper accounts were kept. It was also disclosed that the building of the Yogashram for which land was allotted near Gole Post Office in Delhi and which was to be completed by 1973, had not yet been completed. In view of such grave irregularities it was decided to take over the Vishwayatan Yogashram and the Central Yoga Research Institute for two years in the first instance and to vest the Central Government with the power to increase this period to 5 years. Accordingly, the management of Vishwayatan Yogashram, New Delhi and its branch in Katra Vaishno Devi and the Central Yoga Research Institute which were registered bodies, had been taken over by the Central Government under the provisions of Yoga Undertaking (Taking over of Management) Ordinance, 1977.

Before the take over of the management this institute was engaged in research in various fields. We intended to undertake that work on Scientific lines. We want that competent persons are appointed therein who may carry on the work properly.

Regarding Katra Vaishno Devi branch of Vishwayatan Yogashram, I may submit that this branch imparted training in Yoga to 100 candidates for 3 months and also to 50 candidates for one month. Now, in view of the decisions as taken by Government of India, it is proposed to expand yoga training programme. It is the desire of the Government that yoga training should be imparted in schools and colleges. We are planning that village health workers for whom this scheme is proposed, should start it from 2nd October. It is proposed to give a three month training programme for 200 candidates at first instance.

The Vishwayatan Yogashram is imparting training in Yogic exercise at Delhi. Many of the trainees are interested to have an understanding of the fundamentals of Yoga. That is why Government is also keen to arrange lectures by well-known yogis of the country. As the people from different parts of the country have come over here, I will welcome if they come out to suggest the name of some good yogis who can be helpful in this regard. Similarly, there are some people who have got specialised knowledge of Ayurveda and Unani system. I will welcome if Members send some information about such specialised people to Health Ministry so that they can also be considered.

During discussion, some of our friends expressed the opinion that the taking over of Yoga Undertaking is a hasty step on the part of the Government. If my memory serves me correctly, Shri Dhirendra Brahmachari also said the same thing while defending himself in Supreme Court. Shri Brahmachari also alleged that I have done so out of revenge. Because this is associated with the family of Smt. Indira Gandhi. But I may make it clear that this assumption is far away from the facts. We have not been guided by sense of revenge at any stage. I may further make it clear that if we had a revengeful approach, perhaps many people who are now moving freely, would have been behind the bars.

Sir, it is surprising to note that as the inquiry is proceeding further, new facts are coming to light. Another stunning revelation which has come to our notice is that apart from the grants which Yogashram received from the Government, it also received considerable amount by way of donations from companies such as Modi Spinning and Weaving Mills, Modi Rubber, J.K. Synthetic Ltd., Brooke Bond India Ltd. and Jindal Alluminium Ltd. But how these donations were utilized ? Nothing can be known about this question as no accounts have been maintained. There are neither any receipts of receipt nor any of expenditure. Only God knows what they have done with that money ?

Now see the poor fate of Congress Party. Congress Party has been completely routed out in whole of the Northern India. In Rae Bareli also the performance of the Party was equally miserable.

Shri K. Lakappa : But what happened in Tamil Nadu, Maharashtra and Kerala ? You failed to secure even a single seat there.

An Hon. Member : It will be more appreciable if Hon. Member confines himself to the subject of his speech.

Shri Raj Narain : Shri Dhirendra Brahmachari has stated that he has been imparting yoga training since the day's of Pandit Jawahar Lal Nehru. He has also claimed that he used to impart yoga exercises to Smt. Indra Gandhi also. But may I know if he taught anything to Shri Jagjivan Ram also. I think Shri Jagjivan Ram is a "Brahaman" in the real sense of the word whereas Smt. Gandhi is not because she never did anything or sacrificed anything for the sake of others.....

श्री के० लकप्पा : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या जनता पार्टी देश से जात-पात को नष्ट करने के लिए भी तैयार है।

Shri Raj Narain : Janata party is completely committed to the eradication of casteism from the country.....

Another fact which has come to light is that when Shri Dhirendra Brahmachari's office was opened before a Magistrate on 27th May, 1977 some bullets were recovered from the drawer of his table. A file on the subject of gun manufacturing has also been found in his residence. These facts should be widely circulated so that people may come to know how the money given for yoga research has been misused.

In view of the above facts this ordinance has become very necessary and the House should accept this bill which seeks to replace that ordinance.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : It is a small matter and the Health Minister has made a mountain of a mole hill. It is being alone with an ulterior motive of defaming Shri Dhirendra Brahmachari and other big personalities associated with him.

It is said that some people stayed in yogashram and indulged in undesirable activities. It appears that the entries in the register were made later on to defame them. Then it is said that pistols and bullets were found. But this Ashram has been taken over under an ordinance in the Month of May. So it appears that whatever has been done there, it was with the connivance of the Government and it is done with a view to defame Brahmachari. It is very unfair. Government should take over this Ashram and manage it directly. Full investigations should be made into these allegations.

Institutions connected with yoga should not be defamed. The management of this yogashram should be entrusted to good people and it should not be allowed to close down.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There can be no two opinions about the fact that whatever there was corruption and violation of law it should be rectified and with this view, this Bill should be unanimously supported. But it is unfortunate that whenever such measures are taken up, it is said that it is being done with a feeling of revenge.

It appears that whatever action is being taken in regards to this yogashram, it is being half heartedly.

It is astonishing as to how land could be allotted to this yogashram in the residential area when the request for allotment of land for Yogashram had been rejected by the then

Finance Minister, Shri Morarji Desai twice. In spite of it the land was allotted by the then Housing Minister Shri K.K. Shah. How can it happen without political pressure ? So this is purely a political matter.

The action taken by the Minister in this matter is welcome, because the character of Dhirendra Brahmachari is well known as a case of adultery has been pending against him. A case against him was hushed up in the past when his suitcase full of currency notes and a pistol was detected and when he got down at Palan air port in 1971. This cannot happen without political pressure.

The story of his Jammu Ashram is full of frauds. It is not only a question of Rs. 40–46 lakhs only. The activities of Brahmachari are nothing less than criminal acts. So this entire matter should be entrusted to C.B.I. for a thorough enquiry. The Intelligence wing of Income-Tax should also make a probe into this affair as to how and from where funds came for the construction of Jammu Ashram. It is learnt that even caves have been air conditioned there. A re-audit of their entire accounts should be taken up by auditors specially appointed by Government for this purpose.

It is well known as to how the balance money of the election funds was lying in the possession of Dhirendra Brahmachari after the 1971 elections were over. It is understood that crores of rupees taken out of State Bank were lying in his possession for days together. Had action been taken at the right moment, this money could have been recovered.

It is quite evident that this Brahmachari dabbled into politics and indulged in corrupt practices. Still he is given all facilities by the Government. A thorough probe should be made into all these matters. An individual who has been indulging in corruption and violation of law must be given most stringent punishment. Therefore, a thorough probe should be made by the Income Tax Intelligence and the C.B.I., into the misuse of funds, misuse of Government machinery and misuse of political power in this connection.

श्री सौगत राय (बरकपुर) : कई ऐसे मामले हैं, जिन पर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से सहमत नहीं हूं। किन्तु इस मामले में मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ हो, उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। जहां कहीं सरकारी तंत्र, शक्ति, विशेषाधिकार आदि का दुरुपयोग किया जाये उस पर सरकार को समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार इस योगाश्रम को अपने अधिकार में लेकर उचित कार्यवाही कर रही है।

यदि जनता सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है तो उनके इस कदम का स्वागत है। श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे व्यक्ति को दंडित करना उचित ही है।

योग और धर्म नितान्त रूप से व्यक्तिगत मामले हैं और यदि सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत बनाती है तो कहा नहीं जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा।

सत्ता में रहकर ऐसे बरसाती मेंढकों से बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये लोग हमेशा सत्ताधारियों का साथ देते हैं, कल जिन लोगों को संजय का संरक्षण प्राप्त था आज अन्य लोगों को जनता सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

विजया बैंक के चेयरमैन ने जनता पार्टी के एक संसद सदस्य के दामाद को संयुक्त महाप्रबन्धक नियुक्त किया है। फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाने के बावजूद भी सरकार चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती।

कल तक ये लोग संजय के साथ थे। आज आपके ईर्दगिर्द आ रहे हैं। सरकार को छोटे–छोटे आश्रम ही अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। ऐसे बड़े–बड़े उपक्रम भी लेने चाहिए जिनमें बहुत पैसा तथा भ्रष्टाचार है। श्री सुन्दरम् शैटी तथा श्री रामनाथ गोयंका के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए।

इन सब बातों के बावजूद भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रश्न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के 16 लाख रुपए का नही है। प्रश्न यह है कि 16 लाख रुपए का उपयोग किस तरह किया गया और वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां अत्यधिक प्रभाव वाले व्यक्ति धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की है। इन्होंने कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया और इस सम्बन्ध में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि किस आधार पर इतनी अल्पावधि में यह व्यक्ति इतना प्रभावशाली बना।

16 जून को हमें कई ऐसे सदस्यों के नाम बताये गए जिनके बिल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने नहीं चुकाये। उसने सरकार से भी पैसा लिया और वापिस देने से इन्कार कर दिया । उन सभी लोगों को भयभीत किया गया जिन्होंने अपने बिल उससे मांगे और उन्हें कहा गया कि वे बिलों के भुगतान के लिए न कहें। लेखाकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस व्यक्ति के लेखों में यह एक गंभीर गलती है और विशेषकर तब जबकि यह सारी राशि केन्द्र सरकार से ली गई थी।

उसका सात मंत्रालयों मे अष्टभुज के रूप में पहुंचना हम सब के लिए महत्व का विषय है। सात मंत्री एक व्यक्ति की उंगलियों पर कैसे नाच सकते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, समाज में कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं, समाज में कोई उच्च स्थान नहीं, सात मंत्रियों को अपने इशारों पर नचाने में समर्थन कैसे हुआ।

पहले प्रधान मंत्री का सुपुत्र एक अमरीकी कम्पनी के कमीशन एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा था और कम्पनी से कमीशन लेता था। उसी कम्पनी ने धीरेन्द्र को यौगिक उद्देश्य के लिये एक हवाई जहाज दिया। इस जहाज को शुल्क से छूट दी गई तथा सभी प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया। अभी 48 जहाजों का और खरीदना था। धीरेन्द्र एक स्थानीय एयरवेज शुरू करने वाले थे। इससे पता चलता है कि उनके साम्राज्य का कितना विस्तार होने वाला था।

इस व्यक्ति ने काली गाय के लिये इच्छा व्यक्त की थी। उसने गाय की आंखों के रंग तथा अन्य विशेषताओं के बारे में ब्यौरा दिया । उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हरियाणा के पुलिस अफसरों को इस काम पर लगाया गया। अन्ततः पुलिस अफसर स्वामी जी की इच्छा के अनुसार गाय ढूंढने में सफल भी हुए और गाय को सेना के हवाई जहाज में दिल्ली लाया गया।

स्वामी की दिल्ली के सातों होटलों तक पहुंच थी। वह अशोका होटल में किसी भी समय जा सकता था और जितना भी खर्चा वह करता था, उसे अनार्थ समझा जाता था। अशोका होटल के प्रबन्धक का अनियमित ढंग से कार्य करने के लिए सजा दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने कि इस संस्थान के लिए अनुदानों को स्वीकृति दी, पूर्ण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान कीं, जांच की जानी चाहिए। मेरा सरकार से यह अनुरोध भी है कि उन सभी अधिकारियों की जांच कराई जाये जो इस संस्था को कोटा, ऋण और सुविधाएं देने से सम्बन्धित हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने माफिया जैसी गतिविधियों को तोड़ने के लिये, जो योग की आड़ में चलती थीं, यह विधेयक लाया है। योग के नाम पर जो राजनीतिक उठापटक आदि वहां चलती थी, वह बहुत ही आपत्तिजनक है।

जिन लोगों के पास शक्ति थी उन्होंने आपात स्थिति के दौरान उसका भरपूर उपयोग किया। बिजया बैंक के कर अपवंचन के मामलों को दबाने के लिए संजय गांधी ने 30 लाख रु० लिए। आलोक उद्योग के मामले में 16 करोड़ रु० का घोटाला हुआ आप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

हम सभी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यदि भ्रष्टाचार को जड़ की नष्ट किया जा सके तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Manohar Lal (Kanpur) : India has produced great illuminaries in the field of spiritualism and religion. But persons like Dhirendra Brahamachari brought a bad name to our country. Such persons who exploit our people in the name of religion should be brought to book.

There is yet another man by the name of Shri Chandra Swami. He is also involved in many fraudulent activities. The Government of Uttar Pradesh wanted to promulgate an ordinance for take over of religious trusts in the State. Mr. Chandra Swami took ten lakhs from many religious institutes on the plea that he would not allow to Government to promulgate such ordinance. This matter should be investigated.

The Government has assured that the institute will now be used for propagating yoga and Indian system of medicine. But I feel this place may be used to accommodate destitute children. We can set up orphanages.

At the time of elections we had assured the people that action will definitely be taken against all the persons guilty of corruption and excesses. We must keep our word.

श्री **ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : महोदय, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को श्रीमती गांधी ने खुली छूट दे रखी थी। उन्हें प्रत्येक विभाग से सुविधा मिल रही थी। सभी मंत्रालयों को परामर्श दिया गया कि जब भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सहायता मांगे तो इन्कार करने से पूर्व श्रीमती गांधी से पूछ लिया जाए। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए दो सुन्दरियों के साथ जापान जाने के लिए विदेशी मुद्रा की आसानी से मंजूरी मिल गई। यह सारी विदेशी मुद्रा सरकारी कोष में से दी गई।

1971 के निर्वाचन में रक्षा मंत्रालय की जीपों का खुल कर प्रयोग किया गया। स्टेटसमैन अखबार के एक फोटोग्राफर ने उन जीपों की फोटो लेने का प्रयास किया तो संजय गांधी ने उसे खूब पीटा। उसका कैमरा तोड़ दिया गया।

इसी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से पालम हवाई अड्डे पर 2 लाख रु० नकद और बिना लाइसेंस का रिवाल्वर प्राप्त हुआ था। पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। श्रीमती गांधी वह दो लाख रु० किसी राज्य में विधायकों की खरीद के लिए भेज रहीं थीं।

ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के दोषी हैं, हमें उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इन्दिरा गांधी के नाम पर देश को लूटने वाले इन चोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी जरूरी है।

Shri L. L. Kapoor (Purnea) : Sir, I support and welcome this Bill. The Government should appoint a commission to go into the affairs of the Ashram founded by Dhirendra Brahamchari so that his misdeed may be brought to book and appropriate action taken.

It is evident that although this institution was established in the name of yoga, its real purpose is to make it an instrument to achieve political aspirations of certain people.

There is much more than has been disclosed so far. The employees of this yogashram have also been exploited.

The Indian masses are very poor. They can not afford to purchase costly medicines. So we shall be rendering very useful purpose if we should make this Ashram an effective organisation for study and propagation of yoga. This institution should be taken over permanently and its activities expanded by opening its branches throughout the country This institution should also provide training to able persons.

[श्री त्रिदिव चौधरी पीठासीन हुए
[Shri Tridib Choudhury in the Chair]]

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : Sir, I extend my full co-operation to this Bill. I know Dhirendra Brahmachari was a pious yogi in the earlier part of his life but later on when he came into contact with politicians and other influential people. The Yogashram of Sh. Dhirendra Brahmachari was started with a laudable purpose but later its activities were degenerated and this institute became a centre of political purposes.

Shri Brahmachari was allotted land worth lakhs of rupees near Gole Market at a throw away price. At the first instance he was given Rs. 11 lakhs. The quantum of gra nt was late increased to Rs. 42 lakhs.

Shri Brahmachari is also involved in the purchase of an air craft from an American company. Custom duty was waived on that air craft. This whole affairs needs investigation. This plane was apparently purchased for foreigners who wanted to be trained in yoga. But it was used for political purposes.

Similarly a bull was obtained on loan from the Delhi Administration. The bull was not to be shifted to any place without the permission of the Administration but this condition was also not observed.

Fire arms were recovered from the Katra Ashram of Brahmachari on the 3rd May, 1977. It was said that this Brahmachari was given preference over real and genuine yogies by the Government. Now that the Government has taken over this institution, its activities should be directed towards the purpose for which it was founded.

Shri Brahmachari has not only misused the public money but has also brought bad name to the country.

Shri Raj Narain : I congratulate all the members of the House for extending support to this measure. I think after hearing the speeches of opposition Members also nobody has any doubt about the timely action taken by us.

I shall also like to mention that when the Brahmachari wanted land for his Ashram, the Ministry dealing with it was headed by Shri Jagannath Rao. I appreciate his guts· He firmly refused saying that he could not be a party to that wrong deed as a result he suddenly got a phone call that he would not remain incharge of that Ministry.

Nothing is known about the aeroplane. What was the purpose of its donation and who donated it ? Why custom duty was not charged ? All this is not clear.

The Hon'ble Members should not lay too much stress on C.B.I. enquiry.

The entire matter is before the House. We have received the Audit Report. How Dhirendra Brahmachari brought an aeroplane here; how he was allotted land, how the then Housing Minister, Shri Jagannath Rao was replaced by Shri K.K. Shah who gave him land and how the funds were misused ? All these things have come here. The matter about Vijaya Bank has also been raised here. I would like to assure the House that whenever any case of corruption is brought into the notice of Government, suitable and effective action will be taken against the guilty persons. I would like to give further assurance that the information furnished by hon. Members will be sent to the Home Minister for necessary action.

आन्तरिक आपातस्थिति के दौरान किये गये अत्याचारों की जांच के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : PROBE INTO ATROCITIES COMMITTED DURING INTERNAL EMERGENCY—*Contd.*

सभापति महोदय : अब हम श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पेश किये गये संकल्प पर आगे चर्चा करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे गत भाषण के बाद कई घटनायें घटी हैं। गृह मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार ने कुछ विशिष्ट कार्यवाही की है। हम ऐसी कार्यवाही का स्वागत तथा सराहना करते हैं। लेकिन जांच आयोगों के गठन के मामले में कुछ विलम्ब हुआ है। विलम्ब के क्या कारण हैं? इस मामले में विलम्ब करना खतरनाक है क्योंकि जानकारी तथा दस्तावजों को नष्ट किया जा रहा है; साक्ष्यों में हेर-फर किया जा रहा है और कागजात हटाये जा रहे हैं। लोग अधीर हो चले हैं। इस कार्य को यथाशीघ्र किया जाना चाहिये।

जे० सी० शाह आयोग के निर्देश पदों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या इनमें मंत्रियों तथा राजनीतिक नेताओं का किसी अन्य व्यक्ति के कुकृत्यों को शामिल किया गया है। निर्देश पद ऐसे होने चाहियें जिसमें ऐसे सभी मामले आ जाएं। संजय गांधी के भी कुछ कुकृत्य हैं जिन्होंने अपनी मां के पद का लाभ उठाते हुए काफी पैसे बटोरे। यह स्पष्ट किया जाये कि ऐसे काम जो मारुति के मामले से संबंधित नहीं हैं, माथुर आयोग के निर्देश पदों में शामिल हैं या नहीं।

मैं एक उदाहरण देता हूं। संयुक्त अरब अमीरात को श्रमिकों की सप्लाई करने वाले एक संगठन से उनका संबंध रहा है। इस व्यक्ति ने भारतीय मजदूरों, जो अधिक मजूरी के लिये वहां गये, से 75 लाख रुपये वसूल किये हैं। अब उनकी दशा दयनीय है। त्रिलोकपुरी पुनर्वास कालोनी में मिट्टी डालने के ठेके में भी इन्होंने बहुत हेराफेरा की। यहां पर मारुति का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु फिर भी इन्होंने अपनी मां के पद का लाभ उठाया। क्या ये सब कुकृत्य इस जांच के अन्तर्गत आते हैं? भारतीय वायु सेना के लिये दो स्क्वेड्रन हवाई जहाजों की खरीद का सौदा किया गया। बंगलादेश की लड़ाई के बाद इनकी जरूरत महसूस हुई। तीन दरें प्राप्त हुई थीं। एक फ्रांस (मिरज), दूसरी ब्रिटेन (जागर) और तीसरी स्वीडन (विग्गन) से प्राप्त हुई थी? बिग्गन अमरीकी इंजन महंगा सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि इनकी बहुत जरूरत है। विग्गन भारतीय वायुसेना द्वारा उचित नहीं समझे गये। कुल व्यय विदेशी मुद्रा में 400 करोड़ रुपये था। इससे इन महाशय को 23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में कमीशन मिलती यदि यह सौदा पूरा हो गया होता। उसके अतिरिक्त बोइंग बिमान तथा क्रेनों के खरीदने के बारे में भी सौदे किये गये और इन सौदों से काफी पैसा बनाया गया। क्या माथुर आयोग इन सौदों की भी जांच करेगा?

हम इटली की कम्पनी इ० एन० आई० के साथ किये गये व्यापार सौदों, सम्पर्कों तथा ठेका का ब्यौरा चाहते हैं। कई व्यापार सौदे व्यक्तिगत स्तर पर किये गये। यह करोड़ों रुपयों का मामला है। इसके अतिरिक्त सफदरजंग ऊपरि पुल का भी मामला है। इसी प्रकार कुमारी जगोता का मामला है। उसका क्या हुआ? उसके दो भाइयों को जेल भेज दिया गया। नौसेना के कुछ पुराने नक्शे उनके घरों में छुपाकर रख दिये गये, फिर छापा मरवाया। उन्हें सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अधीन पकड़ कर जेल भेज दिया। इन सब मामलों की जांच की जानी चाहिये। क्या संजय गांधी ने मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा कई स्थानों पर सरकारी कार्यालयों में आग नहीं लगवाई थी। वह चुनाव स्थगित कराना चाहता था। इसीलिये उसने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आग लगवाई ताकि यह सिद्ध हो सके कि देश में तोड़फोड़ की कार्यवाही चल रही है और इसलिए चुनाव नहीं कराये जा सकते। इसकी भी जांच की जानी चाहिये।

न्यायाधीश जगमोहन रेड्डी आयोग के मामले में नागरवाला, मल्होत्रा तथा कश्यप के नाम बार-बार लिये गये हैं। श्री बंसीलाल का नाम भी लिया गया है। लेकिन जे०सी० शाह आयोग और माथुर आयोग के निर्देश पदों में श्रीमती गांधी तथा अन्य लोगों का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया? निर्देश पदों में श्री डी० पी० चट्टो, प्रणव मुखर्जी, गोखले, सिद्धार्थ शंकर राय, रजनी पटेल तथा संजय गांधी तथा उनके गैर-प्राराधियों का नाम विशिष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिये। मैं गृह मंत्री से आयोग के निर्देश पदों में संशोधन करने के लिये अनुरोध करूंगा।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्री को सीमा शुल्क की छूट दी। उन्हें 232.19 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क में छूट दी गई। मेरे पास इसका प्रमाण है। लोक लेखा समिति के रिकार्ड में यह साक्ष्य है। इस रियायत के बदले में उन्हें 3 करोड़ रुपया दिया गया। इसके अलावा "चीथड़ा कांड" का क्या हुआ? सरकार ने मिलेसिलाये वस्त्रों का आयात बन्द कर दिया। जब्त किये गये माल पर ड्यूटी तथा जुर्माना 260% बैठता है। वे नये ऊनी कपड़े चीथड़ों के नाम पर आयात कर रहे थे। इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। इससे तस्करी को बढ़ावा मिला है। 1970-71 में 19 लाख रुपये की तस्करी की गई जबकि 1971-72 में यह बढ़कर 190 लाख रुपये की हो गई थी। 1972 73 में यह 254 लाख रुपये हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि जब्त किया गया माल छोड़ दिया जाये। तस्करों को हाथ न लगाया जाये। उन पर कोई जुर्माना न लगाया जाये। सीमाशुल्क वसुल न किया जाये। इससे देश को आन्तरिक राजस्व का 150 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा में घाटा उठाना पड़ा। इन सब मामलों में श्रीमती गांधी का हाथ है।

इसी प्रकार राज्यों में प्राइवेट सप्लायरों से मिलों तथा अन्य अनाज की खरीद का कांड है। धतूरा बीज मिश्रित अनाज की खरीद का कांड है। किसी ने उन्हें बताया कि हम यह मिलों जानवारों को खिलाते हैं। यहां के अधिकारी ने कहा कि यह भारतीयों के लिये ठीक है। भारतीयों की अमरीकी जानवरों से तुलना की गई है। यह इंदिरा सरकार थी। इन सबकी जांच की जानी चाहिये।

आपातस्थिति के दौरान यह संसद् खिलवाड़ मात्र बन कर रह गई थी और इस पर श्रीमती गांधी का एकमात्र अधिकार था। संसद् के भीतर श्रीमती गांधी और उनके सचिवालय की पूर्व अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। आपातस्थिति के दौरान संसद् की प्रतिष्ठित परम्परा पर जानबूझ कर आक्रमण किया गया था और उसका हनन किया गया था। संसद् को पहले कभी ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़ा। प्रश्नों को गृहीत नहीं किया गया। वाद-विवादों को समुचित रूप से रिकार्ड नहीं किया गया। इनमें हेर-फेर किया गया। सदस्यों के पत्रों के उत्तर नहीं दिये गये। संविधान से परे शक्ति केन्द्रों ने समूची सरकार का चार्ज सम्हाल लिया था। इसके विरुद्ध संसदीय जांच की जानी चाहिये।

संजय गांधी द्वारा कर अपवंचन के मामले का क्या हुआ? इस मामले की जांच की जानी चाहिये। नागरवाला की मृत्यु बहुत अजीब ढंग से हुई। श्री कश्यप की मृत्यु भी रहस्यमय ढंग से हुई। डा० चुघ का क्या हुआ? उन्होंने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का इलाज किया था। जब उनकी कार को पीछे से किसी ट्रक ने धक्का मारा तो वह कार मे बाहर आये और देखने लगे कि कार को कितना नुकसान हुआ है। उस समय उस ट्रक ने पीछे हट कर फिर से कार में टक्कर मारी जिससे डा० चुघ दोनों गाड़ियों-के बीच कुचल कर मर गये। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। बाबू जगजीवन राम पंजाब का दौरा कर रहे थे। सोचा गया कि वह समस्या पैदा करेंगे। तुरन्त डाक्टरों की मार्फत हुक्म गया कि बाबू जी को 15 दिन तक चलने फिरने की मनाही कर दो। चुनाव में मुश्किल से 17-18 दिन शेष थे। आदेश में कहा गया कि बाबू जी को बताओ वह हृदय रोग से पीड़ित हैं। किस डाक्टर ने ऐसा किया था? परन्तु यह तरीका विफल हो गया और बाबूजी आप कार्य ठीक प्रकार से करते रहे।

श्रीमती गायत्री देवी के साथ क्या सलूक किया गया। क्या यह सच नहीं है कि उनके स्वर्गीय पति को विदेशी बैंकों में तीन न्याय स्थापित करने की अनुमति दी गई क्योंकि वह कांग्रेस के नजदीक थे? उन्हें राजदूत बनाकर भेजा गया। अतः रिजर्व बैंक ने तुरन्त अनुमति दे दी। परंन्तु जब श्रीमती गायत्री देवी ने कांग्रेस का साथ देने से इन्कार कर दिया तो उनके विरुद्ध 'कोफेपोसा' लगाया गया।

यह पत्र सरकार को 1 जून, 1976 को लिखा गया जिसमे कहा गया है कि मैंने राजनीति से त्यागपत्र दे दिया है। तत्पश्चात् उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया। उन्हें केवल तभी छोड़ा गया जबकि उन्होंने यह लिखकर दिया कि मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगी। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी गिरफ्तारी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में नहीं बल्कि उन्हें राजनीति से हटाने के लिए की गई।

इसके अतिरिक्त श्री संजय गांधी ने अपनी मां के आदेशों के अन्तर्गत बिजली, टेलीफोन और टेलेक्स लाइनों को कटवा दिया। क्या हम नहीं जानते कि कई दैनिक समाचार पत्र कई दिनों तक नहीं छप पाये। क्या यह अपराध नहीं है? इस बारे में श्री शुक्ल ने कहा कि हम समूचे समाचार-पत्र उद्योग का पुनर्गठन कर रहे हैं और 1 फरवरी को चार समाचार एजेन्सियों को समाप्त कर दिया गया। इस मामले में किसी से भी परामर्श नहीं किया गया। श्री यूनस को उसका चेयरमैन बना दिया गया।

कुछ पत्रकारों को विपक्ष की बैठकों में आने से रोका गया। "इकोनोमिक्स टाइम्स" के मुख्य सम्पादक श्री परिम को विदेशों में भेजा गया कि वह विदेशों में यह प्रचार करें कि आपात स्थिति के दौरान भारतीय लोग बहुत खुश हैं। वास्तव में उस समय "समाचार" को एक राजनीतिक प्रेस सूचना कार्यालय का रूप दिया गया था।

श्री जगजीवन राम ने त्यागपत्र दिया किन्तु कहा गया कि उन्होंने दल बदल की है। समाचार-पत्र उद्योग में कर्मचारियों की सेवा शर्तें बड़ी असंतोषजनक और दयनीय थी। जहां तक पत्रकारों के दमन का सम्बन्ध है, मैं आप को इस संबंध में कई उदाहरण दे सकता हूं। इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संवाददाता को पहले भारत रक्षा कानून और तत्पश्चात् आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उनकी माता बीमार थी और उन्होंने थोड़े से समय के लिए पेरोल मांगा किन्तु उन्हें नहीं दिया गया। ऐसा दूसरा मामला इंडियन एक्सप्रेस के श्री वीरेन्द्र कपूर का भी है।

पी० टी० आई० के मुख्य सम्पादक श्री राघवन का भुवनेश्वर स्थानान्तरण कर दिया गया। यू० एन० आई० के श्री रामचन्द्रन को रांची भेज दिया गया और श्री निखिल चक्रवर्ती को हटा दिया गया क्योंकि ये लोग निर्भीकता से लिखते थे। (व्यवधान)

समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दी गई। कलकत्ता का प्रसिद्ध गोयंका श्रीमती इन्दिरा गांधी का बड़ा मित्र था जिसका भूतपूर्व ब्रिटिश फर्मों पर नियंत्रण था।

आपात स्थिति के दौरान अभूतपूर्व अत्याचार व दमन किया गया। राजन का ही मामला ले लीजिए। इस तरह के सैंकड़ों मामले हुए हैं। लोगों को विभिन्न तरीकों से दुखी किया गया और उन पर भारी अत्याचार किए गए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकेता है कि लोगों ने श्रीमती गांधी को सत्ता से हटाने का जो कार्य किया है वह बिल्कुल उचित ही है।

अकेले आन्ध्र प्रदेश में 274 से अधिक राजनीतिक बंदियों तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु पुलिस की हिरासत में हुई है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश हत्याएं पूर्व नियोजित थीं। एक केन्द्रीय योजना यह थी कि पुलिस विरोधियों को समाप्त कर दिया जाये। मेरे दल के 1100 लोगों की जाने गई हैं। नक्सलवादियों के बारे में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

20-11-1970 को बेलीघाट के सी० आई० टी० फ्लैट में तत्कालीन उपायुक्त ने लगभग 70 कत्ल करवाए। किन्तु आज भी वे स्वतंत्र हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में विभिन्न

स्थानों पर कत्ल के कई मामले हुए हैं। वर्दवान में लगभग 220 कत्ल हुए हैं। पुलिस ने आदिवासी लड़कियों के नंगे चित्रों के कई बण्डल बरामद किए। कुमारी नंदिता घोसल के साथ पुलिस ने बलात्कार किया। इस प्रकार कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई।

यदि श्री करुणाकरण को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता था तो श्री रे को हटाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये गए। अब उन्हें त्यागपत्र देने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। कई पुलिस अधिकारी रणजीत गुप्ता, देवी राय, विभूति चक्रवर्ती तथा रेणु गुहा जैसे कई व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके विरुद्ध जांच आयोग बिठाया जाना चाहिए। मेरा गृह मंत्री श्री चरणसिंह जी से अनुरोध है कि उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का यह उचित समय है।

सभापति महोदय : श्री हुकम देव नारायण यादव श्री ज्योतिर्मय बसु के संकल्प पर अपने दो संशोधन पेश कर सकते हैं।

Shri Hukumdeo Narain Yadav (Madhubani) : Atrocities and excesses Committed by the officials of Central Government and State Governments should also be probed by the proposed parliamentary body to go into excesses during Emergency. The guilty persons should be punished. We proposed also suggest that the proposed body should be asked to submit report within three months and action must be taken against all persons found guilty of excesses.

Excesses were Committed against political prisoners in Jail. They were not provided even with basic facilities. Many of them were sterilised forcibly. All these things should be probed into and appropriate action taken. Now our Home Minister is a strong man We have full faith in him. We believe that the persons found guilty of excesses will be suitably punished.

[श्री डी० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri D. N. Tiwari in the Chair]

A number of atrocities were committed on the people of all walks of life. All facts should be placed before the commissions to be constituted for enquiry purpose. This is a long story of the atrocities Committed on the people. Government should ensure that appropriate action would be taken on the basis of the findings of the Commissions. Guilty persons should be punished.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Many serious charges have been levelled against Smt. Indira Gandhi. We are aware that a Commission have been instituted to go into excesses perpetuated during emergency. Therefore, it is not desirable to level such Charges on Smt. Indira Gandhi on the floor of the House, So long the Commission is seized of the matter. Every body is free to tender his evidence before the Commission. Let us await the findings of the Commission.

I would therefore request the mover to withdraw the resolution.

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : यह चर्चा का एक महत्वपूर्ण मामला है। आपात स्थिति के दौरान संवैधानिक रूप से समुचित लोकतंत्र तथा सरकार के लोकतांत्रिक कार्यकरण को तानाशाही का रूप देने का प्रयास किया गया। शायद हिटलर के पश्चात् यह दूसरा उदाहरण है जबकि लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त करके तानाशाही में बदलने का प्रयास किया गया। **(व्यवधान)**

अब कठिनाई यह है कि कांग्रेस के लोग समझने की कोशिश नहीं करते। ये कोई व्यक्तिगत बातें तो हैं नहीं उन्हें इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। इस बात के सभी प्रमाण उपलब्ध हैं कि किस तरह

तमाम लोकतांत्रित सिद्धांतों को समाप्त किया गया। क्या इस बात में दो राय हो सकती हैं? लोकतंत्र को तानाशाही का रूप देने का प्रयास किया गया।

हमारे देश में आपात स्थिति के दौरान जो कुछ हुआ वह हिटलर के कारनामों से भिन्न नहीं है। यह संविधान लोकतांत्रित सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाने के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिए था। किन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उपयोग लोकतंत्र को समाप्त करने के लिये किया। आपात स्थिति के दौरान कांग्रेस सरकार ने मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को आदेश जारी किए और संविधान का सहारा लेकर संसद् की कालावधि बार-बार बढ़ायी। हम लोग तो जेल में थे।

आज आप लोगों को जनता का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको चर्चा करने और निर्भिकता से बोलने का अवसर दिया है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह की स्थिति देश में पुनः न हो। जो कुछ अत्याचार और ज्यादतियां हुई हैं, उनकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। इन अत्याचारों से यह सिद्ध हो जाएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस तरह देश में आतंक पैदा किया था।

आपात स्थिति के दौरान, गरीब लोगों, मजदूरों और आम आदमी को काफी परेशानी तथा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें हर अधिकार से वंचित किया गया। यहां पर बैठे मेरे कुछ मित्र भी उस सरकार से मिले हुए थे।

समय की पुकार है कि, इस बात का पता लगाये जाये कि प्रजातांत्रिक ढांचे पर लगे काले धब्बों को किस प्रकार स्थायी रूप से हटाया जाये ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे काले कारनामे न कर सके जो श्रीमती गांधी ने किये। यह कैसे हो सकता है। स्वतंत्रता तभी कायम हो सकती है जब पूरी निगरानी रखी जाये। राज्य सरकारों की सहायता से स्थापित की जा सकती है। हमें पता लगाना चाहिये कि किसी संस्था के द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है। यदि संविधान में कुछ खामियां है तो उन्हें दूर करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिये कि उसे दिये गये अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : 25 जून, 1975 से लगाई गई आपात स्थिति से लेकर आपात स्थिति के उठने तक का काल न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि प्रजातांत्रिक विश्व के इतिहास में काला काल है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश ने ऐसा निकम्मा, निरंकुश तथा घोर अव्यवस्थित शासन नहीं देखा होगा।

आंतरिक आपात स्थिति हर दृष्टि से अपूर्व है। कई अत्याचारों का पता ही नहीं चला है और कई अत्याचारों का कुछ महीनों में पता लगेगा भी नहीं। आयोगों द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद भी केवल 10 प्रतिशत अत्याचारों का ही पता चल सकेगा। शेष 90 प्रतिशत अत्याचारों का फिर भी पता नहीं चल सकेगा। इस काल में लोगों को तंग करने और उनका अपमान करने का ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा कार्यवाही अत्यन्त उपयुक्त है जांच आयोगों के गठन का स्वागत है। गृह मंत्री यह सुनिश्चित करें कि आयोग ज्यादा समय न लें क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि साक्ष्य को नष्ट कर दिया जाये। यदि साक्ष्य को नष्ट कर दिया गया और आयोगों के हाथ कुछ न लगा तो लोग यह महसूस करेंगे कि दोषी को दण्ड नहीं दिया गया। अतः आयोगों को शिघ्रता से काम करना चाहिये। यदि गृह मंत्री को इन आयोगों के कार्यकरण से ऐसा पर्याप्त प्रमाण मिल जाता

है जो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकाल कर उस पर शीघ्र मुकदमा चलाना चाहिये और कानून के अन्तर्गत उसे सजा देनी चाहिये।

आपात स्थिति के दौरान इतने गलत राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्य किये गये कि जनता सरकार को ऐसे गलत कार्यों को ठीक करने तथा लोगों की दशा सुधारने के लिये महत्वपूर्ण कार्य करने में वर्षों नहीं तो महीनों तो अवश्य लग जायेंगे।

आपात स्थिति के दौरान संस्थानों को अपंगु बनाया गया, लोगों को तंग किया गया, व्यवस्था को समाप्त करके उसे ताक पर रख दिया गया था। संसद, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन, सरकारी तंत्र, राजनीतिक दलों, राजनीतिक जीवन, शिक्षा संस्थाओं, श्रमिकों तथा बुद्धजीवियों का दमन किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। परन्तु हमने संघर्ष जारी रखा तथा तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठायी। हमारी आवाज जनता तक न पहुंच सकी क्योंकि प्रेस पर सेंसर लगा था। अतः इस बात की संसदीय जांच करवाई जाये कि किस प्रकार भारतीय संसद का अपमान करके उसे आपात स्थिति के दौरान निष्क्रिय बना दिया गया था।

यदि कांग्रेस जन वास्तव में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं तो उन्हें श्रीमती गांधी का तथा उन सभी लोगों का जो आपात स्थिति के 19 महीनों के काले दिनों में अत्याचार करते रहे हैं, साथ छोड़ देना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो इससे लोगों का प्रजातांत्रिक सिद्धांतों तथा मातृभूमि के आदर्शों के प्रति विश्वास पैदा होगा।

श्री के० सूर्य नारायण (एलूरु) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके नाम पर किये गये अत्याचारों के बारे में संकल्प प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का आभारी हूं, किन्तु देखना यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे अत्याचार किये हैं तो उसे अवश्य ही दण्ड मिलना चाहिये इसके लिये कांग्रेस दल भी समर्थन करेगा।

श्री ज्योतिमय बसु ने जो आरोप लगाये हैं उनमें से 75 प्रतिशत आरोप 1962–67 की अवधि तथा आपात स्थिति से पहले की अवधि से सम्बन्धित है। जनता सरकार ने जांच आयोग नियुक्त किया है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि वे एक संसदीय समिति नियुक्त करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अत्याचार किये हैं तो उसे जेल में बन्द कर दिया जान चाहिये। और उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। परन्तु, जांच आयोग के साथ साथ संसदीय समिति नियुक्त नहीं की जा सकती। जनता सरकार को इनमें से एक बात करनी होगी। जो इन सभी बातों की जांच करे।

श्री एफ० एच० मोहसिन (धारवाड दक्षिण): सभा के समक्ष जो संकल्प है उसका उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कथित कुकृत्यों, कदाचारों और अत्याचारों की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन करना है। इसे श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रस्तुत किया है। यह संकल्प पहले जांच आयोग की नियुक्ति से पूर्व अप्रैल 1977 में लाया गया था। अब जबकि जांच आयोग नियुक्त हो चुका है, इस संकल्प का कोई महत्व नहीं रह गया है। यदि यह आवश्यक है तो संसदीय समिति मामले की जांच कर सकती है।

लोक सभा चुनावों के दौरान केवल उत्तर भारत में ही कांग्रेस को हार हुई है। दक्षिण भारत के लोग जनता पार्टी का शासन नहीं चाहते हैं। हाल ही में गोवा में हुए चुनावों से यह बात स्पष्ट हो

गई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आपात स्थिति के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया गया। आपात स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया गया जहां कदाचार हुए। यह हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा उत्साही नौकरशाहों कुछ अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो। उनके विरुद्ध जांच की जानी चाहिये। आयोग नियुक्त किये गये हैं और वे इन बातों की जांच कर रहे हैं। उनके विचारार्थ विषयों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इन कुकृत्यों की जांच का कार्य इसके अन्तर्गत आ जाता है। गृह मंत्री को इन आयोगों की नियुक्ति के लिये बधाई दी जानी चाहिए। प्रत्येक बात स्पष्ट हो जायेगी। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं की है तो लोगों के सामने यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

जनता पार्टी अभी भी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश जैसे शान्तिपूर्ण राज्यों को नोटिस दिये जा रहे हैं क्योंकि उनकी विधान सभाओं को भंग नहीं किया जा सका है। उन्होंने लोक सभा चुनावों में जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया। अतः उन दो राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग नियुक्त किये गये। ऐसा आपका रवैया है। यदि आयोग नियुक्त करके आप राजनीतिज्ञों के मन में भय बिठाना चाहते हैं तो कल आपके साथ भी जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, यही रवैया अपनाया जायेगा।

गृह मंत्री को पुलिस के मन में भय पैदा नहीं करना चाहिये। जब तक पुलिस वाले थोड़ी जबरदस्ती न करें, थोड़ा दबाव न डालें तब तक अपराधों की जांच नहीं की जा सकती। अतः पुलिस का नैतिक पतन नहीं होना चाहिये।

हमें जांच आयोग के प्रतिवेदन की प्रतिक्षा करनी चाहिये और बाद में अपना निर्णय दना चाहिये ताकि लोग भी अपना निर्णय दे सकें।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): The atrocities committed on people in the country by Congress Government during the emergency cannot be forgotten. I fully support the resolution moved by Shri Jyotirmoy Bosu and want that the allegations levelled by the hon. Member should be thoroughly investigated into. I.A.S. and I.P.S. Officers showed great enthusiasm in carrying out Government orders and committed atrocities on people because they were of firm belief that Congress Government will remain for ever.

So, I would like to draw the attention of the Home Minister to the fact that the rules pertaining to punishment to I.A.S. and I.P.S. officers should be amended. They should also be given punishment, if necessary, as is being done in the case of other Government employees. If need be, we must amend the Constitution also for the purpose, otherwise they will continue to persist in their dictatorial attitude and commit atrocities in the name of following the rules.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानौर) : इस विषय को चर्चा अधीन बनाने के लिये मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का आभारी हूं। इससे आपात स्थिति के दौरान सत्तारूढ़ लोगों द्वारा की गई ज्यादतियों पर चर्चा का अवसर मिला है। मुझे यह कहना है कि देश ने केवल कांग्रेस को ही नहीं, उन सभी लोगों को अस्वीकार कर दिया है जिन्होंने उन पर आपात स्थिति के दौरान ज्यादतियां की। यह कहना ठीक ही है कि श्रीमती गांधी, उनके पुत्र तथा उनके इर्द-गिर्द काम करने वाली चौकड़ी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने तथा संविधानेतर सत्ता केन्द्र बनाने तथा देश के इस भाग के लोगों का निरन्तर दमन करने के लिये जिम्मेदार है। इसी के परिणामस्वरूप कांग्रेस को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तमिलनाडु में लोगों ने द्रमुक को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसने भी कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार, दमन तथा भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। केरल में आपात स्थिति के दौरान लोगों ने सरकार को पुनः सत्ता सौंप दी और जिन लोगों ने इस सरकार की नीतियों अपितु क्रांतिकारी नीतियों का विरोध किया उन्हें लोगों ने पूरी

तरह अस्वीकार कर दिया। राजन कांड में वहां की सरकार ने राजनीतिक उत्तरदायित्व को स्वीकारा तथा अपने मुख्य मंत्री को हटाया तथा दो डी० आई० जी० को जेल भेजा। वह साहस उसी सरकार का है। इस मामले में एक जांच कराई गई और गृह मंत्री ने इस सभा में बताया कि केरल सरकार वही काम कर रही है जिसकी आम तौर पर एक सरकार से आशा की जाती है। अतः लोगों ने आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों को अस्वीकार कर दिया। चाहे वह ज्यादतियां कांग्रेस ने की, प्रमुक ने की या किसी अन्य ने की। गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि ज्यादतियों के सभी मामलों की जांच की जायेगी। परन्तु आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच में विलम्ब का कोई कारण हमें समझ नहीं आ रहा।

लोग कह रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जनता पार्टी के नेताओं से मिल रही हैं। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि आपातस्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के लिये जो भी जिम्मेदार हो उसे जेल में डाला जाना चाहिये। यदि आप ऐसे लोगों को जेल में डाल देंगे तो जनता को कुछ विश्वास होगा कि अच्छा काम हो रहा है।

अभी नक्सलवादियों को रिहा नहीं किया गया है। जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्गी के लोगों को रिहा कर दिया गया है तो नक्सलवादियों को अभी भी जेलों में क्यों रखा हुआ है।

यदि अन्य जांच आयोग पर्याप्त नहीं है तो फिर एक संसदीय समिति स्थापित करने के संकल्प का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। सचाई विश्व के सामने आनी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिए।

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): Reference is made to the delay in instituting an enquiry into the excesses during emergency and it has been pointed out that some people are saying that some horse trading is going on. I strongly protest against the insinuation made. This is against the dignity of the house. I can understand. The desire of the common man to see certain in Jail. But I do not expect responsible persons to behave in this matter.

Our Basic Complaint against the previous Congress Government is that it abolish the rule of law. Should be make the same mistake? If we had adopted the attitude which has been adopted by the Congress Government and put the farmer Prime Minister, the Chief Ministers and perhaps some members of Parliament behind the bars; people anger would have subsided. But this action would have been against the rule of law. In a democracy the wheels of justice grind slowly but surely.

I would like to assure the members that all those found guilty of excesses during the emergency, from the highest political authority to the lowest official would with under the law. It was not our intention to be soft to anyone. But the Government do not want to act in a spirit of vindictiveness. The steps we are taking aim at ensuring that in future no Prime Minister act in a manner in which the former Prime Minister did.

So as the delay in the appointment of enquiry Commission is concerned that position is that seven judges have refused to held a particular Commission before the eight judge accept the job. Also it is not easy to fix terms of reference unless there is sufficient evidence. The Shah Commission has issued a notification asking for evidences from the public within a month. Only the Commission and not the Government can ask for such evidences. We have framed the terms of reference on the basis of the evidences in our files and the terms of references have to be comprehensive, A number of Commissions have been appointed. The investigation agencies had to be appointed for all Commissions, All these things delayed the appointment of Commission.

It has been asked as to why names of Mrs. Gandhi and Sanjay Gandhi are not mentioned in the terms of reference of Maruti affairs Commission and Emergency Activities Commissison. A number of people may be in volved and names of all of them are not known. Therefore, it is thought proper not to mention names. The expression used in the terms of reference is all those who are guilty. This comprehensive expression brings all guilty within its ambit. Nobody can escape. There do not appear to be any need for amending the term of reference. If anybody points any loophole the matter can be considered.

Reference is made to the death of Dr. Chigh. If this case do not come within the purview of Shah Commission a separate enquiry will be ordered.

Prompt action will be taken on the reports of Commission. Apprehension about destruction of documents connected with the cases is not completely baseless but usually copies are kept in one Ministry or the other and in case 'truth will always be out".

A member has asked as to why Naxalites are not being released. There were 600 Naxalites. Except 62 all have been released. Out of these 57 are in West Bengal and 5 in Tamil Nadu. The concerned State Government can release these people. We have told the State Governments that if 5 years period of conviction is over, a person can be released even if the Crime Committed is serious. Cases of absconders will be considered separately. Only those Naxalites who accepted the resolution of their Central Committee to the effect that they do not believe Class anihilation are being released.

The terms of reference of the enquiry Commission appointed by the Government are very wide, In view of that I will request the Mover to withdraw his resolution.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गृह मंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी को गिरफ्तार करने के सुझाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। 26 जून को दिल्ली से छपने वाले राष्ट्रीय दैनिक पत्रों के टेलीफोन, टेलीप्रिंटर तथा बिजली की लाइनें काटने में श्री संजय गांधी का हाथ था। क्या यह अपराध नहीं है ? क्या इस अपराध के लिये उन्हें गिरफ्तार करके दंडित नहीं किया जा सकता ? क्या उन पर इसके लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ?

और फिर उन्होंने बिना लाइसेंस के हवाई जहाज चलाया है। क्या यह भी दंडनीय अपराध नहीं है ? इसके अतिरिक्त जगोता मामला भी है। अगर गृह मंत्री अपने मंत्रालय से ब्यौरा मंगाएं तो मां, बेटे दोनों ही गिरफ्त में आ सकते हैं।

क्या इस आयोग के निदेश पदों में राजनीतिक व्यक्तियों के मामले को भी शामिल किया गया है ? 25 जून, 1975 से पूर्व हुए कदाचारों और कुकर्मों की भी जांच होनी चाहिए।

चूंकि मंत्री महोदय स्वयं यह बता चुके हैं कि जांच आयोग के निदेश पद काफी व्यापक होंगे और ये आयोग समुचित ढंग से कार्यवाही करेंगे, इसलिये मैं अपने संकल्प पर जोर नहीं देता।

सभापति महोदय : इस संबंध में दो संशोधन हैं। क्या आप अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिए गए

The amendments were, by leave, withdrawn.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The resolution was, by leave, withdrawn.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लोकतत्रात्मक सिद्धांतों को समाप्त करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE*: SUBVERSION OF DEMOCRATIC NORMS BY THE FORMER PRIME MINISTER

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं प्रस्ताव करता हूं : "यह सभा 25 जून, 1975 की आपातस्थिति की उद्घोषणा के बाद होने वाले अत्याचार और आतंक के काले दिनों के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके गिरोह द्वारा लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों के निन्दनीय हनन, नैतिक मान्यताओं और अध्यात्मिक मूल्यों को नितान्त रूप से समाप्त किये जाने की घोर निन्दा करती है, उद्घोषणा की प्रतिक्रिया-स्वरूप स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिये देश-पर्यन्त चलाए गये आन्दोलन के असंख्य पीड़ितों और शहीदों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विनीत भाव से परन्तु हर्ष के साथ हमारी निर्भीक जनता द्वारा निकृष्ट सत्तावादी शासन को अपदस्त करने में मतपत्र के माध्यम से निभायी गयी ऐतिहासिक भूमिका की भारी सराहना करती है। और जनता के निकट सहयोग से एवं शान्तिपूर्ण, वैद्ध तरीके अपना कर तेजी से एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक क्रांति लाने के लिये गम्भीर प्रयास करने की पावन प्रतिज्ञा करती है, जो लोकतांत्रिक मान्यताओं से चमत्कृत हो, समाजवादी आदर्शों से अनुप्राणित हो और जिसकी दृढ़ नींव उन नैतिक एवं अध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित हो जिनके लिये लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कष्ट उठाये और बलिदान दिये, जीये और मरे तथा जिनकी रक्षा के लिये तीन वर्ष पूर्व लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने संघर्ष के लिये राष्ट्र का आवाहन किया।"

आज 24 जून है और कल 25 जून होगा। इस अवसर पर हमें 25 जून, 1975 का वह काला दिन याद आता है जबकि देश में आपातस्थिति की घोषणा की गई थी।

श्री एफ०एच० मोहसिन : माननीय सदस्य ने "श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके गैंग" शब्द का प्रयोग किया है। "गैंग" शब्द गैर संसदीय शब्द है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रेलवे में भी गैंगमैन होते हैं। इस शब्द में क्या बुराई है? **(व्यवधान)**

इसके पश्चात् लोक सभा 25 जून, 1977/4 आषाढ़ 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabea then abjoured till 11 of the Clock on Soturday, the 25th June, 1977/ Ashadha 4, 1889 (Saka)

MGIPRRND—5LSS/77—Sec, D—23-9-77—200